मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2022–23

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2022–23

मंत्री	–	श्री भूपेन्द्र सिंह
राज्यमंत्री	–	श्री ओ.पी.एस भदोरिया
प्रमुख सचिव	–	श्री नीरज मण्डलोई
वि.क.अ. सह आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास	–	श्री भरत यादव
वि.क.अ. सह आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश	–	श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता
आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल	–	श्री चन्द्रमौली शुक्ला
उप सचिव	–	श्री हर्षल पंचोली
उप सचिव	–	श्री शुभाशीष बनर्जी
उप सचिव	–	श्री आर.के. कार्तिकेय
वित्तीय सलाहकार	–	श्री आर.के. खरे

प्रस्तावना

नगरीय विकास एवं आवास विभाग का वर्ष 2022–23 का प्रशासकीय प्रतिवेदन प्रस्तुत है।

(नीरज मण्डलोई)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2022–23
–: विषय सूची :–

क्र.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	विभागीय संरचना	
2.	विभाग के अधीनस्थ प्रमुख कार्यालय एवं संस्थाएं	
3.	विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम	
4.	विभाग के अंतर्गत प्रतिपादित नीति संबंधी विषय	
5.	संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास	
6.	संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश	
7.	राज्य नगर नियोजन संस्थान	
8.	मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल	
9.	मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम	
10.	परिशिष्ट	

विभागीय संरचना

1. नगरीय विकास एवं आवास विभाग की प्रशासनिक संरचना निम्नानुसार हैः–

1.1 राज्य मंत्रालय

मंत्रालय स्तर पर प्रमुख सचिव के अधीन एक अपर सचिव, तीन उप सचिव तथा एक वित्तीय सलाहकार पदस्थ हैं।

2. विभाग के अधीनस्थ प्रमुख कार्यालय/संस्थाएं

(1) संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास।

(2) संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश।

(3) राज्य नगर नियोजन संस्थान।

(4) मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल।

(5) मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम।

3. विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम

3.1 राज्य शासन द्वारा नगरीय विकास एवं आवास विभाग को निम्नांकित अधिनियमों के प्रशासन का दायित्व सौंपा गया है :–

(1) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956

(2) मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961

(3) पशु अतिचार अधिनियम, 1971 (जहां तक कि वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों मे लागू है)

(4) विदिशा (भेलसा) रामलीला विधान, 1956

(5) सिंहस्थ मेला अधिनियम, 1955

(6) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम (जहां तक कि वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों मे लागू है)

(7) स्लाटर ऑफ एनीमल्स एक्ट (जहां तक कि वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों मे लागू है)

(8) मध्यप्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984

(9) मध्यप्रदेश गंदी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा निर्मूलन) अधिनियम, 1976

(10) मध्यप्रदेश पथ पर विक्रय करने वालों की जीविका का संरक्षण और पथ पर विक्रय का विनियमन अधिनियम, 2011

(11) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973

(12) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974

(13) मध्यप्रदेश आवास नियंत्रण अधिनियम, 1961

(14) मध्यप्रदेश भूमि उपयोग विनियमन अधिनियम, 1948

(15) मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसरंचना विकास मण्डल अधिनियम, 1972

(16) मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम, 1976

(17) मध्यप्रदेश नगर तथा परिक्रमा नियंत्रण अधिनियम, 1960

(18) मध्यप्रदेश अर्जन अधिनियम, 1948

(19) अचल संपत्ति (अधिग्रहण तथा अर्जन) अधिनियम, 1952

(20) मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012

(21) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 1975

(22) मध्यप्रदेश सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1952

4. विभाग के अंतर्गत प्रतिपादित नीति संबंधी विषय

विभाग के अंतर्गत संपादित किये जाने वाले मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं :–

(1) पट्टे के दस्तावेजों के वितरण की प्रगति का परिवीक्षण

(2) नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन अर्थात नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद और नगर परिषद एवं अन्य विभागों को न सौंपे गए निकायों से संबंधित समस्त विषय

(3) नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा अधिरोपित किए गए कर का प्रशासन

(4) मध्यप्रदेश चुंगी प्रतिकर निधि का प्रशासन

(5) नगरीय क्षेत्रो में कांजी हाउस और उनमे पशु अतिचार की रोकथाम

(6) नगरपालिक निगमों, नगरपालिका परिषदों और नगर परिषदों के प्रबंध के अधीन बाजार और नगरीय क्षेत्रों में मेले

(7) नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता

(8) विभिन्न अभिकरणों द्वारा क्रियान्वित गंदी बस्ती उन्मूलन तथा सुधार योजनाओं की प्रगति का परिवीक्षण एवं गंदी बस्ती निवारण एवं सुधार से संबंधित योजनाएं

(9) नगरीय महायोजनाओं और उससे संबंधित अन्य क्रियाकलापों में संशोधन

(10) नगरीय क्षेत्रो में गरीबों के लिए आवास नीतियों का निर्धारण तथा समन्वयन। गरीबों के उन्नयन के लिए योजनाएं तैयार करना और उनका परिवीक्षण करना

(11) विभाग से संबंधित सेवाओं में नियुक्तियां, पदस्थापना, स्थानांतरण, वेतन, अवकाश, सेवा निवृत्ति वेतन, प्रतिनियुक्तियां, पदोन्नतियां, भविष्य निधियां एवं दण्ड तथा अभ्यावेदन से संबंधित कार्यवाही

(12) केन्द्र प्रवर्तित एवं केन्द्रीय अंशदान प्राप्त योजनाओं का क्रियान्वयन यथाः अमृत, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, PM SVANIDHI

(13) बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं का क्रियान्वयन

(14) नगरीय निकायों के कर्मचारियों की पेंशन, परिवार कल्याण एवं समूह बीमा योजनाओं का क्रियान्वयन

(15) मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी का प्रशासन

(16) मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी का प्रशासन

(17) मध्यप्रदेश प्रापर्टी टैक्स बोर्ड का प्रशासन

(18) शहरी यातायात एवं परिवहन का प्रशासन

(19) प्रदेश के शहरों में संवहनीय लोक परिवहन एवं यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना

(20) शहरी अधोसंरचना

(21) शहरी गरीबों के लिये आवास

(22) शहरी पेयजल

(23) आग की रोकथाम

(24) शहरी सुधार कार्यक्रम

(25) मल–जल शोधन संयंत्रों की स्थापना में निकायों को सहयोग

(26) ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण

(27) प्राकृतिक जल स्त्रोतों का संरक्षण

(28) नगर विकास योजना तैयार करना

(29) शहरी गरीबों का कौशल उन्नयन

(30) नगर तथा ग्राम निवेश

(31) वास्तुकला

(32) नगरीय विकास

(33) राज्य की नगरीय गृह निर्माण नीति से संबंधित समस्त विषय तथा नगरीय गृह निर्माण योजनाओं का क्रियान्वयन एवं समन्वय

(34) आवास स्थान को भाड़े या उप–भाड़े पर देना जिसमें उसका अर्जन तथा अधिग्रहण सम्मिलित है।

(35) कामन पूल के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए निधियों का आवंटन तथा प्रशासकीय अनुमोदन

———————

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास

भाग – एक

विभागीय संरचना

विभाग के अंतर्गत आयुक्त के अधीन संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास का विभागाध्यक्ष कार्यालय गठित है।

1. संभागीय कार्यालय

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास के अधीन संभाग स्तर पर संयुक्त संचालक के कार्यालय इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रीवा एवं शहडोल में गठित हैं। संभाग स्तर पर नगरीय निकायों को तकनीकी मार्गदर्शन और उनकी परियोजनाओं के पर्यवेक्षण के लिये अधीक्षण यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री पदस्थ हैं।

2. राज्य शहरी विकास अभिकरण

राज्य शासन द्वारा प्रदेश में शहरी गरीबों के कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये विभागीय मंत्रीजी की अध्यक्षता में ''राज्य शहरी विकास अभिकरण'' का गठन किया गया है। प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग इसके उपाध्यक्ष हैं तथा आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, अभिकरण के पदेन मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं।

3. जिला शहरी विकास अभिकरण

नगरीय निकायों में गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन संबंधी कार्यो के पर्यवेक्षण के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रदेश के सभी जिलों में जिला शहरी विकास अभिकरण गठित हैं। इन अभिकरणों में विभाग द्वारा परियोजना अधिकारी पदस्थ किये गये हैं।

4. विभाग के अंतर्गत गठित संचालनालय एवं उसके अधीनस्थ संभागीय कार्यालयों के लिए स्वीकृत अमले का विवरण **परिशिष्ट–एक** पर है।

5. नगरीय स्थानीय निकाय

प्रदेश में कुल 413 नगरीय स्थानीय निकाय हैं, जिनका श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमांक	निकाय की श्रेणी	संख्या
1	नगरपालिक निगम	16
2	नगरपालिका परिषद	99
3	नगर परिषद	298
योग		**413**

5.1 प्रदेश में गठित नगरीय स्थानीय निकायों की जिलेवार सूची **परिशिष्ट–दो** पर है।

————————

भाग–दो

बजट विहंगावलोकन

1. संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए विभागीय बजट में कुल रूपये 1452463.00 लाख का प्रावधान किया गया है, उक्त प्रावधान के विरूद्ध वर्ष 2022–23 में दिसम्बर, 2022 तक कुल रूपये 1037176.00 लाख का व्यय किया गया है।

2. उपरोक्तानुसार प्रावधानित राशि में से राजस्व मदों तथा पूंजीगत मदों में मदवार/ योजनावार व्यय की जानकारी क्रमशः **परिशिष्ट–तीन (एक)** एवं **परिशिष्ट–तीन (दो)** पर है।

3. विभागीय बजट में योजना मद के अन्तर्गत मुख्य रूप से केन्द्र प्रवर्तित एवं केन्द्रीय अंशदान प्राप्त अमृत, हाउसिंग फॉर ऑल, स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय शहरी अजीविका मिशन एवं बाह्य वित्त पोषित योजनाएं संचालित है ।

4. राज्य योजना की प्रमुख योजनाओं में मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना, दीनदयाल रसोई योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना तथा शहरी क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु मास रेपिड ट्रांस्पोर्ट सिस्टम सर्वे हेतु बजट रखा गया है।

5. वित्त वर्ष 2022–23 अंतर्गत 7 पृथक स्मार्ट सिटी योजना क्रमशः भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर एवं सतना अंतर्गत विकास कार्य प्रगतिरत् हैं।

6. राज्य शासन द्वारा नगरीय निकायों को अन्य संस्थाओं से प्रदाय किए गए ऋणों की प्रतिभूति के विरूद्ध शासकीय अंश पुर्नभुगतान की व्यवस्था बजट में की गई है।

7. अनुदान मद में मुख्य रूप से नगरीय निकायों को भुगतान किए जाने वाले केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार नॉन–मिलियन शहरों हेतु बेसिक ग्रांट एवं परफार्मेंस ग्रांट तथा मिलियन शहरों हेतु वायु गुणवत्ता सुधार एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सीवरेज तथा जल संरक्षण हेतु अनुदान की व्यवस्था बजट में की जाती है। चुंगी क्षतिपूर्ति/समेकित कर क्षतिपूर्ति, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर निकायों को मूलभूत सेवाओं के लिए देय अनुदान अंतर्गत बजट की व्यवस्था की गई है। संचालनालय एवं उसके संभागीय कार्यालयों के वेतन भत्तों के लिये प्रावधान बजट में किया गया हैं।

8. पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार से नगरीय निकायों द्वारा अथवा उनकी ओर से लिये गये ऋणों/ब्याज का प्रतिसंदाय अंतर्गत राशि का उपयोग महत्वपूर्ण नगरीय अधोसंरचना परियोजनाओं जैसे मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना आदि के क्रियान्वयन तथा ऐसी परियोजनाओं के शासन की गारंटी पर लिये गए ऋण का पुर्नभुगतान किया जाता है।

9. नगरीय निकायों के सड़कों के कायाकल्प अभियान के अंतर्गत नवीनीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य हेतु बजट की व्यवस्था की गई है।

———————

भाग–तीन

राष्ट्रीय, राज्य एवं बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं

(अ) राष्ट्रीय योजनाएं

1. स्मार्ट सिटी मिशन

1.1 भारत सरकार द्वारा 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन प्रारंभ किया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रतिस्पर्धा के आधार पर 100 शहरों का चयन किया जाना था। स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य उद्वेश्य शहरों का समुचित विकास, आर्थिक सुधार तथा नागरिक के जीवन शैली में सुधार तथा क्षेत्रीय विकास है।

1.2 भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्धा अंतर्गत प्रथम राउंड में प्रदेश के 3 शहरों भोपाल, इन्दौर, जबलपुर का चयन जनवरी 2016 में, द्वितीय राउंड में सितम्बर 2016 में ग्वालियर एवं उज्जैन व तृतीय राउंड में सतना एवं सागर का चयन जून 2017 में हुआ है। मध्यप्रदेश से कुल 07 शहर स्मार्ट सिटी परियोजना में सम्मिलित है।

1.3 स्मार्ट सिटी परियोजना अंतर्गत प्रत्येक शहर को 1000 करोड़ की SCM ग्रांट उपलब्ध करायी जाना हैं जिसमें 500 करोड़ केन्द्र शासन से एवं 500 करोड़ मैंचिंग ग्रांट के रूप में राज्य शासन द्वारा दिये जाना है। स्मार्ट सिटी गाइडलाईन प्रावधान अंतर्गत कुल केन्द्रांश राशि का 2 प्रतिशत के मान से कुल राशि रू. 10.00 करोड़ A&OE (ऑफिस एवं प्रशासनिक व्यय) अंतर्गत कटौता कर कुल केन्द्रांश राशि रू. 490.00 करोड़ शहर को प्राप्त होगी। इस प्रकार राशि रू. 990.00 करोड़ में राशि रू. 940.00 करोड़ प्रोजेक्ट फंड एवं राशि रू. 50.00 करोड़ A&OE (ऑफिस एवं प्रशासनिक व्यय) का प्रावधान स्मार्ट सिटी शहरों हेतु किया गया है।

1.4 स्मार्ट सिटी के सुचारू संचालन एंव मॉनिटरिंग हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में हाई पॉवर स्टेरिंग कमेटी का गठन किया गया है तथा शहर स्तर पर भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन में दिये गये निर्देश अनुसार स्पेशल पर्पस व्हीकल्स (एसपीवी) का गठन किया गया है। एसपीवी के अध्यक्ष जिले के कलेक्टर, कार्यपालक संचालक–नगर निगम के आयुक्त तथा प्रत्येक शहर में मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) भी नियुक्त किये गये है। एसपीवी अर्न्तगत अन्य मनोनीत अधिकारीयों में चीफ प्लानर, चीफ फॉयनेंस ऑफिसर, प्रबंधक ई गवर्नेन्स अधिकारी, कंपनी सेक्रेटरी, अधीक्षण यंत्री आदि को शामिल किया गया है।

1.5 स्मार्ट सिटी मिशन का क्रियान्वयन सुनियोजित कार्ययोजना अन्तर्गत किया जा रहा है, योजना अंतर्गत प्रावधानित स्मार्ट सिटी ग्रांट फंड के परिपेक्ष्य में कुल नियोजित (Planned) 639 प्रोजेक्ट राशि रू. 6894.85 करोड़ में से कुल 478 प्रोजेक्ट लागत राशि रू. 4112.76 करोड़ के पूर्ण (Complete) हो चुके है, 161 प्रोजेक्ट्स राशि रू. 2782.09 के कार्य प्रचलन (On-going) में है।

1.6 सभी स्मार्ट सिटी शहरों में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निर्माण किया जा चुका है। कोविड–19 महामारी के दौरान कमांड एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा महामारी की रोकथाम एवं बचाव से संबंधित कार्य एवं समन्वय के लिये राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय कॉल सेंटर के रूप में प्रभावशाली कार्य किया गया।

1.7 स्मार्ट सिटी मिशन के ''इण्डिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कनटेस्ट 2020''(ISAC-2020) तहत मध्यप्रदेश राज्य को राज्यों की श्रेणी मे दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है तथा प्रदेश के 05 शहरों को उनके द्वारा क्षेत्र मे किये गए उत्कृष्ट कार्य के आधार पर 20 अवार्ड श्रेणीयों मे कुल 11 अवार्ड प्राप्त हुये है। जिनमें से इंदौर को बिल्ट–एनवायरनमेंट, सनिटेशन, इनोवेशन, इकॉनमी व कल्चर थीम के साथ राउंड–1 शहरों की श्रेणी में तथा ओवर–ऑलपरफॉर्मेंस वाले शहर के रूप में कुल 07 पुरुस्कार प्राप्त हुए हैं। भोपाल को अर्बन एनवायरनमेंट

1.8 थीम अंतर्गत क्लीन एनर्जी हेतु प्रथम पुरुस्कार प्राप्त हुआ है। जबलपुर को राउंड–1 शहरों की श्रेणी में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ग्वालियर शहर को डिजिटल म्यूज़ियम के लिए कल्चर थीम अंतर्गत तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सागर शहर को राउंड– 3 शहरों की श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है।

2. स्मार्ट सिटी योजना क्रियान्वयन की शहरवार प्रगति

2.1 भोपाल स्मार्ट सिटी

योजनांतर्गत पब्लिक बाइक शेयरिंग, स्मार्ट रोड, बुलेवर्ड स्ट्रीट, स्मार्ट पोल एवं स्मार्ट एलईडी लाईट, शासकीय आवास का निर्माण, युवाओं के स्कील डेवलपमेंट हेतु स्टार्टप के लिये इनक्युबेशन सेंटर का निर्माण एवं क्रियान्वयन, पुरातत्व धरोहर संरक्षण (सदर मंजिल) आदि अंतर्गत 70 प्रोजेक्ट्स लागत राशि रू. 1032.58 करोड़ के कार्य पूर्ण हो चुका है। SCM ग्रांट अंतर्गत समस्त राशि का उपयोग किया जा चुका है।

2.2 इंदौर स्मार्ट सिटी

योजनांतर्गत स्मार्ट रोड, पुरातत्व धरोहर संरक्षण गोपाल मंदिर, हरि राव होल्कर छत्री, राजवाड़ा, रिवरफ्रंट डेवलपमेंट–चंद्रबाग ब्रिज से हरसिद्धि ब्रिज, जिन्सी हाट बाजार का पुर्नविकास, गारबेज ट्रांसफर स्टेशन का निर्माण कार्य, शासकीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास रूम, अन्डर ग्राउण्ड केबलिंग स्टार्टप के लिये इनक्युबेशन सेंटर का निर्माण आदि अंतर्गत 167 परियोजनाओं लागत राशि रू. 972.55 करोड़ के कार्य पूर्ण हो चुका है। 2 प्रोजेक्ट लगभग लागत राशि रू. 23.95 करोड़ के कार्य प्रचलन में है। SCM ग्रांट अंतर्गत समस्त राशि का उपयोग किया जा चुका है।

2.3 जबलपुर स्मार्ट सिटी

योजनांतर्गत स्मार्ट क्लास रूम, स्टार्टप के लिये इनक्युबेशन सेंटर, मल्टीलेवल पार्किंग, नॉन मोटेराइज्ड व्हीकल क्षेत्र का निर्माण, भंवर ताल गार्डन का पुर्नविकास, गुलउआ तालाब का विकास एवं म्युजिकल फाउटेन का निर्माण, धरोहर संरक्षण अंतर्गत कमानिया गेट एवं घंटाघर का कार्य आदि कार्य पूर्ण किये गये है। स्मार्ट रोड, स्मार्ट पोल एवं एलईडी लाईट रानीताल लेक डेवलपमेंट आदि के कार्य प्रचलन में है। 83 परियोजनाओं लागत राशि रू. 486.03 करोड़ के कार्य पूर्ण हो चुके है। 32 प्रोजेक्ट लगभग लागत राशि रू. 456.71 करोड़ के कार्य प्रचलन में है।

2.4 ग्वालियर स्मार्ट सिटी

योजनांतर्गत पार्कों का पुर्नविकास एवं सौन्दर्यीकरण, स्मार्ट क्लास रूम, शासकीय बिल्डिंग में सोलर रूफ टॉप, मल्टीलेवल पार्किंग, पुरातत्व धरोहर संरक्षण अंतर्गत मोतीमहल का रिस्टोरेशन आदि कार्य पूर्ण किये गये है। स्मार्ट रोड, स्मार्ट पोल एवं एलईडी लाईट, स्टार्टप के लिये इनक्युबेशन सेंटर आदि के कार्य प्रचलन में है। 41 परियोजनाओं लागत राशि रू. 390.43 करोड़ के कार्य पूर्ण हो चुके है। 11 प्रोजेक्ट लगभग लागत राशि रू. 550.66 करोड़ के कार्य प्रचलन में है।

2.5 उज्जैन स्मार्ट सिटी

योजनांतर्गत स्मार्ट क्लास रूम, स्मार्ट एलईडी लाईट, ओलपिक साईज स्वीमिंग पूल का निर्माण आदि कार्य पूर्ण किये गये है। महाकाल रूद्र सागर विकास परियोजना अंतर्गत महाकाल मंदिर के आस–पास के क्षेत्र का विकास, स्मार्ट रोड, सोलर रूफ टॉप, स्टार्टप के लिये इनक्युबेशन सेंटर आदि के कार्य प्रचलन में है। 43 परियोजनाओं लागत राशि रू. 652.48 करोड़ के कार्य पूर्ण हो चुके है। 43 प्रोजेक्ट लगभग लागत राशि रू. 353.99 करोड़ के कार्य प्रचलन में है।

2.6 सागर स्मार्ट सिटी

योजनांतर्गत स्मार्ट क्लास रूम, पार्कों का पुर्नविकास एवं सौन्दर्यीकरण, जंक्शन चौराहों का विकास आदि कार्य पूर्ण किये गये है। लाखा बंजारा लेक का पुर्नविकास एवं लेक फ्रंट डेवलपमेंट, स्मार्ट रोड, स्टार्टप के लिये इनक्युबेशन सेंटर आदि के कार्य प्रचलन में है। 46 परियोजनाओं लागत राशि रू. 384.26 करोड़ के कार्य पूर्ण हो चुके है। 29 प्रोजेक्ट लगभग लागत राशि रू. 651.52 करोड़ के कार्य प्रचलन में है।

2.7 सतना स्मार्ट सिटी

योजनांतर्गत स्मार्ट क्लास रूम, स्मार्ट एलईडी लाईट आदि कार्य पूर्ण किये गये है। लेक नेकटर विकास परियोजना, साइकिल ट्रेक, स्टार्टप के लिये इनक्युबेशन सेंटर आदि के कार्य प्रचलन में है। 28 परियोजनाओं लागत राशि रू. 194.43 करोड़ के कार्य पूर्ण हो चुके है। 44 प्रोजेक्ट लगभग लागत राशि रू. 745.36 करोड़ के कार्य प्रचलन में है।

3 अमृत मिशन

3.1 भारत सरकार, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 25 जून 2015 को एक लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में अधोसंरचना विकास हेतु अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) का शुभारम्भ किया गया है।

3.2 मिशन के अंतर्गत प्राथमिक रूप से शहरों में परिवारों को बुनियादी सेवायें (अर्थात जलापूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन, पार्क आदि) उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अधोसंरचना का सृजन किया जा रहा है, जिससे विशेष रूप से गरीबों और वांचितों सभी के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है।

3.3 प्रदेश में मिशन शहरों के अंतर्गत नागरिकों की सुविधा के लिए अमृत मार्गदर्शिका के अनुसार विभिन्न सर्विस लेवल बेंच मार्क प्राप्त किया जाना ।

3.4 अमृत परियोजना के घटकों में क्षमता निर्माण, शहरी सुधार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, शहरी परिवहन और हरित स्थल और पार्क शामिल हैं। आयोजना के दौरान, शहरी स्थानीय निकायों को भौतिक अवसंरचना घटकों में कुछ स्मार्ट विशेषताओं को शामिल करने का प्रयास किया गया है। मिशन घटकों का विवरण निम्नानुसार है :–

3.4.1 जलापूर्ति

3.4.1.1 प्रत्येक परिवार को निश्चित जलापूर्ति (135 LPCD) उपलब्ध कराना।

3.4.1.2 मौजूदा जलापूर्ति में वृद्धि करने, जल शोधन संयंत्रों और OHT पर मीटर लगाने।

3.4.1.3 शोधन संयंत्रों सहित पुरानी जलापूर्ति प्रणालियों का पुर्नस्थापन।

3.4.1.4 विशेषतया पेयजल आपूर्ति और भूमिगत जल पुनःभरण के लिए जलाशयों का पुर्नरूद्धार।

3.4.2 सीवरेज एवं सेप्टेज मैनेजमेंट

3.4.2.1 प्रत्येक परिवार को जल–मल निस्तारण के लिए सीवेज कनेक्शन सुलभ हो।

3.4.2.2 मौजूदा सीवरेज प्रणालियों और सीवेज शोधन संयंत्रों के संवर्धन सहित विकेन्द्रीकृत, नेटवर्कबद्ध भूमिगत सीवरेज।

3.4.2.3 पुरानी सीवरेज प्रणालियों और शोधन संयंत्रों का पुर्नस्थापना।

3.4.2.4 लाभकारी प्रयोजन के लिये शोधित जल का पुर्नचक्रण एवं अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग।

3.4.2.5 मल गाद प्रबंधन, कम लागत पर सफाई, परिवहन और शोधन।

3.4.2.6 सीवर और सेप्टिक टैंकों की यांत्रिकी और जैविक सफाई और प्रचालन की पूरी लागत वसूली।

3.4.2.7 सीवरेज परियोजनाओं को लागू करने में विशिष्ट घटकों जैसे– उर्जा उत्पादन, सोलर सेलों का उपयोग (जिससे अनुरक्षण एवं प्रबंधन व्यय में कमी की जा सके)।

3.4.3 लोक परिवहन सुविधा को बढ़ावा देना

3.4.3.1 गैर मोटरीकृत परिवहन (एन.एम.टी.) के लिये फुटपाथ, फुट ओव्हर ब्रिज का निर्माण।

3.4.3.2 बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण।

3.4.3.3 द्रुत बस परिवहन प्रणाली (BRTS)

3.4.4 वर्षा जल नालों का विकास

3.4.4.1 बाढ़ को कम करने और समाप्त करने के उद्देश्य से नालों एवं वर्षा जल नालों का निर्माण एवं सुधार।

3.4.5 हरित क्षेत्र एवं सुव्यवस्थित पार्कों का विकास

3.4.5.1 बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगों के लिए अनुकूल विशेष प्रावधानों के साथ हरित क्षेत्र एवं पार्कों का विकास, प्रबंधन के साथ पार्कों का निर्माण एवं उन्नयन।

3.4.5.2 पार्क में बच्चों के खेलने के लिये झूले आदि की व्यवस्था।

3.4.5.3 नागरिकों को पार्क भ्रमण के लिये वाकिंग ट्रेक (पाथ वे) का निर्माण।

3.4.5.4 निकाय को स्थानीय निवासी भागीदारी के साथ रखरखाव हेतु प्रणाली की स्थापना करना।

3.5 वित्तीय प्रबंधन

3.5.1 वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर 10 लाख एवं इससे अधिक जनसंख्या वाली नगरीय निकायों के लिये–

केन्द्रांश : 33 प्रतिशत, राज्यांश : 50 प्रतिशत, निकाय अंश : 17 प्रतिशत।

3.5.2 वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर 10 लाख से कम जनसंख्या वाली नगरीय निकायों के लिये–

केन्द्रांश : 50 प्रतिशत, राज्यांश : 40 प्रतिशत, निकाय अंश : 10 प्रतिशत।

3.5.3 अधोसंरचना विकास के हरित क्षेत्र एवं पार्क विकास घटक हेतु सभी मिशन शहरों के लिये–

केन्द्रांश : 50 प्रतिशत, राज्यांश : 40 प्रतिशत, निकाय अंश : 10 प्रतिशत।

3.6 अमृत मिशन 1.0 के अंतर्गत परियोजनाओं की प्रगति

3.6.1 मिशन अंतर्गत 33 शहरों में कुल 213 परियोजनाएं,राशि रू. 6686.97 करोड़ की स्वीकृत हैं, जिसमें 32 जलप्रदाय, 26 सीवरेज, 23 स्टार्म वाटर ड्रेन, 21 शहरी परिवहन एवं 111 हरित क्षेत्र विकास परियोजनाएं सम्मिलित हैं।

3.6.2 परियोजनाओं में से राशि रू. 4130.34 करोड की 175 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है, जिसमे से 29 जल प्रदाय, 15 सीवरेज, 20 स्टार्म वॉटर ड्रेन, 105 हरित क्षेत्र विकास एवं 6 शहरी परिवहन की योजनाएँ है मिशन अंतर्गत सभी परियोजना की राशि रू. 5294.21 करोड़ व्यय किया गया है।

3.6.3 प्रगतिरत 38 परियोजनाओ में से 31 परियोजनाएं जून 2023 एवं शेष 07 परियोजनाओं को जून 2024 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

3.6.4 अमृत मिशन के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं एवं उनकी प्रगति का विवरण **परिशिष्ट–चार** पर है।

4. अमृत – 2.0

4.1 भारत सरकार द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर 2021 को अमृत 2.0 मिशन प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत प्रदेश के समस्त 413 नगरीय निकाय एवं 05 छावनी परिषद को सम्मिलित किया गया है। मिशन अवधि मार्च 2022 से मार्च 2027 तक है। योजना अंतर्गत नगरीय निकायों में निम्न घटक अनुसार कार्य किया जाना है :–

4.1.1 जल स्त्रोतों का उन्नयन, जल शोधन संयत्र, जल शोधन प्रणाली, 24 x 7, गैर राजस्व जल में कमी।

4.1.2 सीवेज नेटवर्क, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, (तृतीयक शोधन सहित) अमृत 1.0 के चयनित शहरों में। (एक लाख से अधिक जनसंख्या के शहरों के लिये)

4.1.3 जल संरचना का परिशोधन एवं उन्नयन तथा हरित क्षेत्र विकास।

4.2 अमृत 2.0 मिशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राशि रू. 4580.93 करोड़ आवंटित किये जाने का प्रावधान किया गया है, जिसके मान से निकाय अंश तथा राज्यांश को सम्मिलित करते हुए, मिशन की कुल अनुमानित राशि रू. 12858.71 करोड़ है।

4.3 मिशन क्रियान्वयन हेत मंत्रि परिषद् से निम्नानुसार स्वीकृति प्राप्त की गई है :–

(राशि रू. करोड़ में)

क्र.	नगरीय निकाय का विवरण	केन्द्रांश	राज्यांश	निकायांश	कुल राशि
1	मिलियन प्लस शहर (4)	(@25%) 1285.56	(@ 58%) 2982.49	(@ 17%) 874.18	5142.23
2	एक से दस लाख के शहर (29)	(@ 33%) 1092.64	(@ 57%) 1887.28	(@ 10%) 331.10	3311.02
3	एक लाख से कम के शहर (374 नगरीय निकाय एवं 5 छावनी परिषद्) (379)	(@ 50%) 1666.79	(@ 45%) 1500.11	(@ 5%) 166.68	3333.58
4	रिफार्म एवं अन्य व्यय	(@ 50%) 535.94	(@ 50%) 535.94	-	1071.88
	कुल	**4580.93**	**6905.82**	**1371.96**	**12858.71**

4.4 कार्यों की प्रगति :–

क्र	ट्रेंच का नाम	परियोजनाओं की संख्या	SWAP (राशि रू. करोड़ में)	SLTC से स्वीकृति का परियोजना	
				परियोजनाओं की संख्या	डी.पी.आर. लागत (राशि रू. करोड़ में)
1	ट्रेंच–1	296 (वाटर सप्लाई)	2945.37	87	1324.4
2	स्पेशल ट्रेंच	89 (वाटरबॉडी रिजुविनेशन)	153.53	35	56.68
3	ट्रेंच–2	वाटर सप्लाई– 121 सीवरेज–7 वाटरबॉडी रिजुविनेशन–341 पार्क–390 कुल– 859	4157.31	2	376.28
			कुल	**124**	**1757.36**

5. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) – सबके लिए आवास

5.1 भारत सरकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का शुभारंभ दिनांक 25/06/2015 को किया गया था, इस योजना के अंतर्गत (भारत सरकार, राज्य सरकार, नगरीय निकाय एवं हितग्राही के सहयोग से) सभी शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराना है। योजनातंर्गत शहरी गरीबों को निम्न 4 घटकों के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराई जानी है:–

- ✓ स्व स्थाने स्लम पुर्नविकास (In-Situ Slum Redevelopment - ISSR)

- ✓ क्रेडिट से जुड़ी सब्सिडी के माध्यम से किफायती आवास (Credit Linked Subsidy Scheme - CLSS)
- ✓ भागीदारी में किफायती आवास (Affordable Housing in Partnership - AHP)
- ✓ लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिये सब्सिडी (Beneficiary Led Construction - BLC)

5.2 नगरीय निकाय अथवा राज्य की अन्य निर्माण एजेंसियां उक्त में से एक या एक से अधिक सभी विकल्पों पर योजना तैयार कर सकती है। योजनातंर्गत निम्नलिखित आय वर्ग के लोगों को लाभ दिया जाना हैः–

- ✓ आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लिये परिवार की वार्षिक आय राशि रू. 3,00,000 तक। (आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के परिवार योजना के समस्त घटक का लाभ प्राप्त करने की पात्रता रखते है)
- ✓ निम्न आय वर्ग के लिये परिवार की वार्षिक आय राशि रू. 3,00,001 से अधिक एवं राशि रू. 6,00,000 तक। (निम्न आय वर्ग के परिवार योजना के केवल CLSS घटक का लाभ प्राप्त करने की पात्रता रखते है)

5.3 योजनातंर्गत निम्नानुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही हैः–

क्रं.	योजना के विकल्प	केन्द्रांश	राज्यांश	पात्र हितग्राही
1	Beneficiary Led Construction - BLC	आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग (EWS) के हितग्राहियों को राशि रु. 1.50 लाख प्रति आवासीय इकाई	आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग (EWS) के हितग्राहियों को राशि रु. 1.00 लाख प्रति आवासीय इकाई	आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग (EWS)
2	Affordable Housing in Partnership - AHP	आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग (EWS) के हितग्राहियों को राशि रु. 1.50 लाख प्रति आवासीय इकाई	आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग (EWS) के हितग्राहियों को राशि रु. 1.50 लाख प्रति आवासीय इकाई	आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग (EWS)
3	Credit Linked Subsidy Scheme - CLSS	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) एवं निमन आय वर्ग (LIG) के लिए हितग्राही को 20 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए राशि रू. 6.00 लाख तक के गृह ऋण पर 6.5 प्रतिशत ब्याज अनुदान (Interest Subsidy) अधिकतम ब्याज अनुदान की राशि रु. 2.67 लाख	–	आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG)

क्रं.	योजना के विकल्प	केन्द्रांश	राज्यांश	पात्र हितग्राही
4	In-Situ Slum Redevelopment - ISSR	आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग (EWS) के हितग्राहियों को राशि रु. 1.00 लाख प्रति आवासीय इकाई	भूमि उपलब्ध कराई जाती है।	आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग (EWS)

5.4 योजना के बी.एल.सी. घटक अंतर्गत हितग्राहियों के द्वारा आवास का निर्माण स्वयं किया जाता है, जिसके निर्माण की औसतन अनुमानित लागत रू. 3.85 लाख प्रति आवास है। चयनित हितग्राहियों को राशि रु. 2.50 लाख प्रति आवास का अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें केन्द्रांश राशि रू. 1.50 लाख प्रति आवास तथा राज्यांश राशि रू. 1.00 लाख प्रति आवास सम्मिलित है।

5.5 अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (ए.एच.पी.) घटक अंतर्गत हितग्राहियों को निकायों के द्वारा आवासों का निर्माण कर प्रदान किया जा रहा है, इस घटक में कुल सहायता राशि रू. 3.00 लाख प्रति आवास है, जिसमें केन्द्रांश राशि रू. 1.50 लाख प्रति आवास तथा राज्यांश राशि रू. 1.50 लाख प्रति आवास सम्मिलित है।

5.6 योजनातंर्गत प्रदेश के 406 नगरीय निकायों की 1,927 परियोजनाओं में EWS श्रेणी की 7,84,913 (आर.ए.वाय. के 8,123 एवं एल.एच.पी. के 1,024 आवास सम्मिलित) आवासीय इकाईयां स्वीकृत की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त 1,65,782 हितग्राहियों को योजना के CLSS घटक से भी लाभान्वित किया गया है। स्वीकृत योजनाओं में CLSS को सम्मिलित करते हुए 6 लाख से अधिक आवासीय इकाइयों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है एवं शेष इकाइयों पर निर्माण की कार्यवाही प्रचलित है।

5.7 बी.एल.सी. घटक अंतर्गत स्वीकृत 7,25,590 आवासों के निर्माण में राशि रु. 3.85 लाख प्रति आवास के मान से लगभग रू. 27,935.22 करोड़ व्यय होगी, जिसमें केंद्र तथा राज्य की अनुदान राशि रूपपये 18,139.75 करोड़ स्वीकृत है। स्वीकृत अनुदान राशि में से राज्य द्वारा नगरीय निकायों को वर्तमान तक रु. 14,161.41 करोड़ प्रदान की जा चुकी है।

5.8 प्रदेश में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कई नवाचार किये गये हैं, जिसके फलस्वरूप योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश को 19/10/2022 को भारत सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है।

5.9 योजना के AHP घटक अंतर्गत निकायों के द्वारा हितग्राहियों को आवासों का निर्माण करके आवंटन किया जा रहा है, जिसके क्रियान्वयन हेतु शासकीय भूमि भू–स्वामी हक पर निशुल्क प्रदान की जा रही है। इस घटक अंतर्गत हितग्राहियों को उनके अंशदान की व्यवस्था हेतु बैंकों से ऋण प्राप्त करने की कठिनाई दूर करने के लिए त्रिपक्षीय अनुबंध के माध्यम से नगरीय निकायों की जिम्मेदारी पर हितग्राहियों को सुगमता पूर्वक ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। AHP घटक अंतर्गत नॉन–स्लम के हितग्राहियों के लिए भी राज्य के द्वारा राशि रु. 1.50 लाख की सहायता अब प्रदान की जा रही है, इस प्रकार AHP घटक के हितग्राहियों को कुल राशि रु. 3.00 लाख की सहायता प्राप्त हो रही है। मलिन बस्ती (स्लम) के हितग्राहियों को AHP घटक अंतर्गत निर्मित आवास मात्र राशि रू. 2.00 लाख के अंशदान में आवंटित किया जा रहा है।

5.10 इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री भवन एवं संनिर्माण कर्मकार आवास (नगरीय) योजना अंतर्गत निर्माण श्रमिको को AHP भवनों के लिए राशि रु. 1 लाख तक अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

5.11 योजना अंतर्गत प्रदेश में यह भी प्रयास किया गया है, कि आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के हितग्राहियों के लिए निर्मित की जा रही आवासीय इकाईयों के साथ निम्न आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग के हितग्राहियों के लिए भी आवासीय इकाईयों का निर्माण किया जाये, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के हितग्राहियों के सामाजिक स्तर में भी सुधार तथा निर्मित किये जाने वाले परिसर का संचालन/संधारण भी नियमित रूप से हो सके। निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के हितग्राहियों के लिए निर्मित की जा रहीं आवासीय इकाईयों से होने वाले आय से आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के हितग्राहियों को भी क्रॉस–सब्सिडी के विकल्प को भी ध्यान में रखा गया है।

5.12 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत भारत सरकार, आवासन और शहरी कार्य, मंत्रालय द्वारा भवन निर्माण की नवीन तकनीकों को प्रोत्साहित करने हेतु ग्लोबल हाउसिंग टेक्नालॉजी चौलेन्ज के अंतर्गत लाईट हाऊस प्रोजेक्ट चिन्हित किये गये थे, जिनमें से सम्पूर्ण देश में प्रदेश से इंदौर नगर एवं अन्य प्रदेशों के 5 नगरों का चयन किया गया है। इंदौर में प्री–फेब्रीकेटिड सेण्डविच पैनल सिस्टम तकनीक से 1,024 आवासों का निर्माण किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था। निर्माण की नवीन तकनीक के प्रोत्साहन में लाईट हाऊस प्रोजेक्ट–इंदौर की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो कि प्रदेश के छात्र शिक्षक व भवन निर्माण एजेंसी के प्रशिक्षण हेतु लाइव प्रयोगशाला के रूप में उपलब्ध है।

6 स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) मध्यप्रदेश

6.1 वर्ष 2014 से स्वच्छ भारत मिशन के प्रारम्भ से ही देश में सम्पूर्ण स्वच्छता क्रान्ति का प्रारम्भ हो गया था। जिसमें खुले में शौच से मुक्त, स्वच्छ भारत का सपना देश ने देखा था। मध्यप्रदेश ने स्वच्छता एक पूर्णकालिक विषय के रूप में स्थापित किया है। मध्यप्रदेश के सभी शहरों ने पिछले 05 सालों के दौरान अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास किए। नागरिकों को व्यक्तिगत शौचालय, सार्वजनिक शौच सुविधाएं, अपशिष्ट प्रबंधन आदि प्रयासों से मध्यप्रदेश में स्वच्छता जन आंदोलन का प्रारम्भ हुआ।

6.2 आज प्रदेश के शत प्रतिशत निकायों में नागरिक आवासों और प्रतिष्ठानों से वाहनों द्वारा कचरा संग्रहण व्यवस्था संचालित की जा रही है। नागरिक अपने घरों में कचरा दो, तीन चार भागों में अलग अलग करके ही कचरा संग्रह वाहन को दे रहे हैं। मिशन अंतर्गत चिन्हित परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय उपलब्ध कराने का प्राथमिक लक्ष्य था। इसके साथ ही देश में खुले में शौच से मुक्त होने के लिए वातावरण का निर्माण हुआ। खुले में शौच से मुक्ति का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक शौच सुविधाओं की उपलब्धता एक प्रमुख लक्ष्य थी, जिससे देश के स्वच्छता परिदृश्य में बदलाव आया। इसके अलावा कचरा प्रबंधन और साफ सफाई पर ध्यान देकर हमने शहरी नागरिकों के जीवन में स्वच्छता को एक जरूरत के रूप में स्थापित किया। स्वच्छ भारत मिशन ने अपशिष्ट प्रबंधन में काम करने वाले सफाई मित्रों के प्रति समाज का सोच बदला, जिससे उनके प्रति समाज में सम्मान और संवेदनशीलता का वातावरण निर्मित हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में हमने देश के सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने का संकल्प लिया है।

6.3 स्वच्छ भारत मिशन के प्रथम चरण में राज्यों और नागरिकों की सक्रिय सहभागिता से प्रोत्साहित होकर भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 लांच किया गया। जिसकी अवधि 01 अक्टूबर 2021 से 01 अक्टूबर 2026 तक है। इसके अंतर्गत प्रथम भाग में संपादित शेष स्वच्छता गतिविधियों के साथ स्वच्छता व्यवहारों को संस्थागत स्वरूप प्रदान करते हुए उन्हें संवहनीय बनाने का लक्ष्य रखा गया। इसके अंतर्गत आगामी वर्षों में शहरों को कचरा मुक्त बनाना, खुले में शौच से मुक्ति मानदंडों (ODF+, ODF++, Water+) पर स्थाई बनाए रखना और स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने हेतु नागरिकों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना होगा। मिशन के द्वितीय चरण का क्रियान्वयन पूर्णतः लक्ष्याधारित होगा।

6.4 **लक्ष्य**

6.4.1 स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)–2.0 के अंतर्गत प्रदेश में स्त्रोत पृथक्कीकरण, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट सहित कचरे के सभी भागों का पूर्ण प्रसंस्करण, प्लास्टिक अपशिष्ट और सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध रूप से कम करना और संपूर्ण लीगेसी वेस्ट को उपचारित करते हुए सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने हेतु लक्षित किया गया है।

6.5 स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)–2.0 के प्रमुख घटक

क्र.	घटक	प्रमुख बिंदु
01	संवहनीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	▪ 100 प्रतिशत ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन, सभी सार्वजनिक क्षेत्रों और शहरों को कचरा मुक्त बनाना। ▪ ठोस अपशिष्ट गतिविधियों के उचित प्रबंधन के माध्यम से शहर में वायु गुणवत्ता में सुधार। ▪ सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग में चरणबद्ध रूप से कमी।
02	संवहनीय स्वच्छता	▪ शहरों में खुले में शौच से मुक्त स्थिति को बनाए रखने हेतु संवहनीय प्रयास। ▪ नगरीय क्षेत्रों में अधिक आवाजाही वाले सार्वजनिक स्थानों, पर्यटन एवं धार्मिक महत्व के स्थानों पर आवश्यकता आधार पर सार्वजनिक शौच सुविधाओं का निर्माण। ▪ संपूर्ण स्वच्छता को लक्षित करते हुए मलजल का खुले में डिस्चार्ज, ओवर–फ्लो रोकना, मलजल का संग्रहण, परिवहन एवं सुरक्षित निष्पादन।
03	उपयोगित जल प्रबंधन	▪ सीवर्स, सेप्टिक टैंक की सफाई में सीधे मानव हस्तक्षेप को रोकना और मशीनों से सफाई को बढ़ावा देना। ▪ उपयोगित जल को जल संरचनाओं में जाने से पूर्व उपचार और पुर्नउपयोग हेतु सीवेज ट्रीटमेंट इकाई, नालों में इंटरसेप्शन व डायवर्जन, सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई मशीन आदि सुविधाओं का विकास।

04	सूचना, शिक्षा, संचार/व्यवहार परिवर्तन	▪ इस घटक में नागरिकों को अधिक से अधिक जोड़ने के लिए प्रयास करना है। इसके साथ ही सिटीजन वॉलंटियर की भूमिका को सशक्त किया जाना है। गतिविधियों को नागरिकों के व्यवहार परिवर्तन की संवहनीयता को लक्षित करते हुए क्रियान्वित किया जाना है। जिसमें स्त्रोत पृथक्कीकरण, स्वच्छता की जिम्मेदारी, स्वच्छता शिक्षा, सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभाव आदि के संबंध में प्रयास प्रमुख हैं।
05	क्षमता वर्धन	▪ सभी सहयोगियों, संस्थाओं, निकायों, प्रशासनिक अधिकारियों, संलग्न विभागों, सफाई मित्रों व अनौपचारिक सफाई कर्मियों के साथ अशासकीय संगठनों के प्रशिक्षण का प्रावधान भी क्षमतावर्धन घटक के अंतर्गत किया गया है। इनके अतिरिक्त सफाई कर्मियों के तकनीकी क्षमता की वृद्धि के लिए उन्हें नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी किया जाना आवश्यक है।

6.6 वित्तीय प्रावधान

6.6.1 स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के परियोजना अवधि के लिए कुल 4913.74 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जिसमें से 2200.20 करोड़ की राशि केन्द्रांश के रूप में एवं 1800.22 करोड़ राज्य का अंशदान होगा। ठोस व द्रव अपशिष्ट परियोजनाओं के क्रियान्वयन में नगरीय निकायों से राशि रू. 913.32 करोड़ का अंशदान अपेक्षित है। इस आधार पर मध्यप्रदेश को आवंटित होने वाली घटकवार राशि निम्नानुसार है :–

क्र.	इकाई/उपघटक	केन्द्रांश	राज्यांश	निकाय	कुल
1	शौचालय निर्माण – व्यक्तिगत, सार्वजनिक शौचालय एवं युरिनल्स	64.70	59.21	63.30	187.21
2	उपयोगित जल प्रबंधन	1229.50	983.60	245.90	2459.00
3	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	617.50	565.08	604.12	1786.70
4	सूचना, शिक्षा व संचार	192.00	128.00	0.00	320.00
5	क्षमता वर्धन	96.50	64.33	0.00	160.83
कुल प्रावधान		2200.20	1800.22	913.32	4913.74

 # व्यक्तिगत शौचालय की लागत प्रति इकाई 30 हजार के मान से, युरिनल हेतु 32000/– प्रति सीट एवं सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालय निर्माण लागत 1.5 लाख प्रति सीट, एस्पिरेशनल सामुदायिक शौचालय हेतु 2.5 लाख प्रति सीट के मान से।

6.7 भौतिक लक्ष्य

6.7.1 सभी शहर कचरा मुक्त श्रेणी के अंतर्गत 3 स्टार अथवा अधिक से प्रमाणित होंगे।

6.7.2 सभी शहर कम से कम ओडीएफ प्लस अथवा उच्च श्रेणी में प्रमाणित होगे।

6.7.3 01 लाख से कम जनसंख्या के सभी शहर ओडीएफ डबल प्लस प्रमाणित होंगे।

6.7.4 01 लाख से कम जनसंख्या के कुल शहरों में से कम से कम 50 प्रतिशत वॉटर प्लस से प्रमाणित होंगे।

6.8 स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की घटकवार अद्यतन प्रगति

6.8.1 शौचालय निर्माण – व्यक्तिगत, सार्वजनिक शौचालय एवं युरिनल्स

वर्ष 2014 से 2022 तक मिशन के लक्ष्यों में 7 लाख 31 हजार 971 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण शामिल किया गया। इस घटक के अंतर्गत नागरिकों की मांग के आधार पर उन्हेंव्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण के लिए निम्नानुसार अनुदान प्रदान किया जाता है :–

क्र	योजना का नाम	इकाई लागत	केन्द्रांश	राज्यांश	निकाय अंशदान	हितग्राही अंशदान
1	स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)–1.0	13600/–	4000/–	6880/–	1360/–	1360/–
2	स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)–2.0	30000/–	4000/–	11000/–	12000/–	3000/–

6.8.2 वर्ष 2023 तक व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण घटक में भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

413 निकायों में कुल स्वीकृत व्यक्तिगत शौचालय	निर्मित कुल व्यक्तिगत शौचालय	वर्ष 2023 के दौरान प्रगति	वर्ष 2023 के दौरान जारी राशि (लाख में)
687549	579642	533	**21.21**

6.8.3 सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों का निर्माण हेतु शहरों में प्रतिदिन आसपास के क्षेत्रों से आने वाली आबादी और शौचालय विहीन परिवारों और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में आने वाली जनसंख्या के लिए 24233 सीट के विरूद्ध 20426 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया। एसबीएम 2.0 में सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों निर्माण के लिए निम्नानुसार अनुदान प्रावधानित हैः–

क्र.	निकाय का श्रेणीकरण	केन्द्रांश	राज्य शासन अनुदान	निकाय अंशदान
1	10 लाख से अधिक जनसख्या वाले शहर	37500/-	37500/-	75000/-
2	1 से 10 लाख से अधिक जनसख्या वाले शहर	49500/-	49500/-	51000/-
3	1 से लाख से कम जनसख्या वाले शहर	75000/-	60000/-	15000/-

6.8.4 नगरीय क्षेत्रों में अधिक आवाजाही वाले सार्वजनिक स्थानों, पर्यटन एवं धार्मिक महत्व के स्थानों पर एस्पिरेशनल शौचालयों के निर्माण को लक्षित किया गया है। जारी वित्तीय वर्ष में 34नगरीय निकायों में एस्पिरेशनल श्रेणी के 154 सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किए गए हैं। जिसमें जनसंख्या वार अनुदान निम्नानुसार होगा :–

क्र.	निकाय का श्रेणीकरण	केन्द्रांश	राज्य शासन अनुदान	निकाय अंशदान
1	10 लाख से अधिक जनसख्या वाले शहर	62500/-	62500/-	125000/-
2	1 से 10 लाख से अधिक जनसख्या वाले शहर	82500/-	82500/-	85000/-
3	1 से लाख से कम जनसख्या वाले शहर	125000/-	100000/-	25000/-

6.8.5 प्रदेश के निकायों में वर्ष 2023 तक सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालयों के निर्माण की स्थिति निम्नानुसार है :–

413 निकायों में कुल स्वीकृत सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालय सीट संख्या	निर्मित कुल सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालय सीट संख्या	वर्ष 2022 के दौरान प्रगति
24,233	20,426	243

6.8.6 संवहनीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

6.8.6.1 इस घटक के अंतर्गत प्रदेश के 413 नगरीय निकायों में कचरा संग्रहण, परिवहन एवं प्रसंस्करण सुविधाओं के विकास के लिए निकायों को अनुदान दिया जाता है। इसके अंतर्गत निकायों की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना लागत का 58.3 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। शेष राशि निकाय अंशदान/जन निजी भागीदार का अंशदान होता है। निकायों में दैनिक आधार पर उत्सर्जित होने वाले कचरे का निपटान निर्धारित प्रक्रिया और मानदंडों के आधार पर किया जाता है। वर्ष 2022 में प्रदेश के 407 निकायों में सभी माध्यमों से 8.0 हजार टन कचरे का उत्सर्जन रिपोर्ट किया गया है जिसमें से निकायों द्वारा 6.50 हजार टन (81.25 प्रतिशत) कचरे का निपटान व प्रसंस्करण किया गया है। इसमें शहर की आबादी के अनुमान से 300 से 550 ग्राम प्रतिव्यक्ति कचरा उत्सर्जन के आधार पर कुल अपशिष्ट उत्सर्जन का आंकलन किया गया है, जिसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या के शहरों में 550 ग्राम, 1 से 10 लाख जनसंख्या शहरों में 450 और 1 लाख से कम जनसंख्या के शहरों में 300 ग्राम प्रतिव्यक्ति कचरा उत्सर्जन का अनुमान है।

6.8.6.2 इस घटक के अंतर्गत शत–प्रतिशत कचरा संग्रहण एवं स्त्रोत पृथक्कीकरण, परिवहन, समस्त गीले व सूखे कचरे का प्रसंस्करण, सेनेटरी लैंडफिल, निर्माण एवं ध्वंस अपशिष्ट मुख्य मद होंगे। बड़ी मात्रा में कचरा उत्सर्जक एवं निकायों में उपयोगकर्ता शुल्क को लागू करते हुए वसूली किया जाना लक्षित किया गया है। इस घटक में स्वीकृत परियोजनाओं में पांच वर्षो के लिये ओ एण्ड एम का प्रावधान अनिवार्य होगा। निकाय स्तर से CSWAP (City Solid Waste Action Plan) तैयार किये जायेगें। जनवरी वर्ष 2023 तक राशि रू. 307 करोड़ के प्रस्ताव– लीगेसी वेस्ट, सीएण्ड वेस्ट और रोड स्वीपिंग के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जा चुके है। इसके अंतर्गत निकायों की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना लागत 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिए 50 प्रतिशत, 1 से 10 लाख की जनसंख्या के लिए 66 प्रतिशत तथा 1 लाख से कम जनसंख्या वाले निकायों के लिए 90 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। शेष राशि निकाय अंशदान/जन निजी भागीदार का अंशदान होता है।

6.8.6.3 निकायों में उत्सर्जित होने वाले कचरे का निपटान निर्धारित प्रक्रिया और मानदंडों के आधार पर किया जाता है। वर्ष 2022–23 में प्रदेश के 413 निकायों में सभी माध्यमों से 8.13 हजार टन कचरे का उत्सर्जन रिपोर्ट किया गया है जिसमें से निकायों द्वारा 8.12 हजार टन (99 प्रतिशत) कचरे का निपटान व प्रसंस्करण किया गया है। इस मद में वित्तीय वर्ष के दौरान 2099 लाख का व्यय किया गया है। इसके अलावा निकायों द्वारा लीगेसी वेस्ट के वैज्ञानिक निपटान, और वर्तमान डंपसाइटस को सुरक्षित रूप से हटाए जाने या कचरे के वैज्ञानिक प्रसंस्करण के उपरांत भूमि वापस प्राप्त किए जाने की कार्यवाही निरंतर की जा रही है।

6.8.7 संवहनीय स्वच्छता एवं उपयोगित जल का उपचार

6.8.7.1 प्राकृतिक जल स्त्रोतों को सुरक्षित एवं संरक्षित रखना राज्य सरकार का दायित्व है, परंतु सेप्टिक टेंक से निकलने वाले स्लज एवं तरल अपशिष्ट प्राकृतिक जल स्त्रोतों के प्रदूषण के प्रमुख कारणों में एक है। जनगणना–2011 के आंकडो के अनुसार राज्य की नगरीय जनसंख्या 2.02 करोड़ है। इसके आधार पर राज्य में लगभग 40 लाख परिवार निवास करते है, इनमें से केवल 20 प्रतिशत परिवार सीवर नेटवर्क से जुडे हुये है, जबकि 52 प्रतिशत परिवार सेप्टिक टेंक व्यवस्था के अंतर्गत हैं। इन परिवारों के सेप्टिक टेंक से निकलने वाला फीकल स्लज एवं सेप्टेज के प्रबंधन की उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। परिणामस्वरूप प्राकृतिक जल स्त्रोत एवं भू–जल स्त्रोत के प्रदूषित होने की संभावना है। प्रदेश में फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन को मानक बनाए जाने के उददेश्य से कार्य नीति तैयार की गई। जिसके अंतर्गत सभी नगरीय निकायों को मडपंप/सक्शन पंप का प्रावधान करने और नागरिकों को हर तीन साल में अपने सेप्टिक टैंक की सफाई किए जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश के 355 निकायों में एफएसटीपी का निर्माण किया जा चुका है और अन्य निकायों में एफएसटीपी का निर्माण के लिए प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा लगभग 12 निकायों एसटीपी संचालित है।

6.8.7.2 स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)–2.0 के अंतर्गत उपयोगित अपशिष्ट जल प्रबंधन पर जोर दिया जाना है। इस हेतु प्राथमिक आवश्यकता के रूप में एक लाख से कम जनसंख्या के निकायों में अमृत योजना अंतर्गत चयनित सलाहकारों द्वारा डीपीआर तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है। इस हेतु 47 शहरों के सिटी सेनिटेशन एक्शन प्लान तैयार किये जा चुके है,इसके साथ ही भारत सरकार को 258 डिस्लजिंग वाहन क्रय करने के लिए 51.00 करोड़ का प्रस्ताव प्रेषित किए गए हैं।

6.8.8 जागरूकता एवं क्षमतावर्धन

6.8.8.1 नगरीय क्षेत्रों में जागरूकता गतिविधियों को नियमित संचालित किया जा रहा है। जिसमें स्वसहायता समूहों की सहभागिता, सिंगल यूज प्लास्टिक का निषेध, घरों से पृथक्कीकृत कचरा संग्रहण, होम कंपोस्टिंग आदि जैसे विषयों पर गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।

- जन जागरूकता गतिविधियों के आयोजन हेतु प्रदेश में रणनीति तैयार कर निकायों को उपलब्ध कराई गई है। निकायों की जनसंख्या वर्ष 2011 को आधार मानकर नगरीय निकायों को वित्तीय प्रावधान किए गए हैं।

- सभी नगरीय निकायों द्वारा आईईसी एक्शन प्लान तैयार कर वर्ष 2022–23 के लिए राशि रू. 51.20 करोड़ के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किए गए हैं। जिसके आधार पर कुल प्रस्ताव की 40 प्रतिशत राशि प्रथम किश्त के रूप में नगरीय निकायों को प्राप्त होगी।

- नगरीय निकायों के नोडल अधिकारियों, सफाई कर्मियों एवं सहयोगियों के लिए क्षमतावर्धन गतिविधियों के आयोजन की कार्यवाही जारी है। इस हेतु कार्ययोजना तैयार कर कार्यवाही की जाएगी।

6.8.9 वित्तीय प्रबंधन

6.8.9.1 स्वच्छ भारत मिशन 2.0 अंतर्गत प्रदेश को प्राप्त राशि की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है :–

(राशि रू. करोड़ में)

क्रमांक	घटक	भारत सरकार
1	व्यक्तिगत, सार्वजनिक शौचालय एवं युरिनल्स	64.70
2	उपयोगित जल प्रबंधन	1229.50
3	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	617.50
4	सूचना, शिक्षा व संचार	192.00
5	क्षमता वर्धन	96.50
	योग	**2200.20**

6.8.10 भौतिक लक्ष्यों के विरूद्ध प्रगति

कमांक	मिशन काल (2021–2026) के भौतिक लक्ष्य	वर्ष 2022–23 की प्रगति
1	कचरा मुक्त श्रेणी के अंतर्गत स्टार से प्रमाणीकरण	
	01 स्टार	74
	03 स्टार	23
	05 स्टार	01
	07 स्टार	01
2	ओडीएफ प्लस अथवा उच्च श्रेणी में प्रमाणीकरण	
	ओडीएफ प्लस प्रमाणित शहर	07
	ओडीएफ डबल प्लस प्रमाणित शहर	324
	वॉटर प्लस प्रमाणित निकाय	02

7 दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)

7.1 केन्द्र प्रवर्तित ''स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY)'' के स्थान पर 12वी. पंचवर्षीय योजना में शहरी गरीबों के उत्थान के लिए संशोधित नवीन योजना ''डे–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)''सितम्बर 2013 से लागू की गई है।

7.2 उद्देश्य

भारत सरकार, मध्यप्रदेश शासन एवं नगरीय निकायों के संयुक्त प्रयासों से शहरी गरीबों के उत्थान के लिए ''दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन'' का संचालन किया जा रहा है। यह मिशन क्षमता संवर्धन, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण, सामाजिक सुरक्षा तथा संस्थागत विकास के द्वारा शहरी गरीबों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मिशन के अन्तर्गत शहरी बेघरों को आश्रय तथा पथ विक्रेताओं के लिए हाकर्स कार्नर/वेंडर मार्केट विकसित किये जाते है। इसके साथ ही उन्हें विभिन्न विभागों की सामाजिक सेवाओं का लाभ भी प्रदान किया जाता है।

7.3 वित्तीय वर्ष 2022–23 से योजना प्रदेश के समस्त 413 नगरीय निकायों में संचालित है।

7.4 योजना के घटक :–

7.4.1 सामाजिक एकजुटता एवं संस्थागत विकास
(Social Mobilisation And Institution Development)

7.4.2 कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार
(Employment Through Skills Training And Placement)

7.4.3 स्वरोजगार कार्यक्रम
(Self-Employment Programme)

7.4.4 क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण
(Capacity Building & Training)

7.4.5 स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सहायता
(Support to Urban Street Vendors)

7.4.6 शहरी गरीबों के लिए आश्रय योजना
(Shelter For Urban Homeless)

7.4.7 अभिनव और विशेष परियोजना
(Innovative & Special project)

7.5 घटकवार विवरण एवं वर्षवार प्रगति

7.5.1 सामाजिक एकजुटता एवं संस्थागत विकास

घटक अंतर्गत समूहों की त्रिस्तरीय संगठनात्मक रचना की गई है। प्रथम स्तर पर 10 से 20 महिलाओं को मिलाकर स्व सहायता समूह का गठन किया जायेगा। द्वितीय स्तर पर 10–20 स्व सहायता समूहों के चिन्हित सदस्यों से एरिया लेवल फेडरेशन का गठन किया जायेगा। तृतीय स्तर पर 10–20 एरिया लेवल फेडरेशन के सदस्यों से सिटी लेवल फेडरेशन का गठन किया जायेगा। इस संघीय संरचना का उद्देश्य शहरी गरीब महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना है। इस संरचना से समूहों के निर्माण, हितग्राहियों की पहचान एवं भागीदारी, बैंक लिंकेज, निरंतर आजीविका, प्रशिक्षण, मार्केटिंग आदि में सहायता मिलेगी। उक्त क्रियाकलापों के क्रियान्वयन के लिये प्रत्येक शहर में शहरी आजीविका केन्द्र की स्थापना की जायेगी।

प्रगति

क्र	वर्ष	लक्ष्य	स्व–सहायता समूह गठन	समूह को प्रदान की गई आवर्ती निधि (रिवाल्विंग फंड) (रू. लाख में)	कुल बैंक ऋण (रू. लाख में)		
					बैंक ऋण	ब्याज अनुदान	योग (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2014–15	2500	1382	0.32	226.12	11.30	237.42
2	2015–16	3000	3870	113.60	529.10	26.45	555.55
3	2016–17	3000	3668	272.10	551.10	27.60	578.7
4	2017–18	12000	8514	529.90	1740.18	87.00	1827.18
5	2018–19	4000	5945	1433.90	2295.20	91.80	2387.00
6	2019–20	4000	3269	3000.00	2101.96	1954.83	2101.96
7	2020–21	1750	5177	202.80	1534.11	133.40	1667.51
8	2021–22	11000	10666	599.00	5066.99	440.6078	5507.598
9	2022–23 माह जनवरी	19740	9322	440.40	5349.53	80.73	5430.26
कुल योग		**60990**	**51813**	**6592.02**	**19394.29**	**2853.718**	**20293.18**

7.5.2 कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार

घटक अंतर्गत शहरी गरीबों को विभिन्न पाठ्यक्रमों (कोर्स) में कौशल प्रशिक्षण प्रदाय कर रोजगार/स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाता है। रोजगार एवं स्वरोजगार के लिए बाजार मांग को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण संपादित कराया जाता है। प्रशिक्षण तकनीकी एवं गैर–तकनीकी क्षेत्रों में किए जाते है। तकनीकी क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी, टेलीकॉम, आटो मोबाईल सेक्टर आदि आते है तथा गैर–तकनीकी क्षेत्र में ब्यूटीशियन, गारमेंट मेकिंग, रिटेल, नर्सिंग आदि आते है।

प्रमुख विशेषताएँ :

- न्यूनतम 200 घण्टे का कौशल प्रशिक्षण।
- भारत सरकार द्वारा अधिकृत शासकीय संस्थाओं ''एन.सी.व्ही.टी एवं सेक्टर स्किल कॉउन्सिल'' के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों का प्रमाणीकरण।
- कम से कम 70% प्रशिक्षित हितग्राहियों को रोजगार/स्वरोजगार में नियोजन।
- प्लेसमेंन्ट उपरांत 12 माह तक हितग्राहियों की ट्रेकिंग एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना।

प्रगति

क्र.	वर्ष	लक्ष्य	कुल प्रशिक्षित हितग्राही	नियोजित हितग्राही	नियोजन के प्रकार
1	2	3	4	5	6
1	2014–15	40000	1118	373	सूचना प्रौद्योगिकी, रिटेल, गारमेंट मैंकिग, नर्सिंग, बैंकिंग और अकाउन्टिग, ब्यूटिशियन, इलेक्ट्रानिक्स, आटोमोटिव, कन्सट्रक्शन, इलेक्ट्रिशियन, वूड वर्क, सिक्योरिटी, ट्यूरिज्म, टैलीकॉम इत्यादि
2	2015–16	40000	48535	9582	
3	2016–17	40000	40843	40035	
4	2017–18	49000	20620	5701	
5	2018–19	25000	45624	30420	
6	2019–20	41000	17722	5783	
7	2020–21	29900	22341	2523	
8	2021–22	52000	12407 (प्रशिक्षित) 73449(प्रशिक्षणरत)	2743	
9	2022–23 माह जनवरी	98760	8885(प्रशिक्षित) 75023 (प्रशिक्षणरत)	14012	
कुल योग		**415660**	**205688**	**111172**	

7.5.3 स्वरोजगार कार्यक्रम

घटक अंतर्गत हितग्राहियों को लघु उद्यमिता विकास, स्वरोजगार स्थापना, वित्तीय पोषण एवं उद्यमिता आधारित सेवायें, तकनीकी एवं बाजार व्यवस्था उपलब्ध करायी जाती है :–

- घटक अंतर्गत व्यक्तिगत हितग्राहियों को अधिकतम 2.00 लाख रूपये तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ऋण अंतर्गत 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर का भुगतान योजनांतर्गत अनुदान के रूप में हितग्राही के खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाता है।
- समूह ऋण के रूप में अधिकतम 10.00 लाख रूपये तक दिये जाने का प्रावधान है। ऋण अंतर्गत 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर का भुगतान योजनांतर्गत अनुदान के रूप में हितग्राही के खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाता है।

- स्व सहायता समूहों का बैंक लिंकेज किया जाता है। ऋण अंतर्गत 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर का भुगतान योजनांतर्गत अनुदान के रूप में हितग्राही के खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाता है। स्व सहायता समूहों को नियमित भुगतान पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाता है।

प्रगति

क्र.	वर्ष	लक्ष्य	लाभान्वित हितग्राही	कुल वितरित ऋण राशि (रू. लाख में)	
				ऋण राशि	ब्याज अनुदान सहायता
1	2	3	4	5	6
1	2014–15	12000	3245	2432.65	11.30
2	2015–16	12000	14327	9730.42	56.59
3	2016–17	12000	15466	1177.63	101.27
4	2017–18	30000	19570	16892.38	272.19
5	2018–19	16000	14393	15948.54	146.00
6	2019–20	10000	4859	5256.15	605.19
7	2020–21	5050	2111	2337.00	480.65
8	2021–22	12250	9019	10697.69	561.93
9	2022–23 माह जनवरी	16439	8353	11107.00	117.29
कुल योग		**125739**	**91343**	**75010.29**	**2346.6**

7.5.4 क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण

घटक अंतर्गत राज्य स्तर पर स्टेट मिशन मैनेजमेंट यूनिट तथा निकाय स्तर पर सिटी मिशन मैनेजमेंट यूनिट का गठन किया गया है। राज्य स्तर पर वर्तमान में 02 राज्य मिशन प्रबंधक, निकाय स्तर पर 143 सिटी मिशन प्रबंधक तथा 378 सामुदायिक संगठक कार्यरत हैं।

7.5.5 शहरी पथ विक्रेताओं की सहायता

घटक अंतर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को अपनी वस्तुओं के विक्रय हेतु बाजार उपलब्ध कराना तथा उचित स्थान यथा– हाकर्स कार्नर निर्माण व संधारण का प्रावधान है। पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण, पहचान पत्र तैयार करना, वेन्डर्स जोन बनाना, वेंडर मार्केट निर्माण करना, स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार स्थापित कराना, पथ विक्रेताओ को कौशल विकास प्रशिक्षण के अंतर्गत 1 से 2 दिन का प्रशिक्षण प्रदान करना एवं सामाजिक सुरक्षा सहायता उपलब्ध कराना। 9.39 लाख पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण किया गया है एवं 9.14 लाख को परिचय पत्र/विक्रय प्रमाण पत्र वितरित किये जा चुके हैं।

7.5.6 शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना

दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक शहरी बेघरों के लिये आश्रय अंतर्गत आश्रय स्थल का निर्माण 01 लाख से अधिक आबादी वाले शहर एवं पर्यटन, ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहरों में किया जाना है।

7.5.6.1 आश्रय स्थल में गरीबों को बुनियादी सुविधाओं जैसे हवादार कमरे, पलंग, गद्दा, तकिया, चादर, स्वच्छ पेयजल, पर्सनल लॉकर, मनोरंजन की सुविधा हेतु टी.वी., अखबार, पुस्तकें प्राथमिक उपचार किट, स्नानागार एवं शौचालय की सुविधा के साथ गर्मी के मौसम में बेघरों की सुविधा के लिए कूलर व वाटर कूलर की भी व्यवस्था की जाती है।

7.5.6.2 शीत ऋतु में ठंड में बचाव हेतु अलाव की व्यवस्था एवं सुरक्षा की दृष्टि से सी.सी.टी.वी. कैमरे भी लगाये जाते हैं।

7.5.6.3 वर्तमान में मध्यप्रदेश राज्य के 51 जिला मुख्यालयों व 1 लाख से अधिक आबादी वाले 4 नगरीय निकाय डबरा, इटारसी, नागदा एवं पीथमपुर अंतर्गत 119 आश्रय स्थल संचालित है।

7.5.6.4 शहरी गरीब व बेघर लोगों का ध्यान रखते हुए राज्य सरकार द्वारा निवाड़ी, सिरोंज, चित्रकूट, ओमकारेश्वर, महेश्वर, जबलपुर, साँची, अमरकंटक, भोपाल, खुरई, मंडीदीप, देवास, जावरा, नसरुल्लागंज, मलाजखण्ड, दमोह, मैहर, आरौन, राघौगढ़ एवं ओरछा अंतर्गत आश्रय स्थल निर्माण हेतु 20 आश्रय स्थलों के लिये कुल राशि रूपये 1269.19 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

7.5.7 वित्तीय व्यवस्था

योजनांतर्गत केंद्र सरकार की 60 प्रतिशत तथा राज्य सरकार 40 की प्रतिशत हिस्सेदारी है।

7.6 प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना (पीएम स्वनिधि)

कोविड–19 महामारी के दौरान शहरी नगरीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभावित वर्ग पथ विक्रेताओं को 10,000 रुपये की कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किये जाने हेतु भारत सरकार के द्वारा पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना (पीएम स्वनिधि) जुलाई 2020 से प्रारंभ की गई है।

7.6.1 उद्देश्य

1. रु. 10,000, रू. 20,000 एवं रू. 50,000 तक की कार्यशील पूंजी ऋण की सहायता।
2. नियमित भुगतान को प्रोत्साहित करना।
3. डिजिटल लेन–देन को बढ़ावा देना।

योजना से शहरी पथ विक्रेताओं को उपरोक्त उद्देश्यों से परिचित होने में मदद मिलेगी और इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे।

7.6.2 लाभार्थियों के लिए पात्रता मापदंड

7.6.2.1 यह स्कीम 24 मार्च, 2020 को एवं इससे पूर्व शहरी क्षेत्रों में वेंडिग कर रहे सभी पथ विक्रेताओं के लिए उपलब्ध है। पात्र विक्रेताओं की पहचान निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार की जाएगी :

1. ऐसे पथ विक्रेता जिनके पास शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग/पहचान पत्र है।
2. ऐसे विक्रेता जिन्हें सर्वेक्षण में चिह्नित कर लिया गया है परंतु सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग/पहचान पत्र जारी नहीं किया गया है।

7.6.2.2 योजना के ऐसे विक्रेताओं को अनंतिम सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग (प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग) आईटी आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से सृजित किया जाएगा। शहरी स्थानीय निकायों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे ऐसे विक्रेताओं को सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग एवं पहचान पत्र तत्काल एवं एक माह की अवधि के भीतर अनिवार्य रूप से जारी करें।

7.6.3 योजना के अंतर्गत लाभ

7.6.3.1 पात्र पथ विक्रेताओं को कार्यशील पूंजी ऋण 10 हजार, 20 हजार एवं 50 हजार रूपये

7.6.3.2 भारत सरकार द्वारा ब्याज अनुदान सहायता 7 प्रतिशत

7.6.3.3 7 प्रतिशत के अतिरिक्त शेष ब्याज अनुदान राज्य शासन द्वारा देय

7.6.3.4 डिजीटल पेमेन्ट पर कैशबैक का प्रावधान (प्रतिमाह 100 रूपये)

7.6.3.5 योजना अवधि जुलाई 2020 से मार्च 2024 तक है।

7.6.4 प्रगति एवं उपलब्धि

7.6.4.1 पी.एम. स्वनिधि योजना के प्रथम चरण (10 हजार रुपये ऋण राशि) अंतर्गत 5.21 लाख शहरी पथ विक्रेताओं को राशि रु. 521.67 करोड़ का ऋण वितरित कर देश में प्रथम स्थान पर है।

7.6.4.2 पी.एम. स्वनिधि योजना के द्वितीय चरण (20 हजार रुपये ऋण राशि) अंतर्गत 1.25 लाख शहरी पथ विक्रताओं को राशि रु. 249.50 करोड़ का ऋण वितरित कर देश में प्रथम स्थान पर है।

7.6.4.3 पी.एम. स्वनिधि योजना के तृतीय चरण (50 हजार रुपये ऋण राशि) अंतर्गत 4826 शहरी पथ विक्रताओं को राशि रु. 24.02 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान कर देश में तृतीय स्थान पर है।किया गया है।

7.6.4.4 इस प्रकार शहरी पथ विक्रेताओं के 6.53 लाख से अधिक ऋण प्रकरण (राशि रूपये 796.74 करोड़) वितरित कर देश में मध्यप्रदेश प्रथम स्थान पर है।

7.6.4.5 पी.एम. स्वनिधि योजनांतर्गत 5.22 लाख शहरी पथ विक्रेताओं डिजीटली ऑनबोर्ड किया जा चुका है एवं 2.45 लाख शहरी पथ विक्रेताओं द्वारा डिजीटली लेन–देन किया जा रहा है, आज दिनांक तक रूपये 4.24 करोड़ का कैशबैक प्राप्त हुआ है।

8 दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना–द्वितीय चरण

8.1 उददेश्य

राज्य के गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को सस्ती दरों पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के उददेश्य से राज्य के नगरीय क्षेत्रों में "दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना" संचालित की जा रही है।

8.2 कार्यक्षेत्र

"दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना" प्रथम चरण में 51 जिला मुख्यालयों में 56 केन्द्रों पर 07.04.2017 से आरम्भ की गई। द्वितीय चरण के अंतर्गत रसोई योजना का विस्तारण 52 जिला मुख्यालयों व 6 धार्मिक नगरों यथाः मैहर, ओमकारेश्वर, महेश्रवर, अमरकंटक, ओरछा व चित्रकूट अंतर्गत कुल 100 रसोई केन्द्रों का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 26 फरवरी, 2021 को सम्पन्न किया जायेगा।

8.3 योजना के अन्तर्गत लाभ

योजना के माध्यम से नगरीय क्षेत्रों में व्यवसाय एवं श्रम कार्यों हेतु ग्रामीण क्षेत्रों से गरीब परिवारों के सदस्यों को स्वच्छ, सस्ता एवं पौष्टिक भोजन दस रूपये प्रति व्यक्ति की दर से दोपहर के समय उपलब्ध कराया जायेगा।दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजनांतर्गत दिन का भोजन दर रूपये 10/– प्रति व्यक्ति के हिसाब से प्रदान किया जा रहा है। रसोई केन्द्रों के संचालन हेतु 5/– रूपये प्रति थाली के हिसाब से अनुदान दिया जाता है। साथ ही 1 रू. प्रति किलो के मान से कच्चा राशन उपलब्ध कराया जाता है।

8.4 प्रगति :–

8.4.1 दिनांक 26 फरवरी, 2021 से दिनांक 07 मार्च, 2022 तक 1 करोड़ से अधिक लोगों को रसोई केन्द्रों के माध्यम से भोजन वितरित किया गया है।

8.4.2 लॉकडाऊन के दौरान दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से दिनांक 27 जून, 2021 तक 27.19 लाख लोगों को रसोई योजना के माध्यम से भोजन वितरित किया गया।

8.4.3 ''दीनदयाल अन्त्योदय रसोई योजना'' अंतर्गत संचालित 100 रसोई केन्द्रो में 2022–23 में 71 लाख 28 हजार 690 थाली भोजन लोगों को उपलब्ध कराया गया।

(ब) राज्य योजनाएं

1. मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना

1.1 प्रदेश के शहरों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिये मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना वर्ष 2012 से प्रांरभ की गई है। योजना के अंतर्गत 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिये परियोजना लागत का 20 प्रतिशत एवं 50,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों के लिये परियोजना लागत का 30 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा अनुदान दिया जाता है। शेष 80 प्रतिशत एवं 70 प्रतिशत राशि की पूर्ति नगरीय निकायों द्वारा ऋण लेकर की जाती है, जिसमें ऋण का 75 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा एवं 25 प्रतिशत नगरीय निकाय द्वारा भुगतान किये जाने की व्यवस्था है।

1.2 निकायों द्वारा ऋण हुडको से लिया जायेगा जिसकी प्रतिभूति राज्य शासन द्वारा राशि रू. 1000.00 करोड़ की प्रदान की गई है। इसी प्रकार बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से ऋण लिये जाने हेतु भी राशि रू. 500.00 करोड़ एवं 260.24 करोड़ की अतिरिक्त शासकीय प्रत्याभूति प्रदान की गई है। इस प्रकार इस योजना हेतु कुल राशि रू. 1760.24 करोड़ की शासकीय प्रत्याभूति प्रदान करने की स्वीकृति प्राप्त है। योजना अन्तर्गत वर्तमान में 154 नगरीय निकायों की कुल योजना राशि रू. 2091.42 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में 54

1.3 नगरों की पेयजल योजना के लिये अनुदान राशि रू. 132.25 करोड़, वर्ष 2013–14 में राशि रू. 90.00 करोड़, वर्ष 2014–15 में प्रावधानित राशि रू. 139.00 करोड़ एवं वर्ष 2015–16 में राशि रू. 76.00 करोड़ एवं वर्ष 2016–17 में राशि रू. 106.92 करोड़, वर्ष 2017–18 में राशि रू. 27.70 करोड़, वर्ष 2018–19 में राशि रू. 4.41 करोड़, वर्ष 2019–20 में राशि रू. 7.20 करोड़ एवं वर्ष 2020–21 में राशि रू. 2.06 करोड़ नगरीय निकायों को जारी किया गया है। वर्तमान तक स्वीकृत 154 नगरीय निकायों में से 135 नगरीय निकायों की पेयजल योजनाओं का कार्य पूर्ण, 17 नगरीय निकायों में योजना का कार्य प्रगति पर है तथा शेष 02 नगरीय निकायों में योजना के क्रियान्वयन की कार्यवाही प्रचलित है। विवरण **परिशिष्ट–पांच** पर है।

2. मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना

राज्य शासन द्वारा नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास के लिए मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना 2012 से प्रारंभ की गई है। योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में सड़क, शहरी यातायात, सौन्दर्यीकरण, सामाजिक अधोसंरचना विकास एवं उद्यान, धरोहर संरक्षण आदि कार्य कराया गया है।

2.1 प्रथम चरण

2.1.1 योजना के प्रथम चरण अंतर्गत लागत रू. 1428.00 करोड़ थी, जिसमें 30 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी गयी है एवं शेष 70 प्रतिशत राशि की पूर्ति नगरीय निकायों द्वारा हुडको से ऋण लेकर की गयी है।इस ऋण का 75 प्रतिशत राशि का पुनर्भुगतान राज्य शासन द्वारा 15 वर्षों में ब्याज की राशि सहित एवं शेष 25 प्रतिशत राशि का पुनर्भुगतान ब्याज की राशि सहित 15 वर्षों में नगरीय निकायों द्वारा किया जाना प्रावधानित है। योजना पूर्ण हो चुकी है।

2.2 द्वितीय चरण

2.2.1 मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना का द्वितीय चरण,रू. 1519.00 करोड़ वर्ष 2016 में स्वीकृति हुई। योजना में स्वीकृत राशि का 20% अनुदान के रूप में राज्य शासन द्वारा एवं 80% प्रतिशत, ऋण के रूप में मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के माध्यम से राष्ट्रीयकृत बैंको द्वारा नगरीय निकायों को उपलब्ध कराया जा रहा है। ऋण का 75 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा 15 वर्षों में ब्याज की राशि सहित एवं शेष 25 प्रतिशत ब्याज की राशि सहित 15 वर्षों में नगरीय निकायों द्वारा पुर्नभुगतान किये जाने की व्यवस्था है।

2.2.2 योजना के द्वितीय चरण अंतर्गत 382 परियोजनाएं स्वीकृत हैं, जिसमें 11 नगरो को मिनी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित कराने का कार्य भी इसी योजना के तहत किया जा रहा है। योजनांतर्गत 382 परियोजनाओं में से 237 परियोजनाओं में कार्य पूर्ण हो चुके हैं, तथा शेष 145 परियोजनाओं में कार्य प्रगतिरत हैं।

2.3 तृतीय चरण

2.3.1 मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना तृतीय चरण की स्वीकृति मंत्रि–परिषद के आदेश दिनांक 16.01.2020 से रू. 536.00 करोड़ की प्रदान की गई है। योजना को मंत्रि–परिषद के आदेश दिनांक 26.02.2021 से 04 वर्षों के स्थान पर 02 वर्षो के लिये पुनरीक्षित किया गया है। योजना में स्वीकृत राशि का 20 प्रतिशत अनुदान के रूप में राज्य शासन द्वारा एवं 80 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में म.प्र. अर्बन डवलपमेंट कंपनी के माध्यम से नगरीय निकायों को उपलब्ध कराया जाना प्रावधानित है। ऋण का 75 प्रतिशत अंश एवं इसमें लगने वाले ब्याज का पुनर्भुगतान राज्य शासन द्वारा तथा शेष 25 प्रतिशत अंश एवं उसमें लगने वाले ब्याज का पुनर्भुगतान नगरीय निकायों द्वारा किया जाना है।

2.3.2 योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों में निम्नानुसार कार्य कराये जा रहे है –

2.3.2.1 निकायों की आय वृद्धि के लिए आवश्यक अधोसंरचना कार्य।

2.3.2.2 सड़कों को पक्का किया जाना एवं नालियों का निर्माण।

2.3.2.3 पार्कों तथा हरित क्षेत्रों का विकास।

2.3.2.4 स्टार्म वाटर ड्रेन का निर्माण।

2.3.2.5 स्मार्ट रोड बनाने का कार्य।

2.3.2.6 नवगठित एवं अन्य नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास कार्य।

2.3.2.7 योजना में निकायों की पात्रता निम्नानुसार है :–

(राशि रु. करोड़ में)

स.क्र.	निकाय	प्रति निकाय	कुल राशि	राज्य का अंशदान 20%	वित्तीय संस्थाओं से ऋण 80%
1	**नगर पालिक निगम**				
	भोपाल एवं इन्दौर	10.00	20.00	4.00	16.00
	ग्वालियर एवं जबलपुर	08.00	16.00	3.20	12.80
	उज्जैन	06.00	6.00	1.20	4.80
	शेष 11 नगर निगम	03.00	33.00	6.60	26.40
2	नगर पालिका(above 1.00 lakh) 17 Nos.	02.00	34.00	6.80	27.20
	नगर पालिका (Below 1.00 lakh) 81Nos.	01.50	121.50	24.30	97.20
3	नगरपरिषद 264 Nos.	0.75	198.00	39.60	158.40
4	नवगठित निकायें		30.00	30.00	0.00
5	राज्य शासन की घोषणायें		71.50	14.30	57.20
6	प्रशिक्षण एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु थर्ड पार्टी		6.00	6.00	0.00
	कुल योग		**536.00**	**136.00**	**400.00**

2.3.3 वर्तमान में योजनांतर्गत कुल 405 निकायों में 428 परियोजनाओं हेतु कुल राशि रू. 527.50 करोड़ स्वीकृत की गई है। कुल स्वीकृत परियोंजनाओं में से 36 परियोजनायें पूर्ण हो चुकी हैं एवं शेष परियोजनाओं में कार्य प्रगतिरत है। **परिशिष्ट–छः** पर है।

2.4 मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना

2.4.1 मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना राज्य शासन के आदेश क्र. एफ–10–07/2022/18–2 दिनांक 20.05.2022 से 02 वर्षों (2022–23 एवं 2023–24) के लिये लागत रू. 800.00 करोड़ की स्वीकृत की गई है। योजनांतर्गत राज्य शासन द्वारा चिन्हित अधोसंरचना विकास के विभिन्न कार्य स्वीकृत किये जाते है। वित्त वर्ष 2022–23 में विभिन्न नगरीय निकायों के लिये कुल राशि रू. 388.57 करोड़ के कार्य स्वीकृत किये जाकर प्रगतिरत हैं।

3. झीलों एवं तालाबों के संरक्षण एवं संवर्धन

3.1 माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्ष 2012 में प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली झीलों एवं तालाबों को प्रदूषण मुक्त करने संबंधित निर्देश दिये गये थे। इसी के अनुपालन में प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में स्थित झीलों एवं तालाबों को प्रदूषण मुक्त करने तथा इसके संरक्षण, संवर्धन एवं विकास कार्य हेतु एक कार्ययोजना बनाने के लिये नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को नोडल एजेंसी घोषित किया गया। प्रदेश के नगरीय निकायों में झीलों एवं तालाबों के बेहतर संरक्षण हेतु माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा झीलों एवं तालाबों का संरक्षण एवं विकास प्रारंभ करने की घोषणा की गई, जिसके अनुक्रम में दिनांक 13.01.2014 को विभाग द्वारा योजना के क्रियान्वयन के संबंध में निति का निर्धारण कर अनुमोदन किया गया। योजना का वित्तीय पोषण निर्धारित किया गया है:–

क्र.	निकाय प्रकार	राज्य शासन द्वारा दिये जाने वाले अनुदान का प्रतिशत	निकाय का अंश
1	नगर निगम	60%	40%
2	नगर पालिका	75%	25%
3	नगर परिषद्	90%	10%

3.2 योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में झीलों एवं तालाबों की सीमा में होने वाले कटाव को रोकने संबंधी कार्य, झीलों एवं तालाबों के आसपास बाउंड्री वॉल बनाना, सघन वृक्षारोपण तथा लॉन विकसित करना, पेवमेंट, लैम्प तथा फव्वारों की स्थापना, अपशिष्ट जल को रोकने/शोधन हेतु किफायती प्रयास जैसे रूटझोन ट्रीटमेंट व्यवस्था, झील एवं तालाबों के किनारे नाली/सीवर पाईप द्वारा अपशिष्ट जल को रोकना, संबंधित कार्य किये जाना निर्धारित किया गया है।

3.3 झीलों एवं तालाबों के संरक्षण एवं विकास योजना अंतर्गत वर्ष 2013–14 से वर्ष 2022–23 तक 41 नगरों की योजनायें राशि रू. 104.46 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई। स्वीकृत योजनाओं को पूर्ण करने के लिये नगरीय निकायों को निर्धारित अनुपात में राज्यांश राशि रू. 73.90 करोड़ का अनुदान जारी किया जा चुका है। योजनांतर्गत लगभग 16 नगरीय निकायों के झीलों एवं तालाबों के संरक्षण कार्य पूर्णता की ओर है। शेष 25 नगरीय निकायों की योजनाओं के कार्य प्रगतिरत है।

3.4 योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का शहरवार विवरण **परिशिष्ट–सात** पर है।

4. एकमुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

4.1 इसके अंतर्गत प्रदेश की नगरीय निकायों को विभिन्न परियोजनाओं के लिये एक मुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की जाती है, जिसमें परियोजना की 70 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा एवं 30 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है।

4.2 एकमुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत 11 नगरीय निकायों की योजना राशि रू. 157.45 करोड़ की स्वीकृत की गई है तथा इन नगरीय निकायों को कुल राशि रू. 146.30 करोड़ मुक्त की जा चुकी है। 11 निकायों की जलप्रदाय योजनाओं का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। विवरण **परिशिष्ट– आठ** पर है।

5. विशेष निधि से वित्त पोषित नगरों की सीवरेज परियोजना

4.1 नर्मदा एवं अन्य महत्वपूर्ण नदियों में शहरी सीवरेज से होने वाले प्रदूषण को रोकने के दृष्टिगत सीवरेज परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये वित्त व्यवस्था म.प्र. शासन के विशेष निधि के अंतर्गत प्रस्तावित की गई है ।

5.2 परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित अधोसंरचना कार्यो में 07 नगरों में मलजल निस्तारण की योजना प्रस्तावित है ।

5.3 प्रस्तावित मल जल निस्तारण एवं उपचार योजनाओं में नर्मदा नदी के किनारे स्थित नगर क्रमशः बुधनी, नेमावर, अमरकंटक डिण्डोरी, मण्डलेश्वर, ओंकारेश्वर एवं इनके अतिरिक्त मंदाकिनी नदी के शुद्धीकरण हेतु चित्रकूट नगर सीवरेज परियोजनाओं में कार्य प्रगति पर है। योजना अंतर्गत 01 नगरीय निकाय की सीवरेज परियोजना के कार्य पूर्णता की ओर है। शेष 06 निकायों में कार्य प्रगतिरत है।

5.4 परियोजना की कुल लागत रू. 199.43 करोड़ है ।

5.5 योजना का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश अर्बन डेवलमेंट कंपनी द्वारा किया जा रहा है ।

(स) बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं

1. एशियन डेवलपमेंट बैंक से वित्त पोषित मध्यप्रदेश नगरीय सेवाओं का उन्नयन कार्यक्रम

1.1 अन्य वित्तीय स्त्रोतों से छूटे हुए 131 नगरीय क्षेत्रों में मुख्यत जल प्रदाय, पर्यटन/धरोहर/धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 09 नगरों में सीवरेज व्यवस्था एवं उपचार की योजना तथा 4 नगरो में एकीकृत नगरीय निकाय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से ऋण सहायता लेते हुए नव्यप्रदेश नगरीय सेवाओं का उन्नयन कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है।

1.2 परियोजना के अंतर्गत कुल 131 नगरों की जल प्रदाय योजनाएं प्रस्तावित है, जिसमें प्रथम चरण में 64 नगरों की जल प्रदाय योजनाएं तथा द्वितीय चरण में शेष 67 नगरों की जलप्रदाय योजनाए ली जा रही है। साथ ही परियोजना के प्रथम चरण में 4 नगरीय निकायों तथा द्वितीय चरण में 5 नगरीय निकायों की मलजल निस्तारण एवं उपचार योजनाएं प्रस्तावित है। उपरोक्त के अतिरिक्त द्वितीय चरण (AF) में 4 नगरो को एकीकृत विकास योजना के लिए भी शामिल किया गया है।

1.3 परियोजना की कुल अनुमानित लागत रु 5400 करोड़ अर्थात् 785 मिलियन यू.एस. डॉलर है। परियोजना में सम्मिलित नगरों को 30 प्रतिशत राज्य का अनुदान तथा 70 प्रतिशत एशियन डेवलपमेंट बैंक से ऋण उपलब्ध होगा।

1.4 एशियन डेवलपमेंट बैंक से प्राप्त ऋण के 75 प्रतिशत अंश एवं उसके ब्याज का पुनर्भुगतान राज्य शासन द्वारा तथा शेष राशि एवं ब्याज का पुनर्भुगतान संबंधित निकाय द्वारा किया जाएगा।

1.5 योजना के चरण के अन्तर्गत 64 नगरीय निकायों की जलप्रदाय योजना योजना एवं 4 मलजल योजना की डीपीआर तैयार की गई। एशियन डेवलपमेंट बैंक से अनापत्ति प्राप्त कर 22 पैकेजों के अंतर्गत 64 नगरीय निकायों की जलप्रदाय एवं पैकेज के अन्तर्गत 4 निकायों की गलजल की व्यवस्था हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई है। इनमें 26 पैकेजों के कार्यादेश (कुल लागत लगभग 2538.27 करोडं) साधिकार समिति सह कार्यकारी समिति के अनुमोदन उपरांत विभिन्न ठेकेदार फमों को जारी कर दिये गये हैं। योजनान्तर्गत 01 नगरीय निकायों की परियोजना पूर्ण एवं जल प्रदाय प्रारंभ किया जा चुका है. तथा 21 नगरीय निकायों को जल प्रदाय परियोजनाओं का ट्रायल रन किया जा रहा है।

1.6 योजना के द्वितीय चरण अंतर्गत 67 नगरीय निकायों की जल प्रदाय योजना, 5 मलजत योजना तथा 4 नग एकीकृत शहरी विकास योजना की डीपीआर तैयार की गई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक अनापत्ति प्राप्त कर 42 पैकेजो में से सभी 35 पैकेजो के अतर्गत 66 नगरीय निकायों की जल प्रदाय 5 नग सीवरेज स्कीम तथा 2 नग एकीकृत विकास योजना व्यवस्था हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। इनमें 27 पैकेजों के कार्यादेश (कुल लागत लगभग रूपये 1402.20 करोड़) साधिकार समिति सह कार्यकारी समिति के अनुमोदन उपरांत विभिन्न ठेकेदार फर्मों को जारी कर दिये गये है।

1.7 मप्र नगरीय सेवाओं का उन्नयन कार्यक्रम के अंतर्गत क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यों के पर्यवेक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिए पी.एम.सी (परियोजना प्रबंधन सलाहकार फर्म) फर्म मेसर्स टाटा कन्सलटंग इंजीनियर्स लिमिटेड का चयन कर फार्म के साथ अनुबध निष्पादित किया गया है। फर्म के द्वारा अपना कार्यालय स्थापित कर कार्य किया जा रहा है।

1.8 एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ दिनांक 19 जून 2017 को प्रथम चरण का ऋण अनुबंध निष्पादित किया जा चुका है। परियोजना का क्रियान्वयन अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जा रहा है।

1.9 एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ द्वितीय चरण हेतु दिनाक 12 अक्टूबर 2020 को ऋण अनुबंध निष्पादित किया है। परियोजना का क्रियान्वयन म.प्र. अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जा रहा है।

1.10 म.प्र. नगरीय सेवाओं का उन्नयन कार्यक्रम के अंतर्गत क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यों के पर्यवेक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण के लिए पी. एम. डी. एस. सी. (परियोजना प्रबंधन आकल्पन एवं पर्यवेक्षण सलाहकार) हेतु M/s SMEC International pvt. Ltd. कि नियुक्ति की गई है। फर्म के द्वारा कार्यालय स्थापित कर कार्य प्रारंभ किया जा रहा है।

2. विश्व बैंक से वित्त पोषित मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट परियोजना

2.1 नर्मदा एवं अन्य महत्वपूर्ण नदियों में शहरी सीवरेज से होने वाले प्रदूषण को रोकने की दृष्टि से सीवरेज परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए एवं अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय स्त्रोतों से छूटे हुए नगरों की जलप्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विश्व बैंक के वित्त पोषण (ऋण) से मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया गया है।

2.2 परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित अधोसंरचना कार्यों में 7 नगरों में मल जल निस्तारण एवं उपचार तथा 3 नगरों में जलप्रदाय योजना प्रगतिरत है।

2.3 प्रस्तावित मल जल निस्तारण योजनाओं में नर्मदा नदी के किनारे एवं नर्मदा नदी को सीधे प्रभावित करने वाले 4 नगर क्रमशः भेडाघाट, नसरुल्लागंज, महेश्वर, धरमपुरी तथा 3 अन्य महत्वपूर्ण नगर क्रमशः शाजापुर, छिंदवाडा, शहडोल सम्मिलित है।

2.4 जल प्रदाय योजना बुरहानपुर, खरगौन एवं सेवढ़ा में प्रगतिरत है।

(द) अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं/कार्यक्रम

1 आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश

1.1 आत्मानिर्भर मध्य प्रदेश – रोडमैप 2023 अंतर्गत विभाग द्वारा भौतिक अधोसंरचना समूह में 5 आउट–कम अंतर्गत 18 आउट–पुट के मधायम से कुल 36 गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है। नगरीय विकास एवं आवास विषय संबंधी अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन कुल 121 उप–गतिविधियों को दिसंबर 2020 से दिसंबर 2023 तक तीन वर्ष के अंतराल में पूर्ण किये जाने हेतु लक्षित किया गया है।

1.1.1 पाँच आउट–कम में प्रमुख रूप से समावेशी शहरी विकास अंतर्गत शहरी गरीबों के उत्थान की रोजगारमूलक योजनाओं के साथ उनके कौशल विकास को प्रमुखता से शामिल किया गया है। तीन लाख शहरी गरीबों को आवास प्रदाय एवं किराये के आवास मुहैया करने तथा रात्रिकालीन आश्रयों के सुदृढ़ीकरण हेतु लक्षय रखा गया है।

1.1.2 पर्यावरण सहयोगी संवहनीय विकास के अंतर्गत प्रदेश के शहरों में साफ सफाई, सीवरेज तथा वायु गुणवत्ता के विषयों को समेकित किया गया है।

1.1.3 शहरी सुशासन की रणनीति मुख्य रूप से नियमों और अधिनियमों में व्यापक सुधार प्रस्तावित कर नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति को सुदृण करने के उपायों पर केंद्रित है।

1.1.4 इसी अनुक्रम में शहरी सेवा प्रदाय गुणवत्ता के आउट–कम अंतर्गत सूचना प्रौधोगिकी का उपयोग कर जनसामान्य को सहज एवं पारदर्शी सेवायें उपलब्ध कराने का प्रयास किये जाने हेतु लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं।

1.1.5 शहरी जलप्रदाय एवं वर्षाजल निकास के मानक मानदण्डों को प्राप्त करने तथा बस आधारित जन–परिवहन के विस्तार हेतु भी रोड–मैप में लक्षित किया गया है।

1.1.6 विभाग द्वारा **नगरीय नियोजन** के अंतर्गत GIS आधारित मास्टर प्लान तैयार किये जाने, TOD/TDR को लागू किये जाने तथा भवन निर्माण अनुमति के साथ टाउन प्लानिंग की ई–सेवाओं का एकीकरण हेतु लक्ष्य नियत किये गये है।

1.2 अल्प–कालीन लक्ष्यों के अनुरूप विभागीय क्रियान्वयन की स्थिति

1.2.1 आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश रोड–मैप 2023 अंतर्गत प्रस्तावित लक्ष्यों के अनुरूप विभाग द्वारा दिसंबर 2020 से दिसबंर 2022 तक की कालावधि में विभिन्न गतिविधियों व उप–गतिविधियों में विभाग द्वारा की गई प्रगति का विवरण निम्नानुसार हैः–

विषयः– नगरीय विकास एवं आवास	उप–गतिविधियां (121)									
आउट–कम (5) आउट–पुट (18)	**अल्पकालीन (मार्च 2021 तक)**			**मध्यकालीन (मार्च 2022 तक)**			**दीर्घकालीन (दिसंबर 2023 तक)**			**कुल**
	कुल	**पूर्ण**	**प्रचलित**	**कुल**	**पूर्ण**	**प्रचलित**	**कुल**	**पूर्ण**	**प्रचलित**	
1. समावेशी शहरी विकास (10)	17	17	0	8	8	0	11	7	**4**	36
2. पर्यावरण सहयोगी संवहनीय विकास (7)	10	9	1	7	4	3	7	3	**4**	24
3. नगरीय सुशासन हेतु कानूनी और राजकोषी सुधार (8)	12	12	0	4	2	2	4	2	**2**	21
4. शहरी सेवा प्रदाय (9)	15	14	1	9	6	3	10	4	**6**	33
5. नगरीय नियोजन के माध्यम से शहरी अर्थव्यवस्था में सुधार (2)	3	3	0	2	2	0	2	1	**1**	7
कुल गतिविधियाँ (36)	**57**	**55**	**2**	**30**	**22**	**08**	**34**	**17**	**17**	**121**

1.2.2 पाँच आउट–कम के अंतर्गत सभी 18 आउट–पुट में कार्य प्रारम्भ किया गया हैं।

1.2.3 सभी 36 गतिविधियों पर कार्य प्रारम्भ कर अल्पकालीन 08 तथा 01 मध्यकालीन गतिविधियों अंतर्गत कार्यवाही पूर्ण की गई है।

1.2.4 121 उप–गतिविधियों के विरुद्ध 121 उप–गतिविधियों पर कार्यवाही प्रारम्भ।

1.2.5 अल्पकालीन लक्ष्यों के अंतर्गत 57 में से 55 उप–गतिविधियों में कार्य 100% पूर्ण हो गया है तथा शेष 02 उपगतिविधियों के क्रियान्वयन में COVID काल में हुई कठिनाइयों को दूर करते हुए जून–जुलाई 2023 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

1.2.6 मध्यकालीन लक्ष्यों के अंतर्गत 30 में से 22 उप–गतिविधियों में कार्य 100% पूर्ण हो गया है तथा शेष 08 उपगतिविधियों के क्रियान्वयन को 2023 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

1.2.7 दीर्घकालीन लक्ष्यों के अंतर्गत 34 में से 17 उप–गतिविधियों में कार्य 100% पूर्ण हो गया है तथा शेष 17 उपगतिविधियों के क्रियान्वयन को 2023 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

2. नगरीय क्षेत्रों में विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विशेष निधि

2.1 विभाग के बजट से विभिन्न मदों की राशि सामान्यतः नगरीय निकायों को निर्धारित मापदण्ड अनुसार अर्जित पात्रता के आधार पर दी जाती है। इस कारण नगरीय निकायों को राज्य शासन द्वारा विशेष आवश्यकताओं, आकस्मिक प्रयोजनों एवं अपूर्ण जल प्रदाय योजनाओं को पूर्ण करने के लिये राशि देने में कठिनाई होती थी। उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए विशेष निधि का गठन किया गया है।

2.2 इस निधि के परिचालन के लिये ''म.प्र. के नगरीय क्षेत्रों में विशेष आवश्यकताओं एवं आकस्मिक प्रयोजनों के लिये राशि के उपयोग के नियम, 2006'' बनाये गये है।

2.3 वर्ष 2022–23 में विशेष निधि मद में विभिन्न विशेष प्रयोजनों के लिये राशि रू. 312.31 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसके विरूद्ध जनवरी, 2023 तक राशि रू. 183.90 लाख नगरीय निकायों को उपलब्ध कराई गई है।

3 मध्यप्रदेश अर्बन डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड

3.1 राज्य शासन की शत प्रतिशत अंश पूंजीधारित मध्यप्रदेश अर्बन डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड का गठन 27 अप्रैल, 2015 को किया गया है।

3.2 मध्यप्रदेश अर्बन डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड में माननीय मुख्यमंत्री जी को चेयरमेन तथा माननीय मंत्रीजी नगरीय विकास एवं आवास विभाग एवं मुख्य सचिव को कंपनी का वाइस चेयरमेन नियुक्त किया गया है।

3.3 आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को कंपनी का प्रबंध संचालक तथा अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को कंपनी का अतिरिक्त प्रबंध संचालक नियुक्त किया गया है।

3.4 कंपनी के कार्यों को विस्तार देते हुए राज्य शासन द्वारा कंपनी को न केवल नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा गया है, बल्कि बड़ी परियोजनाओं के क्रियान्वयन का भी उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

3.5 नगरीय निकायों में बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं जैसे, विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक तथा केएफडब्ल्यू इत्यादि द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य कंपनी द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार कंपनी के माध्यम से पेयजल, सीवेज परियोजनाओं के कार्यों का क्रियान्वयन किए जाने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया है।

3.6 इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कंपनी की 13 परियोजना क्रियान्वयन ईकाईयों का गठन किया जा रहा है।

3.7 स्मार्ट सिटी योजना हेतु चयनित नगरों में गठित स्पेशल परपज व्हीकल (SPV) कंपनियों को मध्यप्रदेश अर्बन डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड की Subsidary Company बनाया गया है।

4 मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

4.1 राज्य शासन द्वारा प्रदेश के भोपाल एवं इंदौर शहरों में मेट्रो रेल परियोजना क्रियान्वित किए जाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार भोपाल तथा इंदौर मेट्रो रेल परियोजनाओं को पब्लिक इनवेस्टमेंट बोर्ड (PIB) द्वारा दिनांक 11.09.2018 को अनुमोदित किया गया एवं केन्द्रीय मंत्रि–परिषद द्वारा दिनांक 03.10.2018 को स्वीकृति प्रदान की गई है। मेट्रो रेल परियोजना क्रियान्वित किए जाने के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही संपादित की जा चुकी हैः–

4.1.1 भारत सरकार, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs-MoHUA) द्वारा जारी परियोजनाओं की स्वीकृति के नियमों एवं शर्तों के साथ भोपाल एवं इंदौर मेट्रो रेल परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है।

4.1.2 भोपाल तथा इंदौर मेट्रो रेल परियोजनाओं के स्वीकृति पत्रों दिनांक 30.11.2018 में प्रदर्शित परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था के अनुसार भोपाल मेट्रो रेल परियोजना की लागत रू. 6941.40 करोड़ तथा इंदौर मेट्रो रेल परियोजना की लागत रू. 7500.80 करोड़ है।

4.1.3 भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत दो कॉरीडोरों का जिनकी कुल स्वीकृत लंबाई 27.87 किलोमीटर है एवं इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत एक रिंग कॉरीडोर जिसकी कुल स्वीकृत लंबाई 31.55 किलोमीटर है का अनुमोदन अनुसार क्रियान्वयन किया जा रहा है।

4.1.4 भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के वित्त पोषण हेतु European Investment Bank (EIB) को तथा इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के वित्त पोषण हेतु Asian Development Bank (ADB) तथा New Development Bank (NDB) को Pose किया गया है।

4.1.5 भोपाल एवं इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु DB Engineering and Consulting GmbH in consortium with Louis Burger SAS & Geodata Engineering S.p.A. को जनरल कंसल्टेंट चयनित किया गया है।

4.1.6 भारत सरकार, मध्यप्रदेश सरकार एवं मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉ. लिमि. के मध्य त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन दिनांक 19.08.2019 को निष्पादित किया गया।

4.1.7 भोपाल मेट्रो रेल परियोजना हेतु EIB Board द्वारा दिनांक 14.11.2019 को वित्तीय पोषण हेतु ऋण स्वीकृत किया जा चुका है। इंदौर मेट्रो रेल परियोजना हेतु NDB Board द्वारा दिनांक 02.12.2019 को वित्तीय पोषण हेतु ऋण स्वीकृत किया जा चुका है।

4.1.8 मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन को भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन के संयुक्त उपक्रम के रूप में पुनः गठित JV बोर्ड की प्रथम बैठक दिनांक 29.12.2020 को हुई।

4.1.9 भोपाल मेट्रो रेल परियोजना एवं इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के प्राइयोरिटी कॉरिडोर के सभी सिविल पैकेजों के कार्यादेश जारी किये जाकर कार्य प्रगति पर है।

4.1.10 भोपाल मेट्रो रेल एवं इंदौर मेट्रो रेल की सम्पूर्ण परियोजनाओं के लिए सभी आवश्यक सिस्टम पैकेजों को अवार्ड कर दिया गया है तथा कार्य प्रगति पर है, जिनमें से मुख्य पैकेज निम्नानुसार हैः–

- रोलिंग स्टॉक (ट्रेन सेट)।

- सिग्नलिंग एवं ट्रेन कंट्रोल सिस्टम।
- दूरसंचार।
- विद्युत आपूर्ति और कर्षण।
- रोलिंग स्टॉक (ट्रेन) डिपो एवं मेट्रो स्टेशनों के ई एंड एम (E & M) वर्क्स।

4.1.11 रोलिंग स्टॉक (ट्रेन सेट) के व्यापक रखरखाव के लिए 15 वर्षों और उसी प्रकार सिग्नलिंग और ट्रेन नियंत्रण प्रणाली और दूरसंचार प्रणाली के लिए 07 वर्षों के अनुबंधों को आर एस और एस एंड टी (RS and S&T) अनुबंध के साथ संलग्न किया गया है।

4.1.12 मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (MPPTCL) को भोपाल एवं इंदौर मेट्रो रेल परियोजनाओं की बिजली की आपूर्ति के लिए कार्यादेश जारी कर दिये गए हैं तथा कार्य प्रगति पर है।

4.2 भोपाल के लिए अनुमोदित मेट्रो रेल परियोजना का विवरण निम्नानुसार हैः–

कॉरिडोर	कॉरिडोर का विवरण	लगभग लम्बाई (किमी)	लगभग लागत (करोड़ में)
Orange Line	करोंद चौराहा – भोपाल टॉकिज – रेल्वे स्टेशन – भारत टॉकिज – पुल बोगदा – सुभाष नगर अंडर पास – डी.बी. मॉल–बोर्ड ऑफिस चौराहा – हबीबगंज नाका – अल्कापुरी बस स्टेंड – एम्स	14.99	4406.57
Blue Line	डिपो चौराहा–जवाहर चौक–रोशनपुरा चौराहा––मिंटो हॉल–लिली टॉकिज–जिंसी चौराहा–पुल बोगदा–प्रभात चौराहा–अप्सरा टॉकिज–गोविंदपुरा इन्डस्ट्रीयल एरिया–रत्नागिरी तिराहा	12.88	2534.83
	कुल	**27.87**	**6941.40**

4.3 इंदौर के लिए अनुमोदित मेट्रो रेल परियोजना का विवरण निम्नानुसार हैः–

कॉरिडोर	कॉरिडोर का विवरण	लगभग लम्बाई (किमी)	लगभग लागत (करोड़ में)
Yellow Line	ननोद – सुपर कॉरिडोर – भंवरसाला चौराहा – एम.आर. टेन फ्लाईओवर – विजय नगर चौराहा – रेडिसन चौराहा – बंगाली चौराहा – पलासिया चौराहा – राजवाड़ा – बड़ा गणपति – कलानी नगर– एयरपोर्ट – ननोद	31.53	7500.80
	कुल	**31.53**	**7500.80**

4.4 स्वीकृति के अनुसार परियोजना का वित्त पोषण निम्नवत होगाः–

स. क्र.	परियोजना का नाम	कुल लागत	विभिन्न संस्थाओं का अंशदान/योगदान			रिमार्क
			भारत सरकार	राज्य सरकार/ MPMRCL (यथा प्रयोज्य)	बाह्य एजेंसी	
1.	भोपाल मेट्रो रेल परियोजना	रू. 6941.40 करोड़	रू. 1164.44 करोड़	रू. 1843.62 करोड़	रू. 3493.34 करोड़ (EIB ऋण)	रू. 440.00 करोड़ PPP Component
2.	इंदौर मेट्रो रेल परियोजना	रू. 7500.80 करोड़	रू. 1276.36 करोड़	रू. 1955.33 करोड़	रू. 3200.00 करोड़ (ADB एवं NDB ऋण)	रू. 440.00 करोड़ PPP Component

5 प्रदेश के बड़े शहरों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के संबंध में शासन की पहल

5.1. प्रदेश के शहरों में पार्किंग को व्यवस्थित करने एवं नवीन पार्किंग संस्कृति के विकास हेतु राज्य शहरी पार्किंग नीति के साथ पार्किंग नियम बनाए जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।

5.2. प्रदेश के शहरों में अमृत योजनान्तर्गत 15 शहरों (भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, देवास, खण्डवा, बुरहानपुर, भिण्ड, मुरैना, गुना, जबलपुर, कटनी, सतना, रीवा, सिंगरौली, एवं छिंदवाड़ा) में 1111 बसों (शहरी– 751 एवं अन्तर्शहरी– 360) का संचालन किया जा रहा है।

5.3. इन्दौर शहर में 40 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है।

5.4. प्रदेश के शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन को बढ़ावा दिये जाने हेतु भोपाल (63), इन्दौर (123) जबलपुर (31), शहरों में कुल 217 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाये जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है।

5.5. प्रदेश की DUTF योजना के अंतर्गत जारी की गई राशि के द्वारा फुट ओवरब्रिज, रोड ओवरब्रिज, बस टर्मिनल, बस स्टेण्ड, पार्किंग, लोक परिवहन एवं यातायात को लोकप्रिय बनाने हेतु प्रचार–प्रसार, आधुनिक तकनीकी संस्थापन जैसे– सी.सी.टी.व्ही. कैमरा, जी.पी.एस. ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन, फुटपॉथ निर्माण आदि कार्य किये जा रहे है।

5.6. प्रदेश के 15 शहरों में अमृत योजना अन्तर्गत बस सेवा संचालन के द्वारा बसों में यात्रियों की सुविधाओं के लिए ITMS उपकरण (GPS, कैमरा, यात्री सूचना तंत्र एवं महिलाओं की सूचना के लिए पैनिक बटन इत्यादि) एवं कन्ट्रौल कमाण्ड सेंटर द्वारा सभी बसों की निगरानी सुनिश्चित की जा रही है।

5.7. नगरीय निकायों के अधीनस्थ बस स्टेण्डों पर रेलवे की भाँति बसों के आने–जाने की उद्घोषणा की व्यवस्था की गई है।

5.8. वर्ष–2021 में चिन्हित 11 ब्लैक स्पॉट में से 08 पर अल्पकालीन परिशोधन की कार्यवाही की गई।

5.9. प्रदेश के शहरों में सुव्यवस्थित विज्ञापन लगाए जाने हेतु मध्यप्रदेश आउटडोर मीडिया विज्ञापन नियम बनाए गए। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने हेतु इलेक्ट्रिक स्हीकल पॉलिसी तैयार की गई।

6 शहरी सुधार कार्यक्रम

प्रदेश के नगरीय निकायों प्रणाली में सुधार कर पारदर्शिता लाने तथा कार्यक्षमता में वृद्धि करने हेतु ''शहरी सुधार कार्यक्रम योजना'' लागू की गई है, जिसे परियोजना परीक्षण समिति के अनुमोदन से विभाग के पत्र क्रमांक 3844/2013/18–2/2820, दिनांक 12.12.2013 से स्वीकृती प्रदान की गई है। योजना के अर्न्तगत सम्मिलित प्रमुख घटक तथा उनकी प्रगति निम्नानुसार है :–

	द्विप्रविष्टीय लेखा प्रणाली	
1.	नगरीय निकायों की लेखा प्रणाली के संभूति आधारित द्विप्रविष्टीय लेखा प्रणाली में परिवर्तन करना।	341 निकायों में कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 37 निकायों में कार्य प्रगति पर है। नवगठित 35 निकायों में निविदाएं आमंत्रित करने की कार्यवाही प्रचलन में है।
	जी.आई.एस.	
2.	जी.आई.एस. आधारित मानचित्र तैयार कर संपत्तिकर के दायरे तथा वसूली में वृद्धि किया जाना।	• जी.आई.एस. आधारित बहुउद्देशीय पारिवारिक सर्वेक्षण कार्य अन्तर्गत सभी 413 मे से 328 नगरीय निकायों का आधार मानचित्र कार्य पूर्ण। • 413 नगरीय निकायो में से ही 215 (नगर निगम मुरैना को सम्मिलित करते हुये) नगरीय निकायो का सम्पति सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं 105 नगरीय निकायों में कार्य प्रगति पर है। • शेष 78 नगरीय निकायो के जी.आई.एस. आधारित बहुउद्देशीय पारिवारिक सर्वेक्षण कार्य हेतु निविदाएं आमंत्रित किये जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है। • नगर निगम भोपाल एवं इन्दौर में कार्य पूर्ण एवं 13 नगर निगमों में कार्य प्रगति पर है।

7 करों के संग्रहण हेतु प्रोत्साहन पुरूस्कार योजना

7.1 राज्य शासन द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों को राजस्व संग्रहण के लिये प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रोत्साहन पुरस्कार योजना अन्तर्गत अनुदान राशि प्रदान की जाती है। तद्नुसार राजस्व संग्रहण के लिये क्रमशः नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद् एवं नगर परिषद्ों को प्रोत्साहन अनुदान प्रदान किए जा रहे है।

(इ) कर्मचारी कल्याण योजनाएं

1. नगरीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये पेंशन योजना

1.1 विभाग द्वारा प्रदेश की नगरीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करने के लिये मध्यप्रदेश नगर पालिका सेवा (पेंशन) नियम, 1980 बनाये गये हैं, जिसमें वर्णित प्रावधानों एवं विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार पेंशन प्रदान की जाती है।

1.2 योजना का संचालन संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास पदेन ''नियंत्रक पेंशन, स्थानीय निकाय'' नामांकित हैं। योजना के संचालन के लिये संचालनालय स्तर पर ''कंट्रोलर ऑफ पेंशन फार लोकल बाडीज मध्यप्रदेश'' के नाम से एक पृथक बैंक खाता खोला गया है, जिसमें पेंशन अंशदान की राशि जमा की जाती है।

1.3 योजना के संचालन के लिये वर्तमान में नगरीय स्थानीय निकायों को देय चुंगी क्षतिपूर्ति अनुदान के माध्यम से अंशदान की राशि पेंशन निधि में जमा की जाती है।

1.4 प्रदेश की नगरीय निकायों के पेंशनरों को राज्य शासन के कर्मचारियों के समान पेंशन प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह फरवरी तक नगरीय स्थानीय निकायों के कुल 15196 सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जिस पर रूपये 28.10 करोड़ प्रतिमाह वित्तीय भार आ रहा है।

1.5 नगरीय स्थानीय निकायों के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को उपदान की राशि का भुगतान भी उपरोक्त निधि से ही किया जा रहा है।

1.6 वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह फरवरी तक योजना के अंतर्गत पेंशन के कुल 1208 प्रकरण निराकृत किये गये, जिसमें उपदान के रूप में रूपये 65.66 करोड़ का भुगतान किया गया। साथ ही नियमित पेंशन भुगतान पर कुल रूपये 315.96 करोड़ का व्यय हुआ।

1.7 वर्तमान में प्रदेश की नगरीय निकायों के पेंशनरों को भारतीय स्टेट बैंक की भोपाल स्थित शाखा लिंक रोड़–1 के माध्यम से नियमित रूप से पेंशन का वितरण किया जा रहा है। साथ ही दिनांक 31.12.2014 के पश्चात् सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को भारतीय स्टेट बैंक की गोविंदपुरा, भोपाल स्थित केन्द्रीयकृत प्रक्रिया इकाई के माध्यम से पेंशन का वितरण किया जा रहा है।

1.8 प्रदेश के नगर पालिक निगम इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन एवं रतलाम अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये स्वयं के स्तर पर पेंशन योजना संचालन कर रहे हैं।

2. राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS)

2.1 विभाग द्वारा राज्य शासन के शासकीय कर्मचारियों के समान ही प्रदेश की नगरीय निकायों/अधीनस्थ कार्यालयों में दिनांक 01.01.2005 अथवा उसके पश्चात् नियुक्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए ''राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS)'' लागू की गई है।

2.2 योजना के अंतर्गत NSDL (National Securities Depository Limited) द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों एवं नगरीय स्थानीय निकायों को DTO Registration Number आवंटित किये गये हैं, जिस पर राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित समस्त सुविधाएं प्रदान की गई है।

2.3 NSDL द्वारा आवंटित किए गए DTO के User ID एवं Password के माध्यम से अधीनस्थ कार्यालयों एवं नगरीय स्थानीय निकायों में राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत नियुक्त हुए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को PRAN आवंटित किए जाते हैं तथा जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को PRAN आवंटित हो चुके हैं, उनके Data & Fund NSDL/NPS Trust को अंतरित किए जा रहे हैं।

3. मध्यप्रदेश नगरपालिका सेवक कर्मचारी–बीमा–सह–बचत योजना, 2014

3.1 विभाग द्वारा प्रदेश के नगरपालिका सेवकों के लिए पूर्व से लागू की गई परिवार कल्याण निधि योजना, 1987 का पुनरीक्षण किया जाकर इसे अधिक लाभकारी बनाते हुए प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के समान ही मध्यप्रदेश नगरपालिका सेवक कर्मचारी–बीमा–सह–बचत योजना अक्टूबर, 2014 से लागू की गई है।

3.2 योजना का संचालन परिवार कल्याण निधि योजना, 1987 की भांति पूर्वानुसार ही संचालनालय द्वारा किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत यूनिट के आधार पर अधिकारियों/कर्मचारियों को मासिक अंशदान देना होता है। इस योजना के अंतर्गत अंशदान तथा बीमा मूल्य निम्नानुसार हैः–

अधिकारी/ कर्मचारी की श्रेणी	यूनिट की संख्या	यूनिट का मूल्य	अंशदान की राशि	बीमा मूल्य	बीमा धन	बचत राशि
1	2	3	4	5	6	7
चतुर्थ श्रेणी	1	100	100	1,25,000	35	65
तृतीय श्रेणी	2	100	200	2,50,000	70	130
द्वितीय श्रेणी	4	100	400	5,00,000	140	260
प्रथम श्रेणी	6	100	600	7,50,000	210	390

3.3 योजना के अंतर्गत सदस्य कर्मचारी की दुर्भाग्यवश मृत्यु होने पर परिवार के नामांकित सदस्य/वैध उत्तराधिकारी को बीमा राशि के साथ–साथ बचत निधि में जमा राशि भी ब्याज सहित भुगतान की जाती है, परन्तु कर्मचारी की सेवानिवृत्ति/सेवा से निकाले जाने/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अथवा त्याग पत्र देने पर उसे केवल बचत निधि में जमा राशि भुगतान की जाती है।

3.4 वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह फरवरी तक योजना के अंतर्गत कुल 968 प्रकरण स्वीकृत किये गये, जिनमें कुल राशि रूपये 5.65 करोड़ का भुगतान किया गया।

4. सफाई कर्मचारियों के लिए समूह बीमा योजना, 1988

4.1 प्रदेश की नगरीय निकायों में कार्यरत नियमित सफाई कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा समूह बीमा योजना दिनांक 01.04.1988 से प्रारंभ की गई है।

4.2 उक्त योजना के अंतर्गत वर्तमान में प्रति हितग्राही रूपये 240.00 और राज्य शासन का अंशदान प्रति हितग्राही रूपये 720.00 वार्षिक निर्धारित किया गया है, जिसके अंतर्गत सफाई कर्मचारी की सेवा में रहते हुए सामान्य मृत्यु की स्थिति में रूपये 1,00,000.00 और दुर्घटनाजनित मृत्यु पर रू. 2,00,000.00 सफाई कर्मचारियों द्वारा नामांकित व्यक्तियों को भुगतान किया जाता है।

4.3 वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह फरवरी तक कुल 29 प्रकरणों में कर्मचारी की मृत्यु उपरांत नामांकित व्यक्तियों को कुल राशि रूपये 15.00 लाख का भुगतान किया गया।

भाग–चार
अन्य प्रशासनिक विषय

1 विभाग एवं नगरीय निकायों के लोकसेवकों एवं निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण, उन्मुखीकरण प्रबोधन कार्यक्रम

1.1 विभाग एवं नगरीय निकायों के लोकसेवकों एवं निर्वाचित जन प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण, उन्मुखीकरण एवं प्रबोधन कार्यक्रम।

1.2 74$^{वे}$ संविधान संशोधन में अंतर्निहित समावेशी शहरों शहरों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहभागिता, पारदर्शिता, जवाबदेही एवं समता मूलक अभिशासन आवश्यक है। प्रशिक्षण उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रभावी साधन है। इस महत्वपूर्ण कार्य को संपादित करने के लिये विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना वर्ष 2013 में की गई है। इस प्रशिक्षण संस्थान का नाम सुंदरलाल पटवा राष्ट्रीय नगर प्रबंधन संस्थान (Sunderlal Patwa National Institute of Urban Management - SPNIUM) है, जिसका संशोधित पंजीयन मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1973 के अंतर्गत दिनांक 16 जून, 2021 को किया गया है।

1.3 संस्थान की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा 10.12 हेक्टेयर भूमि राजा भोज अंतराष्ट्रीय एयरपोर्ट के समीप भौंरी, जोन क्रमांक 1, वार्ड क्रमांक 3 नगर पालिक निगम भोपाल क्षेत्र में प्रदान की गयी है। वर्तमान में संस्थान को आवंटित की गयी भूमि पर प्रशिक्षण एवं आवासीय भवनों के निर्माण की कार्यवाही यांत्रिकी प्रकोष्ठ के माध्यम से प्रचलित है।

1.4 सुंदरलाल पटवा राष्ट्रीय नगर प्रबंधन संस्थान द्वारा नगरीय निकायों के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों, नव नियुक्त लोकसेवकों, पूर्व से कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों तथा नगरीय विकास से सरोकर रखने वाले स्टेकहोल्डर्स के लिये व्यवस्थित उन्मुखीकरण, परिचयात्मक एवं आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सेमीनार/कार्यशालाओं का आयोजन एवं संचालन विभागीय वार्षिक प्रशिक्षण पंचाग अनुसार किया जाता है।

1.5 वर्ष 2022–23 अंतर्गत 01 जनवरी, 2022 से 31 दिसंबर, 2022 की स्थिति में संस्थान/प्रशिक्षण शाखा द्वारा ऑनलाईन एवं आवासीय 72 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर 2022 अधिकारियों तथा कर्मचारियों एवं 5085 नव निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया गया है।

1.6 वर्ष 2022–23 के अंतर्गत भारत सरकार की ICBP परियोजना के अंतर्गत देश के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे ESCI, Hyderabad, AIILSG New Delhi, IIHS Bengaluru. RS Tolia Nainital, ISPER Panchkula आदि के माध्यम से विभिन्न मिशनों के अंतर्गत 15 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर 358 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

1.7 पूर्व वर्ष की भॉति सुंदरलाल पटवा राष्ट्रीय नगर प्रबंधन संस्थान द्वारा वर्ष 2023–24 के लिये विभागीय प्रशिक्षण आवश्यकताओं एवं नगरीय विकास एवं आवास से संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्रों एवं विषयों को ध्यान में रखते हुए विभागीय प्रशिक्षण पंचाग तैयार किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें लगभग 100 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए लगभग 3000 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य है।

2. सूचना प्रौद्योगिकी

2.1 विभाग द्वारा अपनी वेबसाईट भी प्रारंभ की गई है, जिसका यूआरएल www.mpurban.gov.in है। वेबसाईट पर विभाग द्वारा नगरीय निकायों से संबंधित आवश्यक जानकारी ''स्टेटिक'' और ''डायनेमिक'' रूप में उपलब्ध है।

3. ई–नगर पालिका

3.1 ई–नगर पालिका परियोजना Digital India के उद्देश्य को बढावा देने तथा पारदर्शी एवं त्वरित नागरिक सेवा प्रदाय किये जाने हेतु लागू ई–गर्वनेंस क्रियान्वयन का अनूठा उदाहरण हैं। ई–नगर पालिका द्वारा नगरीय निकायों द्वारा प्रदत्त समस्त नागरिक सेवाओं, जन शिकायत सुविधा, निकायों की आंतरिक कार्य प्रणाली, समस्त भुगतान एवं बजट प्रक्रिया को एकीकृत कर, ऑनलाईन सुविधा प्रदाय की जा रही है। मध्यप्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहां पर प्रदेश की समस्त नगरीय निकायों को एक Single Portal पर लाया गया है।

3.2 मध्यप्रदेश राज्य के समस्त नगरीय निकायों में नागरिक सेवाओं को प्रदाय करने हेतु एकीकृत एकल एसएपी ईआरपी (SAP-ERP) प्लेटफार्म आधारित व्यापक परियोजना का लोकापर्ण 01.04.2017 को किया गया। ई–नगर पालिका द्वारा ऑनलाईन की गई नागरिक सेवाओं का लाभ लिये जाने हेतु www.mpenagarpalika.gov.in एवं MP e-Nagarpalika Citizen App mobile app का उपयोग किया जा सकता हैं।

3.3 ई–नगरपालिका में डिजिटल भुगतान को बढावा दिए जाने हेतु Bharat Bill Payment System (BBPS) की सेवा प्रारंभ की गयी है। अब नागरिक UPI Applications (Phone Pay, Google Pay, PayTm) के माध्यम से भी अपने संपत्तिकर तथा जल उपभोक्ता प्रभार का भुगतान कर सकते है।

3.4 बेहतर नागरिक सेवा प्रदाय करने हेतु ई–नगरपालिका में Whatsapp ChatBot की सेवा भी प्रारंभ की गयी है।

3.5 नगरीय निकायों की आंतरिक व्यवस्था को भी ई–नगर पालिका अंतर्गत सम्पूर्ण रूप से कम्प्युटराईज्ड किया गया है। समस्त प्रकार के भुगतान डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा अनुमोदित किये जाने के प्रावधान को अनिवार्य किया गया है।

3.6 नगरीय निकायों में पारदर्शिता को बढ़ाये जाने हेतु समस्त बजट एवं वित्तीय प्रबंधन कार्यों को ई–नगरपालिका में एकीकृत कर, अब संचालनालय स्तर से निकायों को दी जाने वाली अनुदानों का भुगतान भी ई–नगरपालिका के माध्यम से किया जा रहा है। इस प्रकार ई–नगरपालिका बेहतर बजटिंग द्वारा कार्य कुशल ई–गवर्नेंस का अनूठा उदाहरण है।

3.7 निकाय अधीन समस्त अधिकारियों/कर्मचारीयों के डेटा को कम्प्यूटराईज्ड किया गया है तथा समस्त अधिकारियों/कर्मचारीयों के मानदेय का भुगतान ई–नगरपालिका द्वारा ही किया जा रहा है।

4. ऑटोमेटेड बिल्डिंग परमिशन एंड अप्रूवल सिस्टम (ABPAS)

4.1 मध्यप्रदेश के 408 नगरीय निकायों में यूनिफार्म एवं पारदर्शी तरीके से भवन अनुज्ञा जारी करने हेतु ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान अप्रुवल सिस्टम लागू किया गया है। ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान अप्रुवल सिस्टम के अंतर्गत निकाय कार्यालय में उपस्थित हुए ही बिना ही भवन अनुज्ञा प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन ऑनलाईन स्वीकृत किये जाते है एवं सम्पूर्ण प्रक्रिया बिना किसी मानव हस्तक्षेप के प्रोसेस की जाती है। यहां तक के बिल्डिंग इस्पेंक्टर द्वारा स्थल निरीक्षण के समय भी मोबाइल एप द्वारा ही जानकारी प्राप्त कर, सिस्टम में अपलोड कर दी जाती हैं। अब तक कुल 2,32,028 भवन अनुज्ञाऍ ऑनलाईन माध्यम से स्वीकृत की गई हैं, जिसमें 1 अप्रैल 2022 से 19 जनवरी 2022 तक कुल 27,664 भवन अनुज्ञा ऑनलाईन स्वीकृत की गई हैं।

4.2 मध्यप्रदेश के 408 नगरीय निकायों में भूमि विकास नियम में दिये गये प्रावधानों अनुसार ऑनलाईन कम्पांउडिंग (प्रशमन) लागू किया गया है। ऑनलाईन कम्पांउडिंग प्रणाली में शुल्क भी सिस्टम के द्वारा ऑटोमेटिक जनरेट किया जाता है एवं शुल्क के लिए सभी ऑनलाईन भुगतान विकल्प का उपयोग किया जाता है।

4.3 ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान अप्रुवल सिस्टम में नागरिक स्वंय प्लिंथ प्रमाण पत्र, सेवा प्रमाण पत्र, कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र और अधिभोग प्रमाण पत्र, ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त कर सकते हैं।

4.4 भवन अनुज्ञा के लिए अनिवार्य दस्तावेजों की संख्या 16 से घटकर 5 और साइट निरीक्षण चेकलिस्ट बिन्दुओं को भी 43 से घटाकर 26 कर दिया गया है।

4.5 फीस मेमों सिस्टम द्वारा स्वतः ही शुल्क जनरेट किया जाता है तथा शुल्क भुगतान हेतु समस्त प्रकार के ऑनलाईन माध्यम स्वीकार किये जाते हैं।

4.6 भवन अनुज्ञा प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु राज्य शासन द्वारा अधिकारिता रखने वाले प्राधिकारी द्वारा समयक् रूप से पंजीकृत वास्तुविद/संरचना, इंजीनियर को 300 वर्ग मी. तक के क्षेत्रफल के भू–खण्डों पर भवन अनुज्ञा जारी किये जाने की शक्तियां प्रदान कि गई हैं।

4.7 नये नियमों के अनुसार 105 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंडो पर त्वरित/डीम्ड स्वीकृति प्रक्रिया लागू को भी सिस्टम अंतर्गत लागू किया गया है।

5. वीडियो कांफ्रेसिंग

5.1 संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा नगरीय निकायों के अधिकारियों, परियोजना अधिकारियों तथा संभागीय अधिकारियों से माह में दो बार वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा लागू की गई महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की निरंतर समीक्षा की जा रही है।

6. मध्यप्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी आयोग

प्रदेश के सफाई कर्मचारियों के हितों तथा अधिकारों को बढ़ावा देने तथा सुरक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया गया है।

7. मध्यप्रदेश राज्य सिलाई कला मण्डल

प्रदेश के परम्परागत वस्त्र सिलाई करने वाले जन समुदाय के जीवन स्तर के उन्नयन एवं कौशल विकास के लिये मध्यप्रदेश राज्य सिलाई कला मण्डल का गठन किया गया है।

8. मध्यप्रदेश राज्य केश शिल्पी मण्डल

प्रदेश के परम्परागत केश शिल्प करने वाले जन समुदाय के जीवन स्तर के उन्नयन एवं कौशल विकास के लिये मध्यप्रदेश राज्य केश शिल्पी मण्डल का गठन किया गया है।

9. मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र स्वच्छता मण्डल

प्रदेश के परम्परागत वस्त्र प्रक्षालन करने वाले जन समुदाय के जीवन स्तर के उन्नयन एवं कौशल विकास के लिये मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र स्वच्छता मण्डल का गठन किया गया है।

———————

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश

भाग – एक

1.1 विभागीय संरचना

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्य प्रदेश की स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी जिसका मुख्यालय वर्तमान में ''पर्यावरण परिसर'' ई–5, अरेरा कालोनी भोपाल में स्वयं के भवन में दिनांक 23.09.2001 से कार्यरत है। विभाग का मुख्य उद्देश्य एवं दायित्व नगरों को सुसंगठित एवं सुनियोजित रूप से बसाने के लिये उनकी विकास योजनाएं तैयार करना होता है, एवं एक नियमित अंतराल पर उस विकास योजना का नगर की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए पुनरीक्षण करना एवं प्रादेशिक विकास योजना बनाना है। इस कार्य को संपादित करने के लिये विभाग की वर्तमान संरचना निम्नानुसार हैः–

1.2 अधीनस्थ कार्यालय

वर्तमान में संचालनालय के अतिरिक्त 33 जिला कार्यालय जिसमें 7 संयुक्त संचालक कार्यालय, यथा– भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, उज्जैन, 11 उप संचालक कार्यालय, यथा–नर्मदापुरम, छिन्दवाड़ा, रतलाम सिंगरौली शहडोल,खण्डवा, सतना, नीमच, देवास, गुना,कटनी एवं 15 सहायक संचालक कार्यालय यथा–बैतूल, राजगढ़, विदिशा, मण्डला, भिण्ड, छतरपुर, झाबुआ, अनूपपुर, श्योपुर, खरगौन, धार, सीहोर, मुरैना, टीकमगढ़ एवं बालाघाट वर्तमान में स्थापित है।

1.3 अमला

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के लिये स्वीकृत अमला निम्न तालिका अनुसार है–

क्र	पदनाम	श्रेणी	स्वीकृत पद संख्या
1	आयुक्त (भा.प्र.से)	प्रथम श्रेणी (भारतीय प्रशासनिक सेवा)	1
2	मुख्य नगर नियोजक	प्रथम श्रेणी (नियोजन में योग्यताधारी)	2
3	वरिष्ठ नगर नियोजक	प्रथम श्रेणी (नियोजन में योग्यताधारी)	11
4	वरिष्ठ नगर नियोजक (अर्बन मेपिंग एक्सपर्ट)	प्रथम श्रेणी (नियोजन में योग्यताधारी)	1
5	वरिष्ठ नगर नियोजक(रिमोट सेसिंग)	प्रथम श्रेणी (नियोजन एवं रिर्माट सेसिंग में योग्यताधारी)	1
6	वरिष्ठ नगर नियोजक (आई.टी)	प्रथम श्रेणी (आई.टी. योग्यताधारी)	1
7	नगर नियोजक	प्रथम श्रेणी (नियोजन में योग्यताधारी)	19
8	नगर नियोजक (जियोग्राफर एण्ड डेमोग्राफर)	प्रथम श्रेणी (नियोजन एवं जियोग्राफर एण्ड डेमोग्राफर योग्यताधारी)	1

9	नगर नियोजक (रिमोट सेसिंग)	प्रथम श्रेणी (नियोजन एवं रिर्मोट सेसिंग में योग्यताधारी)	1
10	नगर नियोजक (आई.टी)	प्रथम श्रेणी (आई.टी. मे योग्यताधारी)	1
11	उप संचालक(स्था.)	प्रथम श्रेणी (विभागीय सेवा से पदोन्नत)	1
12	उप संचालक (समन्वय)	प्रथम श्रेणी (एल एल बी योग्यताधारी)	1
13	लेंखा अधिकारी (प्रतिनियुक्ति)	द्वितीय श्रेणी (वित्त सेवा)	1
14	सहायक नगर नियोजक	द्वितीय श्रेणी (नियोजन में योग्यताधारी)	68
15	सहा. संचालक(स्था)	प्रथम श्रेणी (विभागीय सेवा से पदोन्नत)	1
16	कनिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रति)	द्वितीय श्रेणी (वित्त सेवा)	1
17	संपरीक्षक आडिटर (प्रति)	द्वितीय श्रेणी (वित्त सेवा)	1
18	वास्तु मानचित्रकार (भोगौलिक सूचना प्रणाली) GIS	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	43
19	सहायक वास्तु मानचित्रकार (भोगौलिक सूचना प्रणाली) GIS	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	85
20	उपयंत्री	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	111
21	स्टॉफ आफिसर	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	2
22	निज सचिव	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	4
23	निज सहायक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	11
24	स्टेनोटायपिस्ट	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	23
25	अधीक्षक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	9
26	सहा.अधीक्षक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	11
27	सहायक ग्रेड–1	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	36
28	सहायक ग्रेड–2	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	54
29	सहायक ग्रेड–3	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	80
30	स्टोरकीपर	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	9
31	ग्रंथपाल	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	1
32	वाहन चालक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	20
33	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	53

34	स्वीपर	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1
35	चौकीदार	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	27
		योगः–	**693**

डाईंग कैडर पद

क्र	पदनाम	श्रेणी	स्वीकृत पद संख्या
1	अनुरेखक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	5
2	वरिष्ठ भूमापक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	**6**
3	कनिष्ठ भूमापक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	1
4	वरिष्ठ रिसर्च सहायक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	2
5	रिसर्च सहायक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	9
6	अन्वेषक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	16
7	मॉडलर	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	1
8	सहायक मॉडलर	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	1
9	नीलमुद्रक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	5
10	दफतरी	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	4
11	चैनमेन	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	19
12	चैनमेन(संविदा)	संविदा कर्मचारी	4
13	वॉटरमेन	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1
		योगः–	**74**

संविदा

क्र	पदनाम	श्रेणी	स्वीकृत पद संख्या
1	सीनियर GIS एक्सपर्ट	संविदा कर्मचारी	9
2	जूनियर GIS/CAD एक्सपर्ट	संविदा कर्मचारी	46
3	प्रोग्रामर सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी	संविदा कर्मचारी	1
4	सहायक सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी	संविदा कर्मचारी	2

5	कम्प्यूटर ऑपरेटर	संविदा कर्मचारी	89
6	वाहन चालक	संविदा कर्मचारी	17
7	भृत्य	संविदा कर्मचारी	37
		योगः–	201

आउटसोर्स

क्र	**पदनाम**	**श्रेणी**	**स्वीकृत पद संख्या**
1	भृत्य	आउटसोर्स	30
2	चौकीदार	आउटसोर्स	17
		योगः–	47

उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश विभागीय सेटअप का 2022 में पुनरीक्षण किया जाकर विभिन्न संवर्गो के स्वीकृत 836 पदो के स्थान पर 894 पद स्वीकृत किये गये ।

1.4 विभाग के अंतर्गत आने वाली संस्थायें

नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत नगर तथा ग्राम निवेश, संचालनालय, नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी आते हैं, जिनका गठन मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत किया गया है। जो वर्तमान में निम्नानुसार कार्यरत हैं :–

नगर विकास प्राधिकारी		**विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी**	
1	भोपाल विकास प्राधिकरण	1	ग्वालियर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (ग्वालियर काउंटर मेग्नेट)
2	इंदौर विकास प्राधिकरण	2	पचमढ़ी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
3	ग्वालियर विकास प्राधिकरण	3	खजुराहो (पर्यटन क्षेत्र) विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
4	जबलपुर विकास प्राधिकरण	4	महेश्वर–मंडलेश्वर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
5	उज्जैन विकास प्राधिकरण	5	ओरछा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
6	देवास विकास प्राधिकरण	6	चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
7	रतलाम विकास प्राधिकरण		
8	कटनी विकास प्राधिकरण		
9	अमरकंटक विकासप्राधिकरण		
10	सिंगरौली विकास प्राधिकरण		

2. संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश के दायित्व

2.1 संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश के मुख्य कार्यकलाप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत संचालित किये जाते हैं, जिनमें प्रमुख कार्यकलाप निम्नानुसार हैं :–

2.2 नगर विकास योजना तैयार करना – राज्य के नगरों की विकास योजनायें बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है, जिसमें विभिन्न श्रेणी के नगरों के अतिरक्ति पवित्र नगर, पर्यटन, ऐतिहासिक, धार्मिक, औद्योगिक महत्व के नगरों की विकास योजना तैयार की जाती है। अभी तक कुल 98 नगरों की विकास योजनायें प्रकाशित की जा चुकी हैं, जिसमें से 88 विकास योजनायें अंगीकृत की गई हैं।

क्र	नगर का नाम	प्रारूप विकास योजना प्रकाशन की तिथि	विकास योजना अनुमोदन की तिथि	क्रियान्वयन संस्था	योजना कालावधि	नगर का स्तर
1	2	3	4	5	6	7.
1	इंदौर	10.06.1974	01.03.1975	विकास प्राधि.	1991	जिला मुख्यालय
2	भोपाल	19.11.1974	25.08.1975	विकास प्राधि.	1991	जिला मुख्यालय
3	उज्जैन	20.05.1975	28.10.1975	विकास प्राधि.	1991	जिला मुख्यालय/ धार्मिक
4	खजुराहो	26.10.1975	11.10.1977	नगर पंचायत	1991	पर्यटक
5	जबलपुर	26.08.1977	28.09.1979	विकास प्राधि.	1991	जिला मुख्यालय
6	ग्वालियर	09.03.1979	21.10.1980	विकास प्राधि.	1991	जिला मुख्यालय/ पर्यटक
7	देवास	04.09.1979	10.03.1986	विकास प्राधि.	1991	जिला मुख्यालय/ औद्योगिक
8	शिवपुरी	25.04.1987	05.08.1988	नगर पालिका	2001	जिला मुख्यालय/ पर्यटक
9	चंदेरी	27.06.1987	24.01.1989	नगरपालिका	2001	पर्यटक/ हतकरघा औघोगिक
10	रतलाम	24.06.1985	28.05.1990	नगर निगम	2001	जिला मुख्यालय/ औद्योगिक
11	रीवा	28.03.1987	27.11.1990	नगर निगम	2001	जिला मुख्यालय
12	सतना	29.08.1986	18.04.1991	नगर निगम	2001	जिला मुख्यालय /औघोगिक
13	बुरहानपुर	26.02.1993	08.06.1995	नगर निगम	2005	जिला मुख्यालय/ हथ करघा औघोगिक
14	नव हरसूद	23.01.1995	14.02.1997	साडा	2011	तहसील मुख्यालय
15	दमोह	04.07.1994	19.03.1998	नगर पालिका	2005	जिला मुख्यालय

16	चित्रकूट	06.09.1994	03.08.1998	नगर पंचायत	2005	पवित्र/धार्मिक
17	बीना	15.04.1999	14.01.2000	नगर पालिका	2011	तहसील मुख्यालय / औघोगिक
18	सागर	05.06.1999	03.03.2000	नगर निगम	2011	जिला मुख्यालय
19	सांची	01.11.1999	11.07.2000	नगर पंचायत	2011	पर्यटक
20	नीमच	25.10.1999	05.07.2000	नगर पालिका	2011	जिला मुख्यालय
21	पन्ना	21.10.1999	17.05.2000	नगर पालिका	2011	जिला मुख्यालय
22	ग्वालियर साडा	22.10.1999	24.04.2000	साडा	2011	साडा
23	इटारसी	22.02.2000	09.03.2001	नगर पालिका	2011	तहसील मुख्यालय
24	खण्डवा	29.02.2000	09.03.2001	नगर निगम	2011	जिला मुख्यालय
25	मैहर	18.09.2000	31.08.2001	नगर पालिका	2011	पवित्र/धार्मिक
26	मांडव	24.01.2001	02.11.2001	नगर पंचायत	2011	पर्यटक
27	छिंदवाड़ा	14.02.2001	09.08.2002	नगर पालिका	2011	जिला मुख्यालय
28	शहडोल	22.01.2001	05.12.2002	नगर पालिका	2011	जिला मुख्यालय
29	खरगौन	16.03.2002	05.12.2002	नगर पालिका	2011	जिला मुख्यालय
30	जावरा	25.03.2002	16.12.2002	नगर पालिका	2011	तहसील मुख्यालय
31	विदिशा	10.08.2001	21.01.2003	नगर पालिका	2011	जिला मुख्यालय
32	मंदसौर	29.09.2002	12.05.2003	नगर पालिका	2011	जिला मुख्यालय
33	पाण्ढुर्ना	21.01.2003	29.08.2003	नगर पालिका	2011	तहसील मुख्यालय
34	गुना	29.03.2003	29.08.2003	नगर पालिका	2011	जिला मुख्यालय
35	झाबुआ	05.05.2003	10.10.2003	नगर पालिका	2011	जिला मुख्यालय
36	सीहोर	27.06.2001	31.05.2004	नगर पालिका	2011	जिला मुख्यालय
37	भिण्ड	04.09.2003	28.05.2004	नगर पालिका	2011	जिला मुख्यालय
38	टीकमगढ़	28.02.2004	17.12.2004	नगर पालिका	2011	जिला मुख्यालय
39	सिहोरा	23.06.2004	28.01.2005	नगर पालिका	2011	तहसील
40	बड़वानी	06.07.2004	17.12.2004	नगर पालिका	2011	जिला मुख्यालय
41	सिंगरौली	20.08.2004	20.05.2005	नगर निगम	2011	जिला मुख्यालय/ माइनिंग
42	अमरकंटक	30.10.2004	20.05.2005	नगर पंचायत	2015	पवित्र नगर/ धार्मिक
43	बैतूल	10.12.2004	30.08.2005	नगर पालिका	2011	जिला मुख्यालय
44	महेश्वर	22.03.2005	12.09.2005	नगर पंचायत	2015	पवित्र नगर/धार्मिक
45	होशंगाबाद	27.04.2005	03.02.2006	नगर पालिका	2011	जिला मुख्यालय
46	बालाघाट	29.06.2005	26.05.2006	नगर पालिका	2021	जिला मुख्यालय
47	शाजापुर	06.09.2005	12.05.2006	नगर पालिका	2021	जिला मुख्यालय
48	ओंकारेश्वर	18.11.2005	11.08.2006	नगर पंचायत	2021	पवित्र नगर/ धार्मिक

49.	राजगढ़	16.01.2006	11.08.2006	नगर पंचायत	2021	जिला मुख्यालय
50.	उमरिया	18.03.2006	09.03.2007	नगर पालिका	2021	जिला मुख्यालय/ माइनिंग
51.	मण्डला	31.05.2006	09.03.2007	नगर पालिका	2021	जिला मुख्यालय/ पवित्रनगर
52.	ओरछा	03.08.2002	18.05.2007	नगर पंचायत	2011	पवित्र नगर
53.	सीधी	25.09.2006	17.09.2008	नगर पालिका	2021	जिला मुख्यालय
54	छतरपुर	15.02.2007	17.09.2008	नगर पालिका	2021	जिला मुख्यालय
55	अशोकनगर	30.06.2007	04.10.2008	नगर पालिका	2021	जिला मुख्यालय
56	अलीराजपुर	30.08.2007	04.10.2008	नगर पालिका	2021	जिला मुख्यालय
57	दतिया	05.01.2008	04.10.2008	नगर पालिका	2021	जिला मुख्यालय
58	रायसेन	21.01.2008	04.10.2008	नगर पालिका	2021	जिला मुख्यालय
59.	मुरैना	28.03.2008	04.10.2008	नगर पालिका	2021	जिला मुख्यालय
60.	हरदा	27.03.2006	08.10.2008	नगर पालिका	2015	जिला मुख्यालय
61	बैरसिया	29.07.2006	08.10.2008	नगर पंचायत	2011	तहसील
62.	सिवनी	14.08.2007	08.10.2008	नगर पालिका	2021	जिला मुख्यालय
63.	कटनी	31.03.2006	19.06.2009	नगरनिगम	2021	जिला मुख्यालय/ औद्योगिक
64.	अनूपपुर	05.09.2008	27.06.2009	नगर पालिका	2021	जिला मुख्यालय
65.	नरसिंहपुर	29.07.2006	30.03.2010	नगर पालिका	2021	जिला मुख्यालय
66.	श्योपुर	22.07.2008	16.04.2010	नगर पालिका	2021	जिला मुख्यालय
67.	धार	12.01.2009	16.04.2010	नगर पालिका	2021	जिला मुख्यालय
68.	डबरा	07.07.2009	16.04.2010	नगर पालिका	2021	तहसील एवं औद्योगिक
69.	मुलताई	12.10.2009	04.03.2011	नगर पालिका	2021	तहसील/ पवित्र नगरी
70.	गोहद	08.03.2013	19.09.2013	नगर पालिका	2031	तहसील
71.	गंजबासौदा	10.05.2013	20.06.2014	नगर पालिका	2031	तहसील
72.	पिपरिया	11.08.2011	01.08.2014	नगर पालिका	2021	तहसील
73.	शुजालपुर	22.02.2014	27.02.2015	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
74.	सेंधवा	22.10.2011	16.03.2015	नगर पालिका	2021	तहसील
75.	रामपुर बाघेलान	30.03.2012	26.08.2015	नगर परिषद	2021	तहसील
76.	खुरई	22.10.2009	12.02.2016	नगर पालिका	2021	तहसील
77.	भेड़ाघाट	15.09.2011	16.09.2016	नगर पंचायत	2021	तहसील
78.	बांधवगढ	17.09.2012	16.09.2016	नगर पंचायत	2031	पर्यटक स्थल
79.	हनुवंतिया	21.04.2016	08.12.2016	नगर पंचायत	2035	पर्यटक
80.	आगर मालवा	29.01.2015	27.03.2017	नगर पंचायत	2041	जिला मुख्यालय

81.	चाकघाट	08.02.2012	18.08.2017	नगर पंचायत	2021	तहसील
82.	सलकनपुर	23.12.2011	22.09.2017	नगर पंचायत	2021	पवित्र नगर
83.	मण्डीदीप	24.05.2013	27.07.2017	नगर पालिका	2031	औद्योगिक
84.	नागदा	10.10.2011	22.06.2018	नगर पालिका	2021	औद्योगिक
85	आलोट	30.03.2012	21.09.2018	नगर पंचायत	2031	तहसील
86	सिरोंज	30.03.2017	09.02.2018	नगर पालिका	2031	तहसील
87.	कुक्षी	30.03.2012	22.06.2018	नगर परिषद	2031	तहसील
88.	आमला	22.03.2012	12.10.2018	नगर पालिका	2021	तहसील
89.	नौगांव	11.02.2010	पुनःप्रकशन किया जाना है	नगर पालिका	2021	तहसील
90.	गरौठ	10.08.2011	पुनःप्रकशन किया जाना है	नगर पंचायत	2021	तहसील
91.	मढ़ई	05.10.2011	पुनःप्रकशन किया जाना है	नगर पंचायत	2021	पर्यटक
92.	सौंसर	23.12.2011	पुनःप्रकशन किया जाना है	नगर पालिका	2021	तहसील
93	पचमढी	11.08.1998	पुनःप्रकाशन किया जाना है	साडा	2011	पर्यटक
94.	आष्टा	30.08.2006	पुनःप्रकाशन किया जाना है	नगर पालिका	2021	तहसील
95.	नरसिंहगढ	29.09.2006	पुनःप्रकाशन किया जाना है	नगर पालिका	2021	तहसील
96	डिण्डोरी	31.07.2009	पुनःप्रकाशन किया जाना है	नगर पालिका	2021	जिला मुख्यालय
97	ब्यावरा	22.12.2011	पुनःप्रकाशन किया जाना है	नगर पालिका	2021	तहसील
98	पीथमपुर	02.04.2021		नगर पालिका	2035	अमृत नगर (तहसील मुख्यालय

2.3 **पुनरीक्षित विकास योजना** – इसके अंतर्गत प्रभावशील नगर विकास योजना के प्रथम/द्वितीय चरण उपरान्त पुनर्विलोकन एवं मूल्यांकन किया जाता है तथा आवश्यकतानुसार उपान्तरण कर पुनरीक्षित विकास योजना तैयार की जाती है । इसके अंतर्गत 75 पुनरीक्षित विकास योजनायें प्रकाशित कर 53 विकास योजनाऐं प्रभावशील की जा चुकी हैं, विवरण निम्नानुसार है –

पुनरीक्षित विकास योजनायें

क्र.	नगर का नाम	प्रारूप विकास योजना प्रकाशन की तिथि	विकास योजना अनुमोदन की तिथि	क्रियान्वयन संस्था	योजना कालावधि	नगर का स्तर
1	2	3	4	5	6	7
1.	भोपाल	17.10.1994	09.06.1995	विकास प्राधि.	2005	जिला मुख्यालय
2.	खजुराहो	04.03.1994	05.06.1995	नगर पंचायत	2011	पर्यटक
3.	ग्वालियर	29.10.1995	19.03.1998	विकास प्राधि.	2005	जिला मुख्यालय/ पर्यटक
4.	जबलपुर, (प्रथम चक्र)	29.12.1995	08.12.1998	विकास प्राधि.	2005	जिला मुख्यालय
5.	देवास	18.03.2002	17.12.2002	विकास प्राधि.	2011	जिला मुख्यालय/ औद्योगिक
6.	उज्जैन	13.08.2005	06.06.2006	विकास प्राधि.	2021	जिला मुख्यालय/ पवित्र नगर
7.	इंदौर	13.07.2006	01.01.2008	विकास प्राधि.	2021	जिला मुख्यालय
8.	जबलपुर (द्वितीय चक्र)	09.02.2007	01.10.2008	विकास प्राधि	2021	जिला मुख्यालय
9.	रीवा	21.01.2009	30.03.2010	नगर निगम	2021	जिला मुख्यालय
10.	सतना	30.06.2009	30.03.2010	नगर निगम	2021	जिला मुख्यालय
11.	बुरहानपुर	02.07.2009	30.03.2010	नगर निगम	2021	जिला मुख्यालय
12.	रतलाम	22.10.2009	14.06.2013	नगर निगम	2021	जिला मुख्यालय
13.	बैतूल	13.01.2013	19.09.2013	नगर पालिका	2021	जिला मुख्यालय पर्यटक
14	दमोह	15.03.2013	19.09..2013	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
15.	होशंगाबाद	14.06.2013	20.06.2014	नगर पालिका	2031	जिला मुख्याल धार्मिक नगर
16.	ग्वालियर	12.08.2011	12.09.2014	नगर निगम	2021	जिला मुख्यालय /पर्यटन
17.	मैहर	28.02.2014	16.03.2015	नगर पालिका	2031	धार्मिक नगर
18.	सिंगरौली	21.02.2014	27.03.2015	विकास प्राधिकरण	2031	औद्योगिक
19.	शहडोल	28.01.2014	31.03.2015	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय

20.	खण्डवा	05.09.2012	11.11.2016	नगर निगम	2031	जिला मुख्यालय
21.	सीहोर	28.06.2014	11.11.2016	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
22.	इटारसी	05.03.2015	28.10.2016	नगर पालिका	2031	तहसील
23.	नीमच	07.02.2014	27.03.2017	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
24.	ओकारेश्वर	30.09.2016	02.05.2017	नगर पंचायत	2021	धार्मिक नगर
25.	सागर	28.02.2014	28.07.2017	नगर निगम	2031	जिला मुख्यालय
26.	टीकमगढ	28.12.2016	08.09.2017	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
27.	गुना	28.02.2014	24.03.2018	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
28.	हरदा	27.08.2015	22.06.2018	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
29.	भिण्ड	23.03.2017	13.07.2018	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
30.	विदिशा	25.01.2012	22.06.2018	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
31.	देवास	09.10.2012	17.08.2018	नगर निगम	2031	जिला मुख्यालय
32.	दतिया	02.02.2018	12.10.2018	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
33.	पांढुना	28.12.2016	30.10.2020	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
34.	जावरा	22.07.2017	18.12.2020	नगर पालिका	2031	तहसील
35.	राजगढ	26.03.2018	12.03.2021	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
36.	खरगौन	21.01.2019	31.01.2020	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
37.	शिवपुरी	18.01.2011	02.07.2021	नगर पालिका	2021	जिला मुख्यालय /पर्यटक
38.	बीना	02.12.2011	पुनः प्रकाशन किया जाना है	नगर पालिका	2021	औद्योगिक
39.	माण्डव	17.02.2017	पुनः प्रकाशन किया जाना है	नगर परिषद	2031	पर्यटक नगर
40.	चन्देरी	27.02.2017		नगर पालिका	2031	पर्यटक/हथकरधा उद्योग
41.	छिन्दवाड़ा	31.05.2017	पुनः प्रकाशन	नगर निगम	2031	जिला मुख्यालय
42.	ओकारेश्वर	01.10.2019	11.06.2021	नगर परिषद	2031	अमृत नगर
43.	खजुराहो	01.11.2019	21.05.2021	नगर परिषद	2031	पर्यटक नगर
44.	डबरा	28.02.2020	21.05.2021	नगर पालिका	2031	अमृत नगर(तहसील)
45.	भोपाल	06.03.2020	—	नगर निगम	2031	अमृत नगर (जिला मुख्यालय)
46.	बुरहानपुर	11.12.2020	21.01.2022	नगर निगम	2031	अमृत नगर (जिला मुख्यालय)
47.	मंदसौर	11.12.2020	—	नगर पालिका	2035	अमृत नगर (जिला मुख्यालय)
48.	भिण्ड	11.12.2020	21.05.2021	नगर पालिका	2035	अमृत नगर (जिला मुख्यालय)
49.	शिवपुरी	11.12.2020	02.07.2021	नगर पालिका	2035	अमृत नगर (जिला मुख्यालय)

50.	बैतूल	11.12.2020	11.02.2022	नगर पालिका	2035	अमृत नगर (जिला मुख्यालय)
51.	सिंगरोली	01.01.2021	02.09.2022	नगर निगम	2035	अमृत नगर (जिला मुख्यालय)
52.	गुना	08.01.2021	01.10.2021	नगर पालिका	2035	अमृत नगर (जिला मुख्यालय)
53.	दतिया	08.01.2021	21.05.2021	नगर पालिका	2035	अमृत नगर (जिला मुख्यालय)
54.	नागदा	08.01.2021	02.09.2022	नगर पालिका	2035	अमृत नगर (जिला मुख्यालय)
55.	होशंगाबाद	08.01.2021	04.03.2022	नगर पालिका	2035	अमृत नगर (जिला मुख्यालय)
56.	दमोह	08.01.2021	06.01.2023	नगर पालिका	2035	अमृत नगर (जिला मुख्यालय)
57.	उज्जैन	08.01.2021	–	नगर निगम	2035	अमृत नगर (जिला मुख्यालय)
58.	छतरपुर	15.01.2021	29.10.2021	नगर पालिका	2035	अमृत नगर (जिला मुख्यालय)
59.	खरगौन	22.01.2021	20.05.2022	नगर पालिका	2035	अमृत नगर (जिला मुख्यालय)
60.	सतना	05.02.2021	02.09.2022	नगर निगम	2035	अमृत नगर (जिला मुख्यालय)
61.	रतलाम	05.02.2021	–	नगर निगम	2035	अमृत नगर (जिला मुख्यालय)
62.	नीमच	12.02.2021	–	नगर पालिका	2035	अमृत नगर (जिला मुख्यालय)
63.	सिवनी	12.02.2021	06.01.2023	नगर पालिका	2035	अमृत नगर (जिला मुख्यालय)
64.	खण्डवा	26.0202021	–	नगर निगम	2035	अमृत नगर (जिला मुख्यालय)
65.	विदिशा	26.02.2021	–	नगर पालिका	2035	अमृत नगर (जिला मुख्यालय)
66.	सीहोर	26.02.2021	–	नगर पालिका	2035	अमृत नगर (जिला मुख्यालय)
67.	मुरैना	26.03.2021	04.03.2022	नगर पालिका	2035	अमृत नगर (जिला मुख्यालय)
68.	कटनी	26.03.2021	पुनः प्रकाशन किया जाना है।	नगर पालिका	2035	अमृत नगर (जिला मुख्यालय)

69.	पीथमपुर	02.04.2021	–	नगर पालिका	2035	अमृत नगर (जिला मुख्यालय) औद्योगिक नगर
70.	रीवा	01.10.2021	–	नगर निगम	2035	अमृत नगर (जिला मुख्यालय)
71.	ग्वालियर	15.10.2021	–	नगर निगम	2035	अमृत नगर (जिला मुख्यालय)
72.	सागर	29.04.2022		नगर निगम	2035	जिला मुख्यालय
73.	छिन्दवाड़ा	14.10.2022		नगर निगम	2035	जिला मुख्यालय
74.	श्योपुर	21.10.2022	–	नगर पालिका	2035	जिला मुख्यालय
75.	अशोकनगर	16.12.2022	–	नगर पालिका	2035	जिला मुख्यालय

3. नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारियों तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारियों के कृत्यों से संबंधित दायित्व

3.1 नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारियों द्वारा तैयार की जाने वाली नगर विकास योजनाओं (स्कीम) का तकनीकी एवं विधिक परीक्षण करना।

3.2 नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारियों के वार्षिक बजट परीक्षण।

3.3 मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम एवं भूमि विकास नियम में दिये गये प्रावधानों के अनुसार क्रियान्वयन संस्थाओं से अनाधिकृत विकास पर नियंत्रण करवाना।

4. अन्य दायित्व

अन्य महत्वपूर्ण दायित्वों में नगर विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों को तथा अन्य विकास से संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शन देना तथा शासन की भूमि विकास एवं प्रबंधित नीतियों में सहायता करना । संचालनालय के अंतर्गत आने वाले जिला कार्यालयों के अधिकारियों को संचालक की शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हैं ताकि विकास योजना प्रस्तावों का क्रियान्वयन सुचारू रूप से हो सके । भवन निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अधीन मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में भवन अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। यह प्रावधान स्थानीय संस्थाओं के अधिनियमों के अतिरिक्त है।

4.1 विशेषतायें

नगरों के सुनियोजित विकास हेतु विकास योजना एवं पुनरीक्षित विकास योजना बनाना, प्रादेशिक योजना बनाना तथा वित्तीय प्रबंधन करना संचालनालय के विशिष्ट दायित्व हैं।

4.2 बेबसाईट प्रदर्शन

राज्य के विभिन्न नगरों की प्रभावशील विकास योजनाओं की जानकारी बेबसाईट www.mptownplan.nic.in / www.mptownplan.gov.in पर उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्रस्तावित है। इसमें मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 तथा उसके अंतर्गत बनाये गये अन्य नियम जैसे मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2012, म.प्र. भूमि विकास नियम 2012, म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश विकसित भूमियों, गृहों, भवनों तथा अन्य संरचनाओं का व्ययन नियम, 1975 आदि भी शामिल किये गये हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 तथा सिटीजन चार्टर के साथ–साथ संचालनालय से संबंधित समय–समय पर जारी किए गए परिपत्रों, विकास अनुज्ञाओं तथा विकास योजनाओं की जानकारी भी बेबसाईट पर उपलब्ध कराई जाती है।

4.3 महत्वपूर्ण उपलब्धियॉ

क्रमांक	गतिविधियां	उपलब्धि (नगर)
1	निवेश क्षेत्र का गठन	160
2	भूमि उपयोग मानचित्र का प्रकाशन	113
3	विकास योजना प्रकाशित / प्रभावशील	98 / 88
4	जिला मुख्यालय नगर / विकास योजना प्रकाशित	52 / 51
5	पुनरिक्षित विकास योजना प्रकाशित / प्रभावशील	75 / 53
6	मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 1984 प्रभावशील	145
7	नगर विकास प्राधिकरण	10
8	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	6

4.4 नगर विकास योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश के कुल 98 नगरों की विकास योजनायें तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत प्रदेश की लगभग 77 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या लाभान्वित हुई है।

4.5 भारत सरकार की अमृत योजना के उपयोग के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के 34 अमृत नगरों की जी.आई. एस. आधारित विकास योजना तैयार की जा रही है।

भाग – दो

1. बजट

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश को विगत वर्षों में ''आयोजना'' बजट के अंतर्गत निम्नानुसार राशि आवंटित एवं व्यय हुई :–

वर्ष	आयोजना बजट आवंटन (लाख रूपये में)	व्यय (लाख रूपये में)
2022–23	673.00 लाख	361.00 लाख (31 दिसम्बर 2022 तक)

भाग – तीन

1. **राज्य प्रवर्तित योजना :** विगत तीन वर्षो की उपलब्धि

क्र	योजना का नाम	वर्ष	भौतिक		वित्तीय (रू.लाख में)	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
	2621–विकास योजना बनाना पुनर्विलोकन एवं उपान्तरण करना	2020–21 6 नगर	12 नगर	6 नगरों की विकास योजना प्रारूप प्रकाशित । 8 नगरों की योजना अंतिम चरण में है प्रारूप प्रकाशन हेतु तैयार।	285.00 लाख	247.00 लाख वित्तीय वर्ष 2020–21 कोविड–19 से प्रभावित होने के कारण व्यय में कमी आई है)
		2021–22 16 नगर	16 नगर	21 नगरों का प्रारूप प्रकाशित 2 नगरो का प्रारूप प्रकाश हेतु तैयार	816.00 लाख	412.00 लाख
		2022–23 16 नगर (31 दिसम्बर 2022 तक)	16 नगर	4 नगरों का प्रारूप प्रकाशित 9 नगरो का प्रारूप प्रकाश हेतु तैयार	673.00 लाख	361.00 लाख
	अमृत योजना के अन्तर्गत 34 नगरों के जी.आई.एस. आधारित विकास योजनाऐं तैयार करना	वित्तीय वर्ष 2022–23 में 34 नगरों की जी.आई.एस. आधारित विकास योजनाऐं	34 नगर	एन.आर.एस.सी हैदराबाद द्वारा 34 नगरों का जी.डी.बी./सेटेलाईट इमेज प्राप्त हो गयी है जिसमें से 34 नगरों के जी.डी.बी./सेटेलाईट इमेज का भौतिक सत्यापन एवं पुनरीक्षण कर एन.आर.एस.सी., हैदराबाद को प्रेषित किया जा चुका है । 29 नगरों के फाईनल बेसमैप एन.आर.एस.सी. हैदराबाद से प्राप्त हो गये है जिसमें से 31 नगरों की प्रारूप विकास योजना अमृत योजना की मार्गदर्शिका में उल्लेखित मापदण्डों के अनुसार तैयार प्रारूप प्रकाशन किया जा चुका है तथा 3 नगरों यथा– देवास, इन्दौर, एवं जबलपुर नगरों की विकास योजना प्रकाशन हेतु तैयार की जा रही हैं ।	351.00 लाख (वर्ष 2021–22 में आवंटित राशि से ही कार्य संपादित किया गया)	336.00 लाख

2. सूचना एवं प्रौद्यागिकी की जानकारी

2.1 सूचना प्रौद्योगिकी अन्तर्गत संचालनालय एवं इसके समस्त 28 कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है।

2.2 संचालनालय द्वारा मैप–आई.टी. के माध्यम से नवीन जी.आई.एस. आधारित विकास अनुज्ञा प्रदाय करने हेतु एप्लीकेशन तैयार कराई जा रही है, जो अंतिम चरण में है।

2.3 वर्तमान में जन सामान्य की सुविधा हेतु, 11 नगरों के Real Time में भूमि उपयोग प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्रदाय किये जा रहे हैं। शेष नगरों में उक्त कार्यवाही प्रचलन में है।

3. वर्ष 2022–2023 (31 दिसम्बर 2022 तक) की उपलब्धियॉ

भौतिक उपलब्धियॉ (जनवरी 2022 से दिसम्बर 2022 तक)

(अ)	शासन द्वारा अंगीकृत विकास योजनाएं (5 नगर)	1. सिंगरौली, 2. नागदा 3. होशंगाबाद, 4. खरगौन 5.सतना
(ब)	प्रारूप विकास योजना प्रकाशन (3 नगर)	1. सागर, 2. छिन्दवाडा 3. श्योपुर
(स)	प्रारूप विकास योजना प्रकाशन हेतु तैयार	कार्यवाही प्रचलन में है।

भाग – चार

1 न्यायालयीन कार्यों की स्थिति

वित्तीय वर्ष 2022–23 की अवधि में नगर तथा ग्राम निवेश के विरूद्ध कुल 27 प्रकरण विभिन्न स्तर के न्यायालयों में संचालनालय के विरूद्ध दायर हुये हैं जिसमें 18 प्रकरणो में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये गये, तथा 2 प्रकरणों में जबाव दावे प्रस्तुत तथा 2 प्रकरणों में मा. न्यायालय द्वारा आदेश पारित किये जा चुके हैं।

1.1 प्रशासकीय गतिविधियॉ

(अ) वित्तीय वर्ष 2022–23 में 2 पद पर कर्मचारी को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई है ।

(ब) संचालनालय एवं अधीनस्थ जिला कार्यालयों हेतु 693 नियमित पद एवं 201 संविदा पद, कुल 894 पद स्वीकृत हैं जिसके विरूद्ध नियमित एवं संविदा के 353 पद भरे हुए है तथा 541 पद रिक्त है। जिसमें नियमित एवं संविदा पद सम्मलित है।

1.2 विधायी से संबंधित कार्यकलाप

1.2.1 विधानसभा में उठाये गये विभिन्न प्रश्नों के उत्तर, दिये गये आश्वासनों तथा प्राप्त याचिकाओं की जानकारी यथासमय दी जाती रही है ।

1.2.2 इसके अतिरिक्त विधानसभा की लोक लेखा समिति, आश्वासन समिति आदि द्वारा चाही गई जानकारी यथासंभव उपलब्ध कराई जाती है ।

1.2.3 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम नियम /नियम में संशोधन

1.2.3.1 म.प्र. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश, नियम 2012 के नियम 15 में उपनियम (14) के पश्चात उपनियम (15) अंतःस्थापन बाबत राजपत्र दिनांक 09.09.2022 को अंतिम प्रकाशन।

1.2.3.2 मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम–2 के उपनियम (5) में खण्ड (ख) राजपत्र दिनांक 07.10.2022 अंतिम नियम।

1.2.3.3 मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम–4 के उपनियम (1) में खण्ड (ख) राजपत्र दिनांक 26.08.2022 अंतिम नियम।

1.2.3.4 मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम–12 के पश्चात् नियम–12 (क) राजपत्र दिनांक 07.10.2022 अंतिम नियम।

1.2.3.5 मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम–2 के पश्चात् उपनियम(5) राजपत्र दिनांक 09.12.2022 प्रारुप नियम।

भाग – पांच

1. प्रकाशन

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा नियमित रूप से विभिन्न नगरों की विकास योजनाओं के प्रारूप एवं अनुमोदित विकास योजनाओं का प्रकाशन म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है।

भाग – छः

1. राज्य की महिला नीति का क्रियान्वयन

राज्य की महिला नीति के क्रियान्वयन हेतु संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल नोडल अधिकारी नियुक्त हैं। कार्यालय में महिला कर्मियों की मूलभूत सेवा–सुविधाओं की पूर्ति हेतु अलग से व्यवस्था स्थापित की गई है। वर्तमान में विभाग में कुल 85 महिलाएं कार्यरत है, जो कार्यरत पदों का लगभग 09 प्रतिशत है।

भाग – सात

1. सारांश

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा 160 नगरीय केन्द्रों के निवेश क्षेत्रों का गठन किया गया है तथा 105 नगरों के वर्तमान भू–उपयोग मानचित्र का प्रकाशन एवं अंगीकरण किया जा चुका है । 98 नगरों की विकास योजनाओं का प्रकाशन किया जा चुका है जिनमें से 88 विकास योजनाएं अंगीकृत है। 75 नगरों की पुनरीक्षित विकास योजना का प्रकाशन किया गया है। जिसमें से 53 नगरो की योजनाऐं शासन द्वारा प्रभावशील की जा चुकी है । वर्तमान में भारत सरकार की अमृत योजना की उपयोजना में प्रदेश के 34 अमृत शहरों के GIS आधारित विकास योजना (नवीन/पुनरीक्षित) में से 21 जी.आई.उस. आधारित प्रारूप प्रारूप विकास योजना का प्रकाशन किया जा चुका है, 7 अमृत नगरों की विकास योजना अंगीकृत हो चुकी है एवं 2 नगरों की अमृत विकास योजना तैयार कर प्रारूप प्रकाशन हेतु तैयार है ।

———

राज्य नगर नियोजन संस्थान (सिटॉप)
STATE INSTITUTE FOR TOWN PLANNING, BHOPAL (SITOP)

भाग–एक

1. विभागीय संरचना

अध्यक्ष	–	श्री भूपेन्द्र सिंह, मंत्री, म.प्र.शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग
महानिदेशक	–	श्री नीरज मंडलोई, प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग
कार्यपालन संचालक	–	श्री मुकेश चन्द गुप्ता, आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश

2. अधीनस्थ कार्यालय – निरंक

3. विभाग के अन्तर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थाओ का विवरण – निरंक

4. सदस्य संस्थाऐं – प्रदेश में म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के तहत गठित 10 विकास प्राधिकरण – भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास, ग्वालियर, जबलपुर, रतलाम, कटनी, सिंगरौली तथा अमरकंटक, 06 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण –पचमढी, ग्वालियर काउन्टर मैग्नेट, खजुराहो, ओरछा, महेश्वर मण्डलेश्वर एवं चित्रकूट सदस्य संस्थायें तथा 03 नगरीय निकाय – खजुराहो, धनपुरी एवं गढ़ाकोटा संस्थान की एसोसिएट सदस्य हैं।

5. संस्थान के लक्ष्य तथा उद्देश्य (aims and objects)

5.1 नगरीय/ग्रामीण नियोजन से संबंधित मामलों में मध्यप्रदेश शासन तथा नगर एवं ग्राम निवेश संचालनालय को सहायता तथा परामर्श प्रदान करना।

5.2 विकास योजनाओं, क्षेत्रीय योजनाओं, परिक्षेत्रीय योजनाओं, नगर विकास योजनाओं (स्कीमों) और योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु संसाधन संघटित (resource mobilization) करने, योजना का अनुश्रवण (मॉनिटरिंग) करने तथा इनसे संबंधित कार्यान्वयन मामलों में इन्हें तैयार करने, सूक्ष्म परीक्षण करने तथा मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करना।

5.3 विभिन्न राज्यों के साथ–साथ देश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा अपनाई गई नगर नियोजन नीतियों का तुलनात्मक विश्लेषण करना, नियोजन प्रक्रिया पर शोध/अनुसंधान करना, पर्यावरण के क्षेत्र में नियोजित तथा एकीकृत नगर तथा ग्राम विकास के माध्यम से अध्ययन तथा शोध/अनुसंधान का उत्तरदायित्व लेना तथा इन क्षेत्रों में परामर्श प्रदान करना।

5.4 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 23 (ख) के अन्तर्गत भूमि–उपयोग परिवर्तन (Land use change) का सूक्ष्म परीक्षण करना।

5.5 आंकड़ा आधार (Data Base) का सृजन करना तथा इसे अद्यतन करना एवं ई–अभिशासन (E-governance)।

5.6 मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के वार्षिक बजट का सूक्ष्म परीक्षण करना।

5.7 पुनर्घनत्वीकरण परियोजनाओं (Re-densification Projects) का सूक्ष्म परीक्षण करना।

5.8 सरल क्रमांक 8 (क) तथा (ख) हेतु नगर विकास प्राधिकरणों द्वारा कार्यान्वयन हेतु हाथ में ली जा रही योजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (Environment Impact Assesment) का अध्ययन करना।

5.9 संस्थानान्तरिक (Inhouse) के साथ–साथ विख्यात संस्थाओं के सहयोजन से भी क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना–{जैसे कि प्रशिक्षण, अध्ययन गोष्ठियां (सेमीनार), कार्यशालाएं, विभिन्न विषयों पर व्याख्यान, प्रकाशन एवं प्रचार–प्रसार}।

5.10 सदस्यों तथा विभाग के अधिकारियों को हाल ही के घटनाचक्रों से अद्यतन रखे जाने हेतु सूचना–पत्र (News letter) जारी करना।

5.11 संस्थान के मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थाओं के साथ संबंध विकसित करना।

5.12 तत्कालीन मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ के चालू कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना।

5.13 ऐसे समस्त कर्त्तव्यों तथा कार्यों का निष्पादन करना जैसा कि उनके बारे में कार्यकारिणी समिति (Executive Committee) तथा साधारण सभा (General Body) द्वारा निर्णय लिया जाए।

5.14 आवश्यकतानुसार तथा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार को सेवाएं प्रदान करना।

6. साधारण सभा

मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन एण्ड रेग्यूलेशन के प्रावधानों के अनुसार संस्था के साधारण सभा का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष माननीय मंत्रीजी, नगरीय विकास एवं आवास विभाग हैं। साधारण सभा में महानिदेशक एवं कार्यपालन संचालक सहित कुल 35 सदस्य शामिल हैं।

7. कार्यकारिणी समिति

मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन एण्ड रेग्यूलेशन के प्रावधानों के अनुसार संस्था के दैनंदिनीय कार्यों के निष्पादन हेतु एक कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है, जिसके सदस्य निम्नानुसार है :–

1	प्रमुख सचिव, , म.प्र.शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग एवं महानिदेशक, राज्य नगर नियोजन संस्थान	अध्यक्ष
2	आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल	सदस्य
3	आयुक्त, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल या प्रतिनिधि (संयुक्त संचालक स्तर से कम नही	सदस्य

4	मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वालियर विकास प्राधिकरण, ग्वालियर	सदस्य
5	मुख्य कार्यपालन अधिकारी इंदौर विकास प्राधिकरण, इंदौर	सदस्य
6	संचालक योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, भोपाल या प्रतिनिधि	सदस्य
7	सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग या नामांकित उप सचिव स्तर का अधिकारी	सदस्य
8	श्री एस.एस.राठौर, सेवानिवृत्त संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश (राज्य शासन द्वारा नामांकित)	सदस्य
9	कार्यपालन संचालक, राज्य नगर नियोजन संस्थान, भोपाल	सदस्य सचिव

8. विभाग से संबंधित जानकारी

राज्य नगर नियोजन संस्थान प्रदेश की नगर विकास संस्थाओं का एक पंजीकृत संगठन है, जिसका मुख्य कार्य प्रदेश की विकास संस्थाओं/नगरीय निकायों संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश एवं अन्य संस्थाओं के कार्यो में सलाहकार की भूमिका निभाते हुये सहयोग प्रदान करना तथा नगरीय निकायों की योजनायें तैयार करने में तकनीकी सहयोग, प्रशासनिक एवं लेखा प्रबंधन आदि क्षेत्र में मार्गदर्शन एवं अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण तथा कार्यशालायें आयोजित करना।

9. सामान्य या प्रमुख विशेषताऐं

(अ) भारत शासन द्वारा आई.डी.एस.एम.टी. योजनान्तर्गत प्रसारित पुनरीक्षित मार्गदर्शिका अगस्त 1995 के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा म.प्र.विकास प्राधिकरण संघ को नोडल एजेन्सी घोषित किया गया था। राज्य नगर नियोजन संस्थान (पूर्व नाम म.प्र. विकास प्राधिकरण संघ) द्वारा इन योजनाओं हेतु समन्वयक एवं परामर्शदाता के रूप में कार्य किया जा रहा है। राज्य नगर नियोजन संस्थान द्वारा तकनीकी परामर्श संबंधी कार्य 'इन हाउस' किया जा रहा है। आवश्यक होने पर संस्थान में पंजीकृत वास्तुविदों, इंजीनियरों, नियोजकों की सेवायें ली जाती है।

(ब) म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्र.एफ–6–9/10/32 भोपाल दि. 18.02.2010 द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश के सूचना प्राद्योगिकी कार्य को संपादित करने हेतु राज्य नगर नियोजन संस्थान को नोडल एजेन्सी घोषित किया गया है। संस्थान द्वारा 98 नगरों हेतु जी. आई.एस आधारित एप्लीकेशन मेप आई.टी. के माध्यम से तैयार कराया जा चुका है, जिसमें निरंतर उन्नयन का कार्य भी चल रहा है।

(स) म.प्र.शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश द्वारा राज्य नगर नियोजन संस्थान को धारा–16 के अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों के परीक्षण हेतु आदेशित किया गया है।

भाग–दो

1. बजट सिंहावलोकन, आय के स्त्रोत

1.1 राज्य राज्य नगर नियोजन संस्थान की आय के मुख्य स्त्रोत, सदस्य संस्थाओं से प्राप्त सदस्यता शुल्क तथा योजनाओं के वास्तुविदीय परामर्श कार्य/तकनीकी परीक्षण/बजट परीक्षण/सर्वेक्षण कार्यो से प्राप्त परीक्षण शुल्क ही है। शासन से संस्थान को कोई अनुदान प्राप्त नहीं होता है ।

2. बजट प्रावधान, लक्ष्य/व्यय एवं अंकेक्षण

2.1 वर्ष 2021–22 के अनुमानित आय तथा व्यय क्रमशः रू. 1398.22 लाख व रू1287.12 लाख के विरूद्ध वास्तविक आय तथा व्यय क्रमशः रू. 199.42 लाख व रू. 456.30 लाख हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुमानित आय तथा व्यय क्रमशः रू. 1057.26 लाख व रू. 923.62 प्रस्तावित हैं।

2.2 राज्य नगर नियोजन संस्थान के वर्ष 2021–22 तक के आय–व्यय का अंकेक्षण कार्य संपन्न हो चुका है।

3. संसदीय कार्य, विधि विषय कार्य एवं न्यायालयीन कार्यः– निरंक

4. स्वीकृत सेटअप

4.1 राज्य नगर नियोजन संस्थान के मूल स्वीकृत सेटअप में विभिन्न श्रेणी के 80 पद स्वीकृत थे, जिसमें से 20 पद सुपरन्यूमरी घोषित किये जाने के कारण 15 पद रिक्त होने के उपरांत समाप्त हो गये। शेष 65 नियमित पदों के विरूद्ध वर्तमान में 55 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं।

4.2 कार्यकारिणी समिति द्वारा कार्यालय की वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु विस्तृत कार्ययोजना बनाकर प्रस्तुत किये जाने के दिये गये निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया।

4.3 समिति द्वारा प्रस्तावित कार्य अनुरूप रिवाइज्ड सेटअप बनाया गया, जिसका अनुमोदन कार्यकारिणी समिति की 76वीं बैठक दिनांक 26.10.2022 में प्राप्त किया गया। रिवाइज्ड सेटअप में निम्नानुसार 26 पद नियमित श्रैणी के तथा 29 पद अस्थायी स्वीकृत किये गये :–

"REVISED SET UP"

SL. NO.	PREVIOUS Set UP		REVISED SET UP		
	DESIGNATION	NO. OF SANC. POST	DESIGNA-TION	No of POST	PAY SCALE
1.	Executive Director	1	Executive Director	1	Ex. officio Director/commi. (T&CP)
2.	Director (Cordination)	1	Director (Planning)	1	15600-39100+GP 7600
3.	Deputy Director	1	Town Planner (Urban Planner)	1	15600-39100+GP 6600
4.	Assistant Engineer	4	Assistant Engi.	2	15600-39100+GP 5400
			Assistant Town Planner (Transport)	1	
5.	Assistant Architect	1	Architect/Urban Designer	1	15600-39100+GP 5400
6.	Assistant Manager (Budget)	1	Assistant Manager	1	15600-39100+GP 5400

7.	Assistant Manager (Training & Moni.)	1	(Training/Moniter ing)		15600-39100+GP 5400
8.	Asstt.Admn. Officer	1	-	-	9300-34800+GP 3200
9.	Sub Engineer	7	Sub-Engineer	4	9300-34800+GP 3200
10.	Accountant Grade-1	1	Accountant Grade-1	1	9300-34800+GP 3600
11.	Assistant Grade-1	2	Asstt. Gr. - 1	1	5200-20200+GP 2800
12.	Assistant Draftsman	4	Asstt. Draftman (GIS)	4	5200-20200+GP 2400
13.	Surveyor	1	Serveyor	1	5200-20200+GP 2400
14.	Assistant Grade-2	1	Asstt. Gr. - 2	1	5200-20200+GP 2400
15.	Accountant	1*	Accountant	-	5200-20200+GP 2400
16.	Assistant Grade-3	13 (07*)	Asstt. Gr. - 3	06	5200-20200+GP 1900
17.	Tracer	3	-	-	5200-20200+GP 1900
18.	Moduller	1	-	-	5200-20200+GP 1900
19	Driver	4*	Driver	02	5200-20200+GP 1900
20.	Ferro Printer	1	-	-	5200-20200+GP 1900
21	Peon	11*	Peon	07	4440-7440+GP1300
22	Chokidar	2*	Chokidar	02	4440-7440+GP1300
23	Mali	1*	Mali	01	4440-7440+GP1300
24	Sweeper	1*	Sweeper	01	4440-7440+GP1300
		65		**26**	

Note - 1. Sr. No. 19-24 Required Employees to be taken from outsource

2. Sr. No. 15,16,19, 21-24 (*) Sanction post in dying cadre.

"PROJECT BASED TEMPRERY POST (Out Source) - SET UP"

SL. NO	DESIGNATION	REQUIRE POST	HONORARIUM	NO OF SANCTI ON POST	FILLED POST
1	Project fellow (Urban)	02	50,000/-	01	01
2	Project fellow (Transport Planner)	01	50,000	01	-
3	Project fellow (Regional Planner)	-	50,000	01	-
4	Consultant (GIS)	01	50,000	01	-
5	Data Administrator	01	50,000/-	01	01
6	Legal Advisor	-	-	01	-
7	Senior Project fellow	02	33,880/-	02	01
8	Junior Project fellow	01	30,000/-	01	-
9	Research Associats	02	30,000/-	02	01
10	Senior Research Fellow	-	25,000/-	02	-
11	Junior Research Fellow	04	20.000/-(Each)	04	03
12	Lab Attendent	01	20,000/-	01	-
13	Computer Operator	01	20,000/-	01	-
14	Driver (Out source)	02	-	-	-
15	Peon (Out source)	07	15,000/-	02	-
16	Chowkidar (Out source)	02	-	-	-
17	Mali (Out source)	01	-	-	-
18	Sweeper (Out source)	01	-	-	-
	Total	**29**		**21**	**07**

4.4 वर्तमान स्थिति में 55 अधिकारी/कर्मचारी नियमित रूप से कार्यरत है, जिसमें से 05 अधिकारी/कर्मचारी विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं तथा 08 कर्मचारी नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय/अन्य कार्यालयों में संलग्नीकरण में पदस्थ है। संस्थान में 08 अधिकारी/कर्मचारी संविदा/प्रोजेक्ट बेस अनुबंध आधार पर अस्थायी रूप से कार्यरत हैं।

4.5 संस्थान में राज्य शासन के नियमानुसार कर्मचारियों के लिये समयमान वेतनमान योजना लागू है।

भाग–तीन

(अ) राज्य योजनाएँ एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ

1. राज्य नगर नियोजन संस्थान (SITOP) को प्रदेश में संचालित आई.डी.एस.एम.टी. योजना हेतु नोडल एजेन्सी घोषित किया गया था। राज्य नगर नियोजन संस्थान (SITOP) द्वारा इस योजना व उससे निर्मित आवर्ती कोष से योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

2. आवर्ती कोष – आई.डी.एस.एम.टी. योजना की मार्गदर्शिका के प्रावधानों के तहत संस्थाओं द्वारा निर्मित व्यवसायिक घटकों की योजनाओं से आवर्ती कोष में 81 नगरों द्वारा राशि रू.10204.46 लाख सूचित किया है। उक्त आवर्ती कोष के विरूद्ध 48 संस्थाओं द्वारा लगभग 196 घटकों की योजनाएँ तैयार करने के प्रस्ताव प्राप्त हुये जिसमें से अभी तक 39 नगरों के 143 घटकों के कार्यो के विस्तृत प्राक्कलन एवं मानचित्र लगभग राशि रू.5241.99 लाख स्वीकृत होकर निर्माण कार्य प्रगति पर है। उक्त मे 51 घटकों की राशि रू.1899.18 लाख के कार्य संबंधित संस्थाओं द्वारा पूर्ण किये गये। 38 नगरों के कार्य प्रेषित करने के उपरांत शेष आवर्ती कोष की राशि रू. 4962.47 लाख के विरूद्ध प्राप्त योजना प्रस्ताव/योजना प्रस्ताव प्राप्त कर कार्य किये जाने का कार्य प्रचलन में है।

3. संस्थान द्वारा 8 नगरों के 15 योजना घटकों का आई.डी.एस.एम.टी. योजनान्तर्गत निर्मित आवर्ती कोष से वास्तुविदीय कार्य किया गया, जिसमें नागौद, मैहर, अमरपाटन, गुड़, रामपुर–नैकिन, चाकघाट, रामपुर–बाघेलान व कटंगी नगरों की लगभग राशि रू.714.74 लाख की योजनाओं का विस्तृत वास्तुविदीय कार्य संपादित किया गया।

(ब) सूचना प्रौद्योगिकी

1. 98 नगरों के भू–उपयोग जानकारी एवं विकास अनुज्ञा ऑन–लाईन जारी की जा रही थी, जिसे मेप.आई.टी. के माध्यम से जी.आई.एस. आधारित उन्नयन भी कराया जा रहा है, जिसमें वर्तमान में 30 नगरों में भू–उपयोग की जानकारी रियल टाईम में दी जा रही है तथा 68 नगरों में 7 दिवस में दी जा रही है।

2. संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश हेतु राज्य नगर नियोजन संस्थान कार्यालय में निमित जी.आई.एस. स्टूडियों का संचालन किया जा रहा है।

अन्य

1 संचालनालय में गठित प्राधिकरण सेल में भी राज्य नगर नियोजन संस्थान के अधिकारी द्वारा कार्य संपादित कर सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

(स) विश्व बैंक की सहायता से चलायी जाने वाली योजनाऐंः– निरंक

(द) विदेशी सहायता प्राप्त योजनाऐं/परियोजनाऐंः– निरंक

(ई) अन्य योजनाऐं /राज्य शासन द्वारा सौपे गये कार्य :–

1. राज्य शासन/संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा राज्य नगर नियोजन संस्थान के कार्यकलापों/आय में वृद्धि के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण कार्य संस्थान को सौपे गये है :–

I प्रदेश के विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के वार्षिक बजट का परीक्षण कर शासन को अग्रेषित करना तथा नवगठित विकास प्राधिकरणों के वार्षिक बजट तैयार करने हेतु सहयोग प्रदान करना। वर्ष 2022–23 में संस्थान द्वारा प्राप्त 06 विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के वार्षिक बजट का परीक्षण कर राज्य शासन की ओर प्रेषित किये गये हैं।

II सिंहस्थ उज्जैन, 2016 के अभिन्यास/नियोजन तैयार किये गए, जिसके देयक रू. 72.76 लाख की राशि प्राप्त किए जाने हेतु प्रकरण शासन के समक्ष विचाराधीन है।

III अमृत योजनान्तर्गत अलीराजपुर, खुरई, पन्ना, सीधी नागदा, कटनी, सागर एवं रीवा नगर की जी.आई.एस. बेस्ड विकास योजना तैयार किये जाने का कार्य प्रचलन में है।

IV कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश, विकास प्राधिकरणों के अधिकारियों/ कर्मचारियों के प्रशिक्षण/क्षमता वृद्धि हेतु विभिन्न विषयों पर कार्यशालायें/ प्रशिक्षण आयोजित करना।

भाग–चार

1. सामान्य प्रशासनिक विषय

1.1 विभागीय पदोन्नति – निरंक

1.2 नियुक्ति – तीन अधिकारियों को सेवानिवृत्ति उपरांत संविदा नियुक्ति प्रदान की गई। 05 कर्मचारियों की नियुक्ति प्रोजेक्ट बेस अनुबंध आधार पर अस्थाई रूप से की गई। आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये इनकी समयावधि में वृद्धि की गई।

1.3 विभागीय जॉच – एक

1.4 न्यायालयीन प्रकरण – निरंक

1.5 म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से प्राप्त विधानसभा प्रश्नों के उत्तर/जानकारी संस्थान द्वारा समय–सीमा में विभाग को उपलब्ध कराई गई।

भाग–पांच

1. अभिनव योजना

1.1. राज्य नगर नियोजन संस्थान द्वारा अमृत योजनान्तर्गत जी.आई.एस. बेस्ड विकास योजना तैयार किये जाने का कार्य संपादित किया जा रहा है, जिसकी अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है :–

1.1.1 नागदा नगर की विकास योजना, 2035 का प्रकाशन।

1.1.2 कटनी नगर की विकास योजना, 2035 (प्रारूप) प्रकाशन के उपरांत म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 (2) की प्रक्रिया प्रचलन में है।

1.1.3 सागर एवं रीवा नगर की विकास योजना, 2035 (प्रारूप) प्रकाशन के उपरांत म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 18 (3) की प्रक्रिया प्रचलन में है।

1.1.4 सीधी, पन्ना, अलीराजपुर नगर की विकास योजना 2035 के प्रारूप प्रकाशन का कार्य अंतिम चरण में हे।

1.1.5 खुरई नगर के लिए वृद्धित निवेश क्षेत्र के प्रकाशन हेतु आवश्यक मानचित्र जिला कार्यालय सागर को उपलब्ध कराये गये।

1.1.6 संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश एवं विकास प्राधिकरणों के तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये 5 दिवसीय जी.आई.एस. प्रशिक्षण के 3 सत्रों का सफल आयोजन।

1.2. संचालनालय की वेब बेस्ड एप्लीकेशन के उन्नयन किये जाने का कार्य मेप.आई.टी. के माध्यम से किया जा रहा है।

भाग–छः

1. राज्य महिला नीति एवं कार्य योजना

1.1 राज्य महिला नीति की कार्ययोजना के पालन में राज्य महिला आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं पर संस्थान द्वारा अमल किया जा रहा है। महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिंक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिशेध एवं प्रतितोषण) अधिनियम, 2013 एवं नियम 2013 के क्रियान्वयन के संबंध में एक पॉच सदस्यीय ''आंतरिक परिवाद समिति'' का गठन किया गया है। राज्य नगर नियोजन संस्थान में कार्यरत महिलाओं के लिये समुचित प्रसाधन व्यवस्था की गई है। उनके बैठने के लिये पर्याप्त एवं उपयुक्त स्थान निर्धारित है ।

2.2 राज्य नगर नियोजन संस्थान में महिला उत्पीडन से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं है। वर्तमान में संस्थान में कुल 10 महिलाकर्मी कार्यरत हैं।

भाग–सात

1. सारांश– आगामी वर्ष की योजनाऐं व कार्यक्रम

1.1. आगामी वर्ष में राज्य नगर नियोजन संस्थान द्वारा आईडीएसएमटी आवर्ती कोष योजनान्तर्गत नगरों के योजना घटकों के वास्तुविदीय कार्य।

1.2. 98 नगरों हेतु संचालनालय की वेब बेस्ड एप्लीकेशन का मेप.आई.टी. के माध्यम से उन्नयन कराना।

1.3. आई.डी.एस.एम.टी. योजनान्तर्गत प्रदेश के नगरीय निकायों की आवर्ती कोष में जमा पूँजी से विभिन्न योजनाऐं तैयार करना।

1.4. विभिन्न विकास प्राधिकरणों हेतु तैयार विकास योजना राज्य नगर नियोजन संस्थान में पंजीबद्ध सलाहकारों के माध्यम से बनवाना।

1.5. विभिन्न नगर निगमों हेतु ''जोनल प्लान'' राज्य नगर नियोजन संस्थान में पंजीबद्ध सलाहकारों के माध्यम से बनवाना (ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर के कार्य प्रगति पर)।

1.6. महाकाल मंदिर, उज्जैन के जीर्णोद्वार/उन्नयन का कार्य।

1.7. नगर विकास योजनाओं (TPS) का कार्य सलाहकार के माध्यम से करवाना जैसे – जबलपुर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर।

1.8. संस्थान द्वारा नगरीय निकायों की स्ववित्तीय योजनाओं का वास्तुविदीय कार्य किया जाना।

1.9. अमृत योजनान्तर्गत नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय द्वारा सौपे गये विकास योजनाओं के कार्य।

1.10. संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश, नगरीय निकायों एवं विकास प्राधिकरणों हेतु जी.आई.एस. आधारित प्रशिक्षण का आयोजन।

1.11. प्रदेश के विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के वार्षिक बजट का परीक्षण कर शासन को अग्रेषित करना तथा चाहे जाने पर नवगठित विकास प्राधिकरणों के लिये वित्त प्रबंधन तथा मार्गदर्शन प्रदान करना।

1.12. विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की योजनाओं का तकनीकी परीक्षण कर शासन को प्रेषित करना।

1.13. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 23–क (1) (ख) के अन्तर्गत उपान्तरण प्रकरणों का परीक्षण कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन तैयार कर म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2012 के नियम 15 (5) में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।

1.14. शासन के आदेश के परिपालन में नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा–16 के अधीन भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, देवास के वृद्धित निवेश क्षेत्र में विकास अनुज्ञा अंतर्गत परीक्षण एवं तथ्यात्मक प्रतिवेदन तैयार कर म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2012 के नियम 15 (5) में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करना एवं समिति की अनुशंसाऍ नगर तथा ग्राम निवेश को प्रेषित करना।

1.15. 34 अमृत नगरों हेतु संचालनालय की वेब बेस्ड एप्लीकेशन मेप आई.टी. के माध्यम से तैयार कराना।

1.16. राज्य नगर नियोजन संस्थान द्वारा अमृत योजनान्तर्गत नागदा, कटनी, रीवा सागर नगरी की विकास योजना का कार्य पूर्ण किया गया तथा सीधी, पन्ना अलीराजपुर एवं खुरई नगरों की विकास योजना का कार्य प्रचलन में है।

1.17. निजी सलाहकारों के माध्यम से 05 नगरों (नेपानगर, कैमोर, अमरपाटन, धनपुरी, औबेदुल्लागंज) की विकास योजनाओं का कार्य संपादित कराया जा रहा है।

1.18. विकास प्राधिकरणों की विभिन्न योजनाओं को सलाहकार के माध्यम से करवाने हेतु प्रतियोगिता प्रपत्र, अनुबंध एवं सलाहकार नियुक्त करने बाबत् आवश्यक कार्यवाही।

1.19. राजमाता विजय राजे सिंधिया खेल परिसर के विकास हेतु सलाहकार का चयन का कार्य प्रगति पर।

1.20. ट्रांसपोर्ट नगर रतलाम के विकास हेतु सलाहकार का चयन का कार्य प्रगति पर है।

1.21. उड़ीसा प्रदेश में विभिन्न नगरो की जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार किये जाने हेतु निविदा के माध्यम से प्रयास।

2. संस्थान द्वारा आवश्यकतानुसार उपरोक्त कार्य के निष्पादन तथा योजनाओं को तैयार करने/परीक्षण हेतु निजी सलाहकारों की सेवायें ली जाती है। इस हेतु पैनल ऑफ कन्सल्टेंट बनाया गया है। सलाहकारों की नियुक्ति/चयन हेतु एक निश्चित प्रक्रिया तथा सुस्पष्ट नीति तैयार की गई है। संस्थान का प्रयास यह है कि अधिकांश कार्य ''इन हाउस'' किये जाये।

3. संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के भू–उपयोग उपांतरण, विकास योजना, सूचना प्रौद्योगिकी के कार्य इस संस्थान के माध्यम से कराये जा रहे हैं। नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 तथा भूमि विकास नियम 1984 में किये गये व्यापक संशोधनों के परिपेक्ष्य में कई कार्य राज्य नगर नियोजन संस्थान के माध्यम से कराये जाने का प्रस्ताव है। इससे संचालनालय को कार्य संचालन में सहायता तथा विकास प्राधिकरणों के मध्य समन्वय स्थापित हो सकेगा व राज्य नगर नियोजन संस्थान के कार्य संचालन में आ रही कठिनाईयों का निदान संभव हो सकेगा।

———————

मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल

अध्यक्ष	श्री आशुतोष तिवारी कैबिनेट मंत्री दर्जा	14.01.2022	निरंतर
प्रमुख सचिव	श्री नीरज मण्डलोई,भा.प्र.से.	11.11.2022	निरंतर
आयुक्त	श्री चंद्रमौली शुक्ला, भा.प्र.से.	10.11.2022	निरंतर

आवास, मानव की मूलभूत आवश्यकता है। राज्य शासन का यह सदैव प्रयास रहा है कि प्रदेश के हर नागरिक के पास अपना स्वयं का घर हो। म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल प्रदेश में आवासीय समस्या के निराकरण हेतु आवासहीन आवंटियों को विभिन्न श्रेणी के भवन एवं विकसित भूखण्ड, आवश्यक सुविधाओं सहित उपलब्ध कराने की दिशा में सतत् प्रयासरत हैं। मंडल द्वारा अपनी स्थापना वर्ष से 31 दिसम्बर 2022 तक विभिन्न आय वर्ग के लिये 185740 आवास गृह तथा 163555 भूखण्डों का निर्माण एवं विकास कुल 349295 किया गया है। प्रदेश में शासकीय परिसरों के समुचित भूमि उपयोग हेतु शासन द्वारा जारी पुर्नघनत्वीकरण नीति अंतर्गत योजनाएं मण्डल द्वारा प्रारम्भ की गई हैं।

भाग – एक

1. अधीनस्थ कार्यालय

कार्यालय का नाम	सिविल कार्यालय	विद्युत कार्यालय
उपायुक्त	08	01
संभागीय	29	04
उप संभागीय	67	08

2. दृष्टिकोण

2.1 मंडल का हितग्राहियों के प्रति दृष्टिकोण

अ सुन्दर, सदृढ़ व किफायती मूल्य पर आवासीय भवनों का निर्माण।

ब आधुनिक एवं कम लागत के निर्माण की तकनीकी से निर्माण करना।

स परियोजना को समय पर एवं बिना मूल्य वृध्दि के पूर्ण करना।

द योजनाओं में आवंटियों को विक्रित भवनों बाबत् पूर्ण संतुष्टि प्रदान करना।

ई उचित स्थान।

एफ विश्वसनीयता।

2.2 मंडल का शासन के प्रति दृष्टिकोण

अ शासन की विभिन्न नीतियों एवं वचनों को विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं में प्रतिपूर्ति करना।

ब मण्डल द्वारा विभिन्न विभागों के आवासीय, अधोसंरचना, निक्षेप कार्य एवं अन्य कार्यो को समय अनुसार एवं निपूर्णता के साथ क्रियान्वयन करना।

स आवास निर्माण के क्षेत्र में निम्न आय वर्ग, कमजोर आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग एवं उच्च आय वर्ग के लिये आवासीय योजनाओं का क्रियान्वयन तथा शासन द्वारा प्रदान निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति।

द शासन पर वित्तीय भार को शून्य करना।

ई शासन की प्रचलित नीति, निर्देशों अनुसार योजनाओं का क्रियान्वयन करना।

एफ. मण्डल की आवासीय योजनाओं में आवासों के आवंटन में शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण का पालन किया जाता है।

2.3 मंडल का अपने कर्मियों के प्रति दृष्टिकोण :

अ मंडल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति निष्पक्ष एवं स्वच्छ, पारदर्शी वातावरण सुनिश्चित करना तथा प्रशिक्षण प्रदान कर उत्कृष्ट कार्य करने के अवसर प्रदान करना।

ब मानव संसाधन विकास की सर्वोत्तम प्रक्रियाओं अनुसार कार्य करना।

स. अच्छे कार्य करने वाले कमियों को चिन्हित कर पुरूस्कृत करना।

द. निर्माण कार्य में विलंब हेतु मैदानी अधिकारियों के दायित्व का निर्धारण तथा समय पूर्व कार्य करने पर अधिकारियों व ठेकेदारों को प्रोत्साहन देने की नीति लागू की गई।

3 मण्डल के उद्देश्य

3.1 वर्ष वार कार्य योजना निर्धारित कर क्रियान्वित करना, प्रशासकीय व्यय कम करना, किफायती मूल्य के भवन निर्माण के मार्गदर्शी सिद्धांतो को अमल में लाना।

3.2 भवन निर्माण में फ्लाई ऐश ईंटो एवं पर्यावरण अनुकूल नवीन तकनीकी अनुसार अच्छी गुणवत्ता के किफायती मूल्य के भवनों का निर्माण एवं विकास कार्य सुनिश्चित करना।

3.3 समाज के सभी वर्गों हेतु आवास एवं भूखण्डों का निर्माण।

3.4 अन्य विभागों/संस्थाओं हेतु निक्षेप योजनान्तर्गत निर्माण कार्य संपादित करना।

3.5 शासन की पुनर्धनत्वीकरण योजना के मार्गदर्शी सिद्धांत अनुसार योजनाओं का क्रियान्वयन करना।

3.6 वेब साइट के माध्यम से मण्डल कर्मियों,आवंटियों एवं जन समुदाय हेतु महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराना।

3.7 योजनाओं को निर्धारित गुणवत्ता अनुरूप एवं समय सीमा अनुसार पूर्ण करना।

3.8 आवंटियों एवं निक्षेपकर्ता विभाग को जिम्मेदारी, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के साथ सेवा प्रदान करना।

3.9 कोविड–19 के दृष्टिगत भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशो का पालन मण्डल द्वारा समस्त योजनाओं में किया जा रहा है।

3.10 निर्माण कार्यों के लिए वोकल फॉर लोकल के तहत स्थानीय निर्माण सामग्री एवं सुविधाओ के उपयोग को बढ़ावा देना।

4. स्थापना

4.1 म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल की स्थापना वर्ष 1960 में हुई। आवास स्थान की आवश्यकता के संबंध में कार्यवाही करने तथा उस आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु तथा अधोसंरचना विकास का दायित्व लेने हेतु उपाय करने के प्रयोजन के लिए मध्यप्रदेश राज्य में गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मण्डल का गठन कर मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल संशोधन अधिनियम 1972 के अंतर्गत मण्डल कार्यरत है। मण्डल की स्थापना प्रदेश की आवासीय समस्याओं के निराकरण, आवासहीन व्यक्तियों के लिये आवास गृहों के निर्माण एवं आवासीय भूखंडों को विकसित कर नागरिक सुविधाओं सहित उपलब्ध कराने के उददेश्य से की गई है। नागरिकों की आवासीय सुविधा के साथ–साथ केन्द्र सरकार, मध्यप्रदेश शासन, अर्द्धशासकीय संस्थाओं, निगमों, मण्डलों, बैंकों, सहकारी समितियों के भवन निर्माण संबंधी कार्य निक्षेप योजना के अन्तर्गत संपन्न कराये जाते हैं।

5. निर्माण एवं विकास कार्य

5.1 मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल की स्थापना से 31 दिसम्बर 2022तक विभिन्न आय वर्ग श्रेणियों के लिये 185740 आवास गृह तथा 163555 भूखण्डों का निर्माण एवं विकास कुल 349295किया गया है। भूखंड एवं भवनों के अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति जैसे आफिस काम्पलेक्स, ऑडिटोरियम, शापिंग सेन्टर, वाणिज्यिक क्षेत्र तथा लोकोपयोगी भवन का निर्माण भी किया गया है।

5.2 म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल आवासीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन के साथ–साथ केन्द्र शासन, राज्य शासन एवं उनके उपक्रमों हेतु निक्षेप कार्य अंतर्गत निर्माण कार्य सम्पादित करता है। इस क्रम में मण्डल द्वारा केन्द्र शासन हेतु केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, इसरो एवं राज्य शासन हेतु धर्मस्व विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, स्वास्थ विभाग आदिमजाति कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग पर्यटन विभाग, पुलिस विभाग, कौशल प्रदेश के विभिन्न विश्व विद्यालयों हेतु निर्माण कार्य निष्पादित किये हैं। शासन की पुनर्धनत्वीकरण योजना/पुर्नविकास योजना/सु–राज योजना, अंतर्गत योजनाओं का क्रियान्वयन भी मण्डल द्वारा किया जा रहा है।

भाग – दो

1. मण्डल की विगत पाँच वर्षों की भौतिक एवं वित्तीय जानकारी

1.1 भवन निर्माण

(निर्मित भवनों की संख्या)

क्रमांक	विवरण	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23 (31 दिसम्बर 2022 तक
1.	ई.डब्ल्यू.एस.	2311	725	159	223	155
2.	एल.आई.जी.	2154	454	193	192	163
3.	एम.आई.जी.	259	20	56	20	0
4.	एच.आई.जी.	508	432	179	4	0
	कुल	**5232**	**1631**	**587**	**439**	**318**

1.2 भूखण्ड विकास

(विकसित भूखण्डों की संख्या)

क्रमांक	विवरण	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23 (31 दिसम्बर 2022 तक
1.	ई.डब्ल्यू.एस.	825	313	57	295	193
2.	एल.आई.जी.	267	145	21	172	67
3.	एम.आई.जी.	223	186	109	92	38
4.	एच.आई.जी.	116	104	31	5	12
	कुल	**1431**	**748**	**218**	**564**	**310**

1.3 मण्डल की वित्तीय स्थिति

(राशि रू.करोड़)

क्र.	विवरण	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23 (31 दिसम्बर 2022 तक
1.	टर्न ओवर	756.84	792.92	745.69	965.45	535.46

1.4 स्वीकृत परियोजनाएँ

(राशि रू.लाख)

क्र.	विवरण		2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23 (31 दिसम्बर 2022 तक
1.	मण्डल द्वारा स्वीकृत परियोजनायें	योजना	46162.72	10872.11	16808.00	30794.56	37440.12
		संख्या	(17)	(07)	(10)	(36)	(12)

1.5 प्रशासनिक व्यय

(राशि रू.लाख)

क्र.	विवरण	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23 (31 दिसम्बर 2022 तक
1.	प्रशाासनिक व्यय	8667.00	7160.28	9235.00	9582.12	8375.00

1.6 कम्प्यूटराईजेशन का कार्य

1.6.1 मंडल के ऑनलाईन साफ्टवेयर एवं वेब साईट का NICSI, New Delhi से पंजीकृत संस्था से Security Audit कराया गया।

1.6.2 एम.पी. ऑनलाईन के माध्यन से ई–पंजीयन एवं ई–आफर के अंतर्गत दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022 तक मण्डल को निम्नानुसार पंजीयन राशि प्राप्त हुई :–

ई–पंजीयन –प्राप्त आवेदन 1612	प्राप्त राशि – रू. 54,44,37,987
ई–ऑफर –प्राप्त आवेदन 4526	प्राप्त राशि – रू. 51,60,99,684
01.04.2022 31.12.2022	कुल प्राप्ति – रू. 106,04,70,571

1.6.3 मंडल द्वारा अपने आवंटियो को सुरक्षित, पारदर्शी एवं की से भी कभी भी भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अपने सभी 1,40,000 आवंटीयो के खाते ऑनलाईन उपलब्ध कराये गये है। मंडल के आवंटियो हेतु सम्पत्तियों की किश्ते, लीज रेंट, एम.एल.सी., सी.एस.सी आदि जमा करने हेतु ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध है। उक्त सुविधा हेतु आवंटियो को कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होता है।

1.6.4. आवंटियों से दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022 तक मण्डल को निम्नानुसार प्राप्त हुई :–

आवंटियो की संख्या	–	8980
प्राप्त राशि	–	रू. 13,52,81,385

1.6.5. म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 03 के तहत अधिसूचित मण्डल की सभी 15 सेवायें मण्डल के वेब साईट के आवंटी पोर्टल पर ऑनलाईन अपलब्ध कराई गई है।

1.6.6. आवंटियो की सहायता हेतु Whatsapp Helpdesk भी मुख्यालय एवं 5 प्रक्षेत्र कार्यालय स्तर पर स्थापित की गई है, जिसके माध्यम से आवंटीयो को आ रही कठिनाईयो का त्वरीत समाधान किया जा रहा है, साथ ही ऑनलाईन सेवाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार भी सुनिश्चित किया जा रहा है।

1.6.7. म.प्र. शासन की ई–मेल नीति को मण्डल द्वारा अंगीकार कर मुख्यालय एवं मैदानी कार्यालयो में पदस्थ अधिकारियों हेतु ई–मेंल आईडी बनाकर सतत उपयोग किया जा रहा है।

1.6.8. ई– मानिटरिंगः–मण्डल द्वारा अपने निर्माण कार्यो की सतत Real Time मानिटरिग हेतु Online PMIS (Project Monitoring Information System) विकसित किया गया है।

1.7 मंडल की वेबसाईट पर निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध कराई गई है :–

1.7.1. मंडल की समस्त ऑनलाईन योजनायें ई–पंजीयन/ई–ऑफर – Live

1.7.2. मंडल द्वारा जारी की गई निविदाओं की जानकारी – Live

1.7.3. मंडल की त्रैमासिक पत्रिका "आशियाना"

1.7.4. मंडल की वर्तमान आवासीय एवं अटल आश्रय योजनायें

1.7.5. मंडल की प्रस्तावित योजनायें

1.7.6. मंडल की पूर्ण हो चुकी योजनायें

1.7.7. मंडल को प्राप्त पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र

2. माननीय न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों का विवरण (दिसम्बर, 2022 की स्थिति में)

2.1 विधि शाखा में लंबित/निराकृत प्रकरणों की संख्या

क्र.	न्यायालयों का नाम	लंबित प्रकरण दिसम्बर 2022 तक	निराकृत प्रकरण (1 जनवरी से दिसम्बर 2022 तक)	पक्ष	विपक्ष	लंबित प्रकरण
1	सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली	01	04	03	01	13
2	राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, नई दिल्ली	03	—	—	—	10
3	उच्च न्यायालय जबलपुर, (अवमानना सहित)	31	23	15	08	584
4	उच्च न्यायालय ग्वालियर (अवमानना सहित)	04	05	03	02	162
5	उच्च न्यायालय इन्दौर (अवमानना सहित)	26	06	05	01	172
6	राज्य उपभोक्ता फोरम, भोपाल	02	17	14	03	244
7	मध्य प्रदेश मध्यस्थम अभिकरण विंध्याचल भवन भोपाल	—	—	—	—	08
8	राजस्व मण्डल	—	—	—	—	02
9	श्रेरा	02	—	—	—	42
10	रेरा अपीलेंट ट्रिब्यूनल	01	01	—	01	14
11	जिला एंव सत्र न्यालालय	06	05	05	—	138
12	जिला उपभोक्ता फोरम,	—	01	01	—	54
13	हरित अभिकरण एन.जी.टी (हाउसिंग एवं पर्यावरणीय विभाग)	—	—	—	—	01
14	औद्योगिक न्यायालय	—	—	—	—	03
15	श्रमन्यायालय (इंदौर/भोपाल/ग्वालियर/जब लपुर)	—	—	—	—	30
	कुल योग	**76**	**62**	**46**	**16**	**1477**

2.2 वर्ष 2022 के प्रकरणों में नियुक्त अधिवक्ताओं की संख्या — 203

3. सतर्कता शाखा सें संबंधित

मुख्य सतर्कता अधिकारी के पास लंबित प्रकरणों का विवरण (31 दिसम्बर 2022 की स्थिति मे)

3.1 राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों द्वारा प्राप्त शिकायते।

क्र.	विभाग अंतर्गत लंबित प्रकरण की संख्या	प्रकरणों की संख्या
1	राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्राप्त शिकायतें	17
2	लोकायुक्त कार्यालय म.प्र. भोपाल से प्राप्त शिकायतों 01.01.2022 से दिसम्बर 31.12.2022 तक (जिनमें पेशियां दी जाती है 7 प्रकरण है)	13
3	सी. बी. आई. से संबंधित प्रकरणों की सख्या	00
4	सक्रिय/शिकायती जांच के लम्बित प्रकरणों की सूची	72
	कुल प्रकरण	**102**
क्र.	**निराकृत प्रकरणों की संख्या**	**प्रकरणों की संख्या**
1	राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्राप्त शिकायतें	05
2	लोकायुक्त कार्यालय म. प्र. भोपाल से प्राप्त शिकायतों	01
3	सी.बी.आई. से संबंधित प्रकरणों की सख्या	00
4	सक्रिय/शिकायती जांच के लम्बित प्रकरणों की सूची	14
	कुल निराकृत प्रकरण	**20**

4. कस्टमर ग्रिवेन्स रिड्रेसल सेल

4.1 म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल मे कस्टमर ग्रिवेन्स रिड्रेसल सेल की स्थापना जनवरी–2003 में हुई। इसकी स्थापना का उद्देश्य मंडल के हितग्राहियों एवं मंडल से संबंधित जनसामान्य की शिकायतों का त्वरित निराकरण करना है।

5. मंडल द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन

5.1 दिनांक 01 मई 2017 से प्रदेश में भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण म.प्र. (रेरा) अस्तित्व में आया। प्राधिकरण के नियमानुसार समस्त निर्माणाधीन, प्रस्तावित रियल स्टेट योजनाओं का नियमानुसार पंजीयन रेरा में कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंध में मण्डल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए समय–सीमा में 97 परियोजनाओं को रेरा में पंजीकृत कराया एवं दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022 तक 02 पंजीकृत कराया गया। योजनाओं में रेरा नियमानुसार कार्यवाही संपादित की जा रही है।

5.2 मण्डल द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जनसामान्य को आवासीय भवन एवं भूखण्ड उपलब्ध कराने, निक्षेप कार्य एवं पुर्नघनत्वीकरण योजनाओ संबंधी कार्य के दृष्टि से वर्ष 2022–23 में 31 दिसम्बर 2022 तक विभिन्न योजनाऐं लागत रू. 37440.12लाख स्वीकृत की गई हैं

6. **महत्वपूर्ण समस्त योजनाऐं वर्ष 2022–23 में स्वीकृत निविदाओं की जानकारी (31 दिसम्बर 2022) तक**

क्र.	कार्य का नाम	निविदा राशि रू. लाख में
1	2	3
	वृत्त–1 भोपाल (निक्षेप कार्य)	
1	पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं संस्थान कलियासौत रोड भोपाल में शैक्षणिक सह –प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य ।	1922.37
	योग	**1922.37**
	वृत्त–2 भोपाल (आवासीय योजना–स्वय वित्तीय योजना)	
1	10 एच.आई.जी.–ए 30 एच.आई.जी–बी भवनो का निर्माण एवं 10.931 हे. भूमि का विकास कार्य, सुरम्य परिसर फेज–1 अयोध्या एक्सटेन्शन भोपाल ।	1860.72
	योग	**1860.72**
	वृत्त–ग्वालियर (आवासीय योजना–स्वयं वित्तीय योजना)	
1	सूर्य नगर लक्ष्मणगढ बरेठा ग्वालियर में 93 एल.आई.जी–ए–2, 32 एल.आई.जी–ए–1, 25 ई.डब्ल्यू.एस.–बी–2, 41 ई.डब्ल्यू.एस.–बी–1 भवनों का निर्माण कार्य एवं विकास कार्य ।	2491.08
	योग	**2491.08**
	वृत्त–ग्वालियर (अटल आश्रय योजना)	
1	गिरनार परिसर फेस–2 गिरगाव ग्वालियर में 150 एल.आई.जी एवं 96 ई. डब्ल्यू.एस. के साथ विकास कार्य ।	1891.69
	योग	**1891.69**
	वृत्त–ग्वालियर (निक्षेप कार्य)	
1	रतनगढ, जिला दतिया में माता रतनगढ़ तीर्थ यात्रा केन्द्र का विकास कार्य ।	428.39
2	नये कार्य रिनोवेशन कार्य, वेरियर फ्री एवं विकासकार्य, शासकीय कमलाराजे गर्ल्स कॉलेज ग्वालियर।	776.88
	योग	**1205.27**
	वृत्त–ग्वालियर (पुर्नघनत्वीकरण)	
1	पुनर्घनत्वीकरण योजना अंतर्गत थाटीपुर ग्वालियर में 368 फ्लेट, स्कूल बिल्डिंग ऑफिस कॉम्प्लेस, कम्युनिटि सेंटर एवं विकास कार्य ।	11655.30
	योग	**11655.30**
	वृत्त–सागर (आवासीय योजना स्वयं वित्तीय योजना)	
1	डॉ. हरीसिंह गौर नगर एवं पंडित दीनदयाल नगर सागर में डामर रोड़, सी. सी. रोड, चौडीकरण, आर.सी.सी. ड्रेन, प्ले फिल्ड का निर्माण कार्य एवं विकास कार्य।	401.50
	योग	**401.50**

	वृत्त–उज्जैन (आवासीय योजना –स्वयं वित्तीय योजना)	
1	10 एच.आई.जी. सिनियर, 19 एच.आई.जी. जुनियर,13 एम.आई.जी. सिनियर 25 एम.आई.जी. 25 ई.डब्ल्यू.एस. भवनो का निर्माण कार्य स्वर्ण सागर बिबडोद रतलाम।	3721.81
	योग	**3721.81**
	वृत्त–रीवा (निक्षेप कार्य)	
1	इंटर स्टेट बस टर्मिनल का निर्माण कार्य, सतना ।	2104.17
	योग	**2104.17**
	वृत्त–इन्दौर (निक्षेप कार्य)	
1	50 शैय्या, आयुष अस्पताल मंगलिया का निर्माण कार्य, इंदौर ।	458.19
2	शासकीय डिग्री कॉलेजपती में सिविल कार्य, आंतरिक पानी आपूर्ति, विद्युतिकरण एवं विकास कार्य जिला बडवानी ।	329.96
	योग	**788.15**
अ.	**निक्षेप कार्य योग राशि रू.**	**6019.96**
ब.	**अटल आश्रय योजना योग राशि रू.**	**1891.69**
स.	**स्वयं वित्तीय योजनायोग राशि रू.**	**8475.11**
द.	**पुर्नघनत्वीकरण योजनायोग राशि रू.**	**11655.3**
	(अ)+(ब)+(स)+(द) योग राशि रू.	**28042.06**
	वृत्त स्तर एवं संभाग स्तर से स्वीकृत निविदा राशि रू.	**9398.06**
	महायोग राशि रू.	**37,440.12**

7. म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल की स्वयं की महत्वपूर्ण निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित आवासीय योजनाओं की जानकारी

7.1 प्रदेश के कई शहरों एवं जिला मुख्यालयों पर शासकीय भवन ऐसी भूमि पर स्थित है, जिनका समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है, ऐसी भूमि के उचित उपयोग तथा आवास समस्या हल करने के लिए राज्य शासन द्वारा पुनर्घनत्वीकरण (रिडेन्सीफिकेशन) योजना प्रारंभ की गई है।

7.2 मण्डल द्वारा क्रियान्वित की जा रही पुनर्घत्वीकरण योजनाओं से प्रदेश में विकास/रोजगार /अधोसंरचना संबंधी सुदृढ़ीकरण होगा जिससे निवेशकर्ता प्रदेश की ओर आकर्षित होंगे एवं प्रदेश के सामाजिक स्तर के उन्नयन में सहायक होगा।

8. प्रमुखता

8.1 म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा निजी भागीदारी के माध्यम से वृह्द परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा, जिससे शासन पर आर्थिक भार न होते हुए शहर का विकास किया जा सके। म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा व्यवसायिक रूप से परिसरों के निर्माण कार्य हेतु प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर की प्रतिष्ठित एवं विशेषज्ञता प्राप्त संस्थाओं से योगदान प्राप्त कर निर्माण कार्य पूर्ण किये जावेंगे, जिसके लिए अधोसंरचना का विकास इस प्रकार किया जावेगा कि उनकी भागीदारी स्वतः ही सुनिश्चित हो जावे। इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश के प्रमुख शहरों से प्रारम्भ किया जावेगा।

8.2 अटल आश्रय योजनांतर्गत अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है :–

शासन से कमजोर आय वर्ग एंव निम्न आय वर्ग के हितग्राहियों हेतु आवासीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु रियायती दर पर शासकीय भूमि प्राप्त कर अटल आश्रय येाजना क्रियान्वित की जा रही है।

क्र.	विवरण	योजनाएं	कुल इकाइयां
1.	पूर्ण योजनाऐं	18	3164
2.	निर्माणाधीन योजनाऐं	09	2251
3.	पंजीयनरत योजनाऐं	04	516
4.	पंजीयन प्राप्त नही होने से अप्रारंभ योजनाऐं	28	9362
5.	नवीन प्रस्तावित योजनाऐं	09	1288
	योग	**68**	**16581**

8.3 मण्डल द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जावेगा कि किये जाने वाले कार्यो में न सिर्फ जनभागीदारी सुनिश्चित की जावे, बल्कि निर्माण कार्य भी इस प्रकार हों कि प्रदेश के लोगों को अधिकाधिक रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सकें।

8.4 यह भी सुनिश्चित किया जावेगा कि छोटे शहरों में भी योजनायें प्रारम्भ की जावें, ताकि उनका न सिर्फ विकास हो सके अपितु उन क्षेत्रों की जनसंख्या को बड़े शहरों की ओर पलायन की प्रवृत्ति से रोका जा सके।

8.5 मंडल द्वारा विकसित कालोनियों के सुचारू रख–रखाव हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में 31 दिसम्बर 2022 तक 07 कालोनियाँ स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित की हैं।

9. शासन के अन्य विभागों हेतु कन्सलटेन्सी

9.1 मण्डल के द्वारा अपनी परियोजनाओ के सफल क्रियान्वयन के अलावा म.प्र. शासन/केन्द्र शासन के अन्य विभागों के लिये डिपोजिट वर्क एवं कन्सलटेन्ट एजेन्सी के तौर पर भी कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2022–2023 मे (31 दिसम्बर 2022 तक) की प्रगतिशील योजनाएं निम्नलिखित है :–

9.1.1. निक्षेप निर्माण कार्य

क्र.	निक्षेपकर्ता विभाग	कार्यो की संख्या	स्वीकृत राशि (करोड़ में)
1	सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग	04	95.06
2	कौशल विकास विभाग	02	0.45
3	(मेगा आई.टी.आई)	10	328.50
4	जनसंपर्क विभाग	04	212.91
5	उच्च शिक्षा विभाग	100	3.08
6	धर्मस्व विभाग	287	1.32
7	पशु पालन विभाग के विभिन्न जिलों के कार्य	33	9.17

8	स्वास्थ्य विभाग	200	124.09
9	महिला बाल विकास विभाग	07	8.60
10	सूक्ष्म एवंलघु मध्यम इंटरप्राइजेस	04	12.59
11	पंचायत विभाग	03	14.49
12	खाद्य एवंऔषधि विभाग	03	14.29
13	प्रदुषण नियंत्रण मण्डल	02	7.53
14	अनुसूचित जनजातीय विकास	11	21.91
15	अनुसूचित जाति विकास विभाग	18	45.00
16	आयुष विभाग	39	44.53
17	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	18	31.14
18	म.प्र.राज्य उपभोक्ताप्रतितोषणआयोग	03	0.86
19	चिकित्साशिक्षाविभाग	01	6.62
20	पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक	05	13.71
21	अद्यानिकी एवंप्रक्षेत्र वाणिकी	17	10.22
22	विश्व बैंक परियोजना अंतर्गत म.प्र. के विभिन्न स्थानो पर महाविद्यालय के निर्माण कार्य	03	5.52
23	रूसा चरण–1/2 अंतर्गत म.प्र. के विभिन्न स्थानो पर महाविद्यालय के निर्माण	16	0.14
	कुल	**790**	1011.72

9.1.2 पुनर्घनत्वीकरण योजनाओं की स्थिति :–

क्र.	विवरण	संख्या	लागत (रू.करोड में)
1	पूर्ण पुनर्घनत्वीकरण योजनाऐं	05	128.89
2	प्रगतिशील पुनर्घनत्वीकरण योजनाऐं	26	852.79
3	डी.पी.आर. अनुमोदन प्राप्त योजनाऐं	02	179.96
4	पी.पी.आर. अनुमोदन प्राप्त योजनाऐं	16	965.16
5	पी.पी.आर अनुमोदन हेतु प्रस्तावित	24	1123.72
	कुल योजनाऐं	**73**	**3250.52**

भाग –तीन

1. बजट

1.1. मण्डल एक स्व वित्त पोषित संस्था है, मण्डल को आवासीय भवनों/भूखण्ड की योजनाओं, निक्षेप एवं पुनर्धनत्वीकरण योजनाओं से प्राप्त पर्यवेक्षण शुल्क मण्डल की आय के मुख्य स्त्रोत हैं।

1.2. मण्डल के अंतिम लेखे एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2016–17 एंव 2017–2018 विधान सभा पटल पर माह 21 सितम्बर 2020 प्रस्तुत किया गया ।

1.3. मण्डल गठन के पश्चात् वर्ष 2022–2023 में सर्वाधित शुद्ध लाभ रू 20.00 करोड़ संभावित है, (आयकर पश्चात्)।

1.4. हितग्राहियों को आवास सुविधाजनक ऋण उपलब्ध कराने हेतु 8 राष्ट्रीयकृत बैंक व 6 वित्तीय संस्थानों (माईक्रो फायनेन्स) के साथ एम.ओ.यू. निष्पादित किया गया है।

1.5. एन.एच.बी. एवं शासकीय ऋण की प्रीमेच्युर भुगतान एवं समस्त देयताओं का भुगतान कर मण्डल ऋणमुक्त संस्थान बन गया।

1.6. एन.पी.एस. के अंतर्गत वर्ष 2005 के पश्चात सेवा में आने मण्डल के अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा काटी गई राशि एन.पी.एस. में जमा की जा रही है।

1.7. वित्तीय वर्ष 2022–2023 पुनरीक्षित बजट एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 अनुमानित बजट तैयार किया जा रहा है।

1.8. वित्तीय वर्ष 2021–2022 संचालक मण्डल से अनुमोदन होने के उपरांत महालेखाकार लेख परीक्षा भोपाल की ओर अंकेक्षण हेतु भेजा जा सकेगा।

भाग – चार

1. राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

(अ) अटल आश्रय योजना

(ब) पुनर्घनत्वीकरण योजना

(स) पी एम ए वाई (PMAY)

(द) पुर्नविकास योजना

(इ) सु–राज योजना

भाग – पांच

1. सामान्य प्रशासनिक विषय

(अ) 01 अप्रैल 2022 से 31 दिसम्बर 2022 तक म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से विधान सभा सचिवालय से कुल 33 प्रश्न प्राप्त हुए (12 तारांकित प्रश्न, 19 अतारांकित प्रश्न, 00 आश्वासन, 02 ध्यानाकर्षण, 00 शून्य काल सूचना, 00 अभ्यावेदन, 00 राज्य सभा, 00 लोक सभा प्रश्न एवं 00 याचिका)। मण्डल द्वारा समय–सीमा में प्रश्नों से संबंधित जानकारी विभाग को उपलब्ध कराई गई।

(ब) **वर्ष 2022–23 में 31 दिसम्बर 2022 तक स्थानांतरण/पदोन्नति/नियुक्ति के प्रकरणों की जानकारी**:–

क्र.	विवरण	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी
1	स्थानांतरण	04	07	99	40
2	पदोन्नति	00	00	00	00
3	नियुक्ति	00	00	अनुकम्पा नियुक्ति 04	अनुकम्पा नियुक्ति 05

(स) **वर्ष 2022–23 में 31 दिसम्बर 2022तक विभागीय जांच प्रकरणों की जानकारी :–**

1	दिसम्बर 2022 तक जॉच संस्थित शेष प्रकरण	25
2	दिसम्बर 2022 तक प्राप्त जॉच प्रतिवेदन	06
3	निराकृत प्रकरण (वर्ष–2022 में)	04

भाग – छः

1. राज्य महिला नीति एवं कार्य योजना

1.1 राज्य महिला नीति की कार्ययोजना के पालन में राज्य महिला आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं पर अमल किया जा रहा है। म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल में महिला कर्मियों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिये मंडल द्वारा महिला उत्तपीड़न समिति का गठन किया गया है जिसके अंतर्गत महिला अधिकारी श्रीमती बिदिशा मुखर्जी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पीठासीन अधिकारी, श्रीमती आरती शर्मा,मुख्य लेखा अधिकारी सदस्य, श्री मृत्युंजय सिंह मुख्य सतर्कता अधिकारी सह विधिक सलाहकार सदस्य एवं श्री एफ.एल.मार्को प्रशासनिक अधिकारी सदस्य को नामांकित किया है।

भाग – सात

1. पहल 2022–23 में 31 दिसम्बर 2022 तक विभागीय गतिविधियों/कार्यक्रमों को जनोन्मुखी बनाने हेतु प्रयास एवं योजनाओं की भौतिक/वित्तीय उपलब्धियां –

1.1 विभागीय गतिविधियों, कार्यक्रमों को जनोन्मुखी बनाने हेतु ई–आफर, ई–पंजीयन के माध्यम से योजनाओं के पंजीयन/ऑफर आमंत्रित किये जा रहे है। निविदाओं का आमंत्रण ई–टेंडर के माध्यम से किया जा रहा है।

1.2 प्रदेश के विभिन्न शहरों में आवासीय सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत विभिन्न श्रेणीयों के भवन निर्मित एवं भूखण्ड विकसित किये जाते है व केन्द्र शासन व राज्य शासन के विभिन्न शासकीय एवं अर्ध–शासकीय विभागों हेतु निर्माण कार्यो का निक्षेप कार्यो एवं पुनर्घत्वीकरण योजनांतर्गत निष्पादन किया जाता है।

1.3 म.प्र. के 10 बड़े शहरों में कौशल विकास विभाग के 10 मेगा आई.टी.आई. (लागत रू. 328.50 करोड़) के निर्माण प्रारम्भ किये गये।

1.4 मण्डल द्वारा पुनर्घनत्वीकरण नीति–2016 के अनुसार विभिन्न जिलो में योजना का क्रियान्वयन किया जा रहे है जिसमें वर्तमान में लगभग रू. 128.89 करोड़ की 05 योजनाओ को कार्य पूर्ण किया गया।

1.5 मण्डल की समस्त भूमि का सत्यापन एवं रिकार्ड का संधारण किया जा रहा है।

1.6 निश्रेपकर्ता विभाग के 790 निर्माण कार्य (लागत रू. 1011.72 करोड़) प्रारम्भ किये गये।

1.7 मण्डल की आवासीय योजनाओं के चयन हेतु प्रोजेक्ट एप्रेजल फ्रेमवर्क का निर्धारण किया गया।

1.8 रेरा नियमों के परिपालन हेतु रेरा एप्रेजल फ्रेम वर्क का निर्धारण किया गया एवं मण्डल की संपत्ति विनियम से संबंधित नीतियों, परिपत्रों एवं गाईड लाईन में संशोधन किया गया।

1.9 सभी आवंटियों के आनलाईन लीज एवं संपत्ति खातों के सत्यापन हेतु विशेष अभियान चलाया गया।

1.10 सभी वित्तीय लेन देन आनलाईन केवल माध्यम से किये जा रहे है।

1.11 मण्डल के निर्माण कार्यो की मॉनीटरिंग हेतु प्रोजेक्ट मेनेजमेंट की नवीन तकनीकी एवं गेंट चार्ट तथा आनलाईन पी.एम.आई.एस. का उपयोग करते हुए रियल टाईम बेसिस पर मॉनीटरिंग की जा रही है।

1.12 मण्डल की संपत्तियों के प्रसार, तथा मण्डल आवंटियों की सुविधा एवं शिकायतों की जानकारी एवं त्वरित निराकरण हेतु ट्वीटर तथा फेसबुक का उपयोग प्रारंभ किया गया।

1.13 मण्डल के संपदा में आज दिनांक तक 8980 हितग्राहियों द्वारा मण्डल के आवंटी पोर्टल का उपयोग कर पंजीकरण कराया गया।

1.14 1 अप्रैल 2022 से 31 दिसम्बर 2022 तक आनलाईन ई–आफर/ई–पंजीयन के माध्यम से मण्डल को पंजीयन राशि के रूप में राशि रू. 13.52 करोड़ प्राप्ति हुई।

1.15 दरों का युक्ति युक्त करण कर पुरानी संपत्ति का विक्रय।

1.16 बैंकों से हितग्राहियों को ऋण प्रदाय हेतु समन्वय।

1.17 कमजोर आय वर्ग को रियायती दर पर संपत्ति का विक्रय।

1.18 मार्केटिंग सैल की स्थापना।

1.19 मण्डल की निर्माण योजनाओ में निजि वास्तुविद् के चयन हेतु ऑनलाईन प्रक्रिया विकसित की गई है।

1.20 मण्डल में पदस्थ वरिष्ठ सहायको एवं उनके समकक्ष कर्मचारियों को संभागीय लेखापाल का प्रशिक्षण एवं परीक्षा आयोजित करना।

1.21 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाऐं अंतर्गत मण्डल द्वारा शहीदों के परिजनों को भवनों का आवंटित किया गया।

2. संरक्षात्मक उपाय

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा अपनी योजनाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति निःशक्तजन तथा पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण रखा जाता है। आरक्षित वर्ग को योजनाओं का लाभ मिल सके इसकी प्रभावी बनाने के लिये विज्ञापनों में स्पष्ट उल्लेख किया जाता है।

3. स्थानीय निकायों को कालोनी हस्तांतरण

वर्ष 2022–2023 में (31 दिसम्बर 2022 तक) में म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल की विभिन्न स्थानों पर नगर निकायों को हस्तांतरित कालोनियों की सूची –

क्र.	कालोनी का नाम एवं स्थान	स्वीकृत राशि (रू.लाख में)
1	एकल्व्य परिसर रामसिंग की चौकी, अलीराजपुर	**35.00**
2	भगतसिंह नगर, झाबुआ	28.78
3	अटल आक्षय योजना रामेश्वर नगर श्योपुर फेस प्रथम	98.48
4	बसंत विहार कालोनी, कृपालपुर सतना	45.48
5	गंगासागर रतलाम	निरंक
6	पलकमति नगर इटारसी की 9.126 हेक्टे. भूमि	50.00
7	मयूरी परिसर अयोध्या एक्सटेन्शन भोपाल	88.05
	योग	**345.79**

———

मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम

भाग–एक

1. विभागीय संरचना

1.1 मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम का पंजीयन मध्यप्रदेश समिति पंजीयन अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) के अधीन किया गया है, जिसका पंजीयन क्रमांक 18851 दिनांक 1 फरवरी, 1988 है। इस निगम का एक मात्र कार्यालय/मुख्यालय विंध्याचल भवन, भोपाल में स्थित है तथा इसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण उत्तरवर्ती मध्यप्रदेश है। इसके अध्यक्ष, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन एवं उपाध्यक्ष, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग है। वर्तमान में प्रबंध संचालक पद का कार्य अपर आयुक्त स्तर के अधिकारी देख रहे हैं तथा निगम कार्यालय में 3 तृतीय श्रेणी एवं 1 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कार्यरत है। इसके अतिरिक्त जिलाध्यक्ष दर पर एक कम्प्यूटर टाईपिस्ट, अस्थाई रूपप से मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल के से, नि. लेखापाल के दिनांक 06.12.2021 से एवं एक कर सलाहकार दिनांक 22.07.2022 से एक मुश्त मासिक दर पर नियुक्त किया गया है।

2. अधीनस्थ कार्यालय

2.1 मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम का एक मात्र कार्यालय/मुख्यालय, विंध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.) में स्थित है तथा प्रदेश में इसका कोई अन्य अधीनस्थ कार्यालय नहीं है।

3. निगम के अन्तर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थाएं

3.1 मध्यप्रदेष राज्य कर्मचारी आवास निगम, मध्यप्रदेष शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग का एक प्रतिष्ठान है तथा इस निगम के अंतर्गत अन्य कोई संस्था कार्यरत नहीं है।

4. निगम के दायित्व

4.1 राज्य शासन एवं उसके द्वारा स्थापित सहाकारी उपक्रमों के कर्मचारियों की आवासीय समस्या के निदान के लिये इस निगम की स्थापना की गई है।

5. निगम से सम्बंधित सामान्य जानकारी

5.1 निगम द्वारा कर्मचारियों की आवासीय समस्या के निदान हेतु शासन से भूमि प्राप्त की जाती है तथा आवष्यकतानुसार भूमि अर्जन की कार्यवाही की जाती है।

5.2 वित्तीय संस्थाओं जैसे हाउसिंग डेव्हलपमेंट एवं फायनेंस कार्पोरेशन, जीवन बीमा निगम, नेशनल हाउसिंग बैंक आदि से आवश्यकतानुसार उक्त कार्य हेतु ऋण राषि प्राप्त कर, हितग्राहियों द्वारा उसके भुगतान के प्रबंधन का कार्य किया जाता है।

5.3 सामान्य रूप से म. प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, विकास प्राधिकारणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों एवं अन्य शासकीय संस्थाओं के माध्यम से आवास निर्माण एवं भू–खण्डों के विकास का कार्य कराया जाता है।

6. सामान्य या प्रमुख विशेषताएं

6.1 निगम द्वारा प्रदेश के संभागायुक्तों एवं जिला कलेक्टर्स के माध्यम से राज्य शासन एवं उसके द्वारा स्थापित सहकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को उचित दरों पर आवासीय सुविधा कराने का कार्य किया जाता है।

महत्वपूर्ण सांख्यकी

क्रमांक	उपलब्धियॉं	हिग्राहियों की संख्या
01.	निर्मित आवास उपलब्ध कराना	238
02.	विकसित भू–खण्ड उपलब्ध कराना	2,868

भाग–दो

1. बजट

1.1 निगम एक स्ववित्त पोषित संस्था है। संस्था की आय के स्त्रोत निगम की आवासीय योजनाओं के अंतर्गत भू–खण्डों/भवनों से प्राप्त एक प्रतिशत स्थापना शुल्क एवं ऋण/जमा आदि पर प्राप्त ब्याज की राशि है।

1.2 मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा निगम की आवासीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 1995–96 से एक निश्चित राशि धनवेष्ठन हेतु निगम को उपलब्ध कराई जा रही थी परन्तु मध्यप्रदेश शासन द्वारा वित वर्ष 2004–2005 से कोई राशि इस निगम को धनवेष्ठन हेतु उपलब्ध नहीं कराई गई है तथा निगम स्वयं के आय के स्त्रोत से व्यय का वहन करने में सक्षम है।

1.3 निगम के वित्तीय वर्ष 2021–22 के खातों का चार्टर्ड अकाउटेंट के द्वारा अंकेक्षण का कार्य किया गया है एवं वित्तीय वर्ष 2022–23 के अकेंक्षण का कार्य आगामी वर्ष में किया जायेगा।

भाग–तीन

1. राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

(अ) राज्य योजनाएं

(अ).1 निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–2017 के अंतर्गत दिसंबर, 2017 तक ग्वालियर, मंदसौर, नीमच (भू–खण्डों का विकास एवं भवनों का निर्माण), धार, कटनी, रीवा, दमोह एवं रतलाम, झाबुआ में लगभग रू. 2,915.20 लाख लागत की आवासीय योजनाओं के अंतर्गत भू–खण्डों के विकास एवं भवनों के निर्माण का कार्य पूर्ण किया गया है।

(अ).2 महामहिम राज्यपाल महोदय के विगत वर्षों के अभिभाषणों के संदर्भ में दिसंबर, 2015 तक निगम द्वारा प्रदेश के 03 जिला मुख्यालयों में विभिन्न श्रेणी के 421 आवासीय भू–खण्डों की लगभग रू.870.54 लाख लागत की आवासीय योजनाओं के अंतर्गत भू–खण्डों के आवंटन हेतु तथा 01 जिला मुख्यालय में विभिन्न श्रेणी के 46 आवासीय भवनों की लगभग रू. 377.14 लाख लागत की आवासीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही की गई।

(ब) केन्द्र प्रवर्तित योजना :– निरंक।

(स) विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाएं :– निरंक।

(द) विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं/परियोजनाएं :– निरंक।

भाग–चार

1. सामान्य प्रशासनिक विषय

(अ) जॉच समितियों द्वारा किये गये अध्ययनों की जानकारी निरंक है। नियुक्तियों तथा स्थानान्तरणों के संबंध में जानकारी भाग – एक विभागीय संरचना शीर्षक अनुसार है।

(ब) मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति), नियम, 2002 के क्रम में निगम कार्यालय में की गई पदोन्नतियों के संबंध में जानकारी निरंक है।

(स) जनवरी, 2018 से दिसंबर, 2018 तक मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के माध्यम से मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय से कुल 01 आतारांकित प्रश्न प्राप्त हुआ। निगम द्वारा प्राप्त प्रश्न के संबंध में वॉछित जानकारी समय–सीमा में विभाग को उपलब्ध कराई गई।

(द) इस निगम द्वारा मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से प्राप्त विधानसभा से संबंधित आश्वासनों, विभिन्न याचिकाओं, लोक लेखा समिति, याचिका समिति, प्रश्नोत्तर समिति, प्राक्कलन समिति आदि के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर, विभाग को अवगत कराया गया।

(इ) वर्ष 2022–23 के अंतर्गत माह जनवरी, 2022 से दिसंबर, 2022 तक इस निगम के 15 न्यायालयीन प्रकरण दर्ज है। पूर्व के न्यायालयीन प्रकरण विचाराधीन है एवं सभी प्रकरणों में निगम की ओर से पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्त है।

भाग–पाँच

1. अभिनव योजना निरंक।

भाग–छः

इस निगम द्वारा कोई प्रकाशन नहीं किये जाते हैं। अतः जानकारी निरंक है।

भाग–सात

1. महिलाओं के लिये किये गये कार्यों के सम्बंध में जानकारी

1.1 निगम द्वारा अपनी आवासीय परियोजनाओं के अंतर्गत अपनी स्थापना से लेकर वर्ष 2008 तक 353 तथा विगत चार वर्षों में विभिन्न श्रेणी के 15 आवासीय भू–खण्डों, 07 आवासीय भवनों एवं वर्ष 2015–16 में 21 आवासीय भू–खण्डों इस प्रकार कुल 406 पात्र महिला कर्मचारियों को आवासीय भू–खण्डों/भवनों का आवंटन किया गया है।

भाग–आठ

1. सारांश

1.1 इस निगम द्वारा शासकीय सेवकों को आवासीय सुविधा सुलभ कराने के परिप्रेक्ष्य में भोपाल एवं नीमच में विभिन्न श्रेणी के 238 निर्मित आवासों तथा ग्वालियर, मंदसौर, नीमच, धार, कटनी, रीवा, दमोह, रतलाम एवं झाबुआ में विभिन्न श्रेणी के 2868 आवासीय भू–खण्डों का आवंटन पात्र शासकीय सेवकों को किया गया है। निगम का लक्ष्य प्रदेश के समस्त आवासहीन शासकीय कर्मचारियों को आवासीय सुविधा सुलभ कराना है। इसी परिप्रेक्ष्य में आगामी वर्ष में संबंधित संभागायुक्तों एवं जिला कलेक्टर्स द्वारा निर्धारित समयावधि में निगम की आवासीय योजनाओं हेतु प्रस्तावित भूमियों का आवंटन निगम के पक्ष में किया जाकर, आधिपत्य निगम को सौंप दिये जाने पर प्रदेश के चार जिला मुख्यालयों में अनुमानित लागत रू. 1446.57 लाख की प्रस्तावित आवासीय योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के 448 आवासीय भू–खण्डों के विकास का कार्य प्रारंभ/पूर्ण किया जाकर, इनका आवंटन पात्र कर्मचारियों को किया गया है।

————————

परिशिष्ट–एक

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश का स्वीकृत प्रशासकीय अमला

स.क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद संख्या	भरे पद संख्या	रिक्त पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आयुक्त	01	01	00
2	अपर आयुक्त	03	03	00
3	अपर आयुक्त/अपर संचालक (फायर)	01	01	00
4	अपर संचालक	03	03	00
5	संयुक्त संचालक	06	03	03
6	उप संचालक	08	07	01
7	उप संचालक (फायर)	01	00	01
8	सहायक संचालक	12	03	09
9	सहायक संचालक (फायर)	02	00	02
10	लेखा अधिकारी	01	01	00
11	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	04	02	02
12	अधीक्षक	09	04	05
13	वरिष्ठ निज सहायक	02	00	02
14	निज सहायक	04	01	03
15	शीघ्रलेखक वर्ग–3	09	06	03
16	सहायक वर्ग–1	19	12	07
17	सहायक वर्ग–1 (फायर)	01	00	01
18	लेखापाल	07	00	07
19	लेखापाल चुंगी	01	00	01
20	सहायक वर्ग–2	27	16	11
21	सहायक वर्ग–2 (फायर)	01	00	01
22	सहायक वर्ग–3	52	26	26
23	सहायक वर्ग–3 (फायर)	02	02	00
24	वाहन चालक	12	04	08
25	भृत्य	16	14	02
26	भृत्य (फायर–आउटसोर्स)	06	00	06
27	**योग**	**210**	**109**	**101**

————————

संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश

स.क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद संख्या	भरे पद संख्या	रिक्त पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	संयुक्त संचालक	10	08	02
2.	उप संचालक	03	00	03
3.	सहायक संचालक	10	06	04
4.	सहायक संचालक (फायर)	04	00	04
5.	शीघ्रलेखक वर्ग–1	02	00	02
6.	शीघ्रलेखक वर्ग–2	05	00	05
7.	शीघ्रलेखक वर्ग–3	10	05	05
8.	अधीक्षक	10	02	08
9.	सहायक वर्ग–1	20	09	11
10.	लेखापाल	10	01	09
11.	सहायक वर्ग–2	30	15	15
12	सहायक वर्ग–3	40	17	23
13	सहायक वर्ग–3 (फायर)	04	02	02
14	वाहन चालक	13	01	12
15	भृत्य	20	09	11
	योग	**191**	**75**	**116**

————————

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, यांत्रिकी प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश

स.क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद संख्या	भरे पद संख्या	रिक्त पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	प्रमुख अभियंता	01	00	01
2.	मुख्य अभियंता	01	01	00
3.	विशेष कर्त्तव्यस्थ अधि.	03	00	03
4.	अधीक्षण यंत्री	03	03	00
5.	कार्यपालन यंत्री	06	06	00
6.	सहायक यंत्री	06	06	00
7.	प्रशासकीय अधिकारी	01	00	01
8.	सहायक संचालक	01	01	00
9.	शीघ्रलेखक वर्ग–1	01	01	00
10.	शीघ्रलेखक वर्ग–2	02	02	00
11.	शीघ्रलेखक वर्ग–3	13	03	10
12.	उपयंत्री	00	17	–
13.	सहायक अधीक्षक	01	00	01
14.	सहायक वर्ग–1	10	00	10
15.	लेखापाल	01	00	01
16.	सहायक वर्ग–2	10	03	07
17.	मानचित्रकार	02	01	01
18.	स्टेनोटायपिस्ट	01	00	01
19.	अंग्रेजी टायपिस्ट	01	00	01
20.	अनुरेखक (ट्रेसर)	01	00	01
21.	सहायक वर्ग–3	20	19	01
22.	व्यवस्थापक	01	00	01
23.	इलेक्ट्रीशियन	01	00	01
24.	वाहन चालक	17	14	03
25.	भृत्य	11	11	00
26.	चेनेमेन	01	00	01
27.	माली	03	00	03
28.	चौकीदार	08	07	01
29.	मॉडलर	02	00	02
30.	पंप अटेडेंट	01	01	00
31.	वाटर मेन	01	00	01
32.	सफाई कर्मचारी	06	01	05
	योग	**137**	**97**	

————————

संभागीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, यांत्रिकी प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5
1.	अधीक्षण यंत्री	10	04	06
2.	कार्यपालन यंत्री	20	10	10
3.	विशेष कर्तव्यस्थ अधि.	2	0	2
4.	सहायक यंत्री	20	9	11
5.	मानचित्रकार	7	1	6
6.	ट्रेसर	7	0	7
7.	सहायक वर्ग–2	2	2	0
8.	सहायक वर्ग–3	14	13	01
9.	वाहन चालक	7	3	4
10.	भृत्य	14	13	01
	चौकीदार	8	4	4
	योग	**111**	**59**	**52**

————————

परिशिष्ट–दो

प्रदेश के नगरीय निकायों की संभागवार/जिलावार सूची

संभाग का नाम	जिले का नाम	नगरपालिक निगम	नगरपालिका परिषद	नगर परिषद
1 ग्वालियर	1. ग्वालियर	1. ग्वालियर	1. डबरा	1. पिछोर 2. बिलौआ 3. आंतरी 4. भितरवार 5. मोहना*
	2. शिवपुरी		2. शिवपुरी	6. करेरा 7. कोलारस 8. खनियाधाना 9. पिछोर 10. बदरवास 11. नरवर 12. बैराड 13. रन्नौद* 14. पोहरी* 15. मगरौनी*
	3. गुना		3. गुना 4. राधोगढ़	16. चाचौडाबीनागंज 17. आरोन 18. कुंभराज 19. मधुसूदनगढ़*
	4. अशोकनगर		5. अशोकनगर 6. चंदेरी	20. मुंगावली 21. ईसागढ 22. शाढौरा 23. पिपरई*
	5. दतिया		7. दतिया	24. भांण्डेर 25. इंदरगढ़ 26. सेवड़ा 27. बड़ोनी
2. चंबल	6. भिण्ड		8. भिण्ड 9. गोहद 10. लहार	28. मेहगांव 29. गोरमी 30. अकोड़ा 31. मिहोना 32. आलमपुर 33. दबोह 34. मौ 35. फूफकलां 36. रौन* 37. मालनपुर*
	7. मुरैना	2. मुरैना	11. अम्बाह 12. पोरसा 13. सबलगढ़	38. जौरा 39. कैलारस 40. झुण्डपुरा 41. बामौर

	8. श्योपुरकलां		14. श्योपुरकलां	42. विजयपुर 43. बड़ौदा
3. इंदौर	9. इंदौर	3. इंदौर		44. देपालपुर 45. सांवेर 46. गौतमपुरा 47. बेटमा 48. राऊ 49. हातौद 50. मानपुर 51. महुगांव
	10. धार		15. धार 16. मनावर 17. पीथमपुर	52. राजगढ़ 53. कुक्षी 54. बदनावर 55. धरमपुरी 56. धामनौद 57. सरदारपुर 58. मांडव 59. डही
	11. बड़वानी		18. सेंधवा 19. बड़वानी	60. अंजड़ 61. राजपुर 62. खेतिया 63. पानसेमल 64. पलसूद 65. ठीकरी* 66. निवाली बुजुर्ग*
	12. झाबुआ		20. झाबुआ	67. थांदला 68. पेटलावद 69. रानापुर 70. मेघनगर
	13. अलीराजपुर		21. अलीराजपुर	71. जोबट 72. भावरा
	14.पश्चिम निमाड़ (खरगौन)		22. खरगौन 23. सनावद 24. बड़वाह	73. मण्डलेश्वर 74. कसरावद 75. भीकनगांव 76. महेश्वर 77. करही एवं पांडल्याखुर्द 78. बिस्टान*
	15. पूर्व निमाड़ (खंडवा)	4. खंडवा		79. मूंदी 80. पंधाना 81. ओंकारेश्वर 82. छनेरा 83. पुनासा*
	16.बुरहानपुर	5. बुरहानपुर	25. नेपानगर	84. शाहपुर
4. उज्जैन	17. उज्जैन	6. उज्जैन	26. बड़नगर 27. महिदपुर 28. खाचरोद 29. नागदा	85. तराना 86. उन्हेल 87. माकडोन
	18 नीमच		30. नीमच	88. मनासा 89. रामपुरा

				90. जावद 91. जीरन 92. रतनगढ़ 93. सिंगोली 94. डिकेन 95. कुकड़ेश्वर 96. नयागांव 97. अठाना 98. सरवनिया महाराज
	19. देवास	7. देवास		99. कन्नौद 100. सोनकच्छ 101. खातेगांव 102. हाटपिपल्या 103. बागली 104. भौरासा 105. करनावद 106. काटाफोड़ 107. लोहारदा 108. सतवास 109. टोंकखुर्द 110. पिपलरंवा 111. नेमावर
	20. शाजापुर		31. शाजापुर 32. शुजालपुर	112. मक्सी 113. अकोदिया 114. पोलायकलां 115. पानखेडी
	21. आगर		33. आगर	116. नलखेड़ा 117. बडौद 118. कानड़ 119. सुसनेर 120. सोयतकलां 121. बड़ागांव
	22. रतलाम	8. रतलाम	34. जावरा	122. ताल 123. सैलाना 124. आलोट 125. नामली 126. बड़ावदा 127. पिपलौदा 128. धामनौद
	23. मंदसौर		35. मंदसौर	129. शामगढ़ 130. सीतामऊ 131. पिपल्यामंडी 132. नारायणगढ़ 133. मल्हारगढ़ 134. भानपुरा 135. नगरी 136. गरोठ 137. सुवासरा 138. भैंसोदा मंडी*
5. भोपाल	24. भोपाल	9. भोपाल	36. बैरसिया	

	25. सीहोर		37. सीहोर	139. इछावर
			38. आष्टा	140. बुदनी
				141. जावर
				142. नसरूल्लागंज
				143. रेहटी
				144. कोठरी
				145. शाहगंज
	26. रायसेन		39. रायसेन	146. औबेदुल्लागंज
			40. बेगमगंज	147. सुल्तानपुर
			41. मण्डीदीप	148. बरेली
				149. बाड़ी
				150. सांची
				151. उदयपुरा
				152. सिलवानी
				153. गैरतगंज
				154. देवरी*
	27. विदिशा		42. विदिशा	155. कुरवाई
			43. गंज बासौदा	156. लटेरी
			44. सिरोंज	157. शमशाबाद
	28. राजगढ़		45. राजगढ	158. जीरापुर
			46. नरसिंहगढ़	159. कुरावर
			47. सारंगपुर	160. खिलचीपुर
			48. ब्यावरा	161. तलेन
				162. बोड़ा
				163. खुजनेर
				164. पचोर
				165. सुठालिया
				166. माचलपुर
				167. छापीहेड़ा
6. नर्मदापुरम्	29. होशंगाबाद		49. होशंगाबाद	168. बाबई
			50. इटारसी	169. सोहागपुर
			51. सिवनीमालवा	170. बनखेड़ी
			52. पिपरिया	
	30. हरदा		53. हरदा	171. टिमरनी
				172. खिड़किया
				173. सिराली*
	31. बैतूल		54. बैतूल	174. बैतूल बाजार
			55. आमला	175. भैंसदेही
			56. सारणी	176. आठनेर
			57. मुलताई	177. चिचोली
				178. घोड़ाडोंगरी*
				179. शाहपुर*
7. सागर	32. सागर	10. सागर	58. बीना इटावा	180. राहतगढ़
			59. खुरई	181. बंडा
			60. गढ़ाकोटा	182. शाहपुर
			61. रेहली	183. शाहगढ
			62. देवरी	184. मालथौन*
			63. मकरोनिया बुजुर्ग	185. बांदरी*
				186. बिलहरा*
				187. सुरखी*

				188. बरोदियाकलां* 189. कर्रापुर*
	33. दमोह		64. दमोह 65. हटा	190. तेंदुखेड़ा 191. पथरिया 192. हिन्डोरिया 193. पटेरा
	34. पन्ना		66. पन्ना	194. अमानगंज 195. देवेन्द्र नगर 196. अजयगढ़ 197. ककरहटी 198. पवई 199. गुन्नौर*
	35. छतरपुर		67. छतरपुर 68. नौगांव 69. महाराजपुर	200. धुवारा 201. सटई 202. बारीगढ़ 203. बिजावर 204. गढ़ीमल्हरा 205. बक्सवाहा 206. चंदला 207. बड़ामल्हरा 208. हरपालपुर 209. लवकुशनगर 210. खजुराहो 211. राजनगर
	36. टीकमगढ़		70. टीकमगढ़	212. बल्देवगढ़ 213. खरगापुर 214. पलेरा 215. जतारा 216. लिधोराखास 217. बड़ागांव 218. कारी
	37. निवाड़ी			219. निवाड़ी 220. पृथ्वीपुर 221. जैरोनखालसा 222. तरीचरकलॉ 223. ओरछा
8. रीवा	38. रीवा	11. रीवा		224. बैंकुंठपुर 225. मउगंज 226. त्यौंथर 227. हनुमना 228. चाकघाट 229. गोविन्दगढ 230. नईगढ़ी 231. सिरमौर 232. मनगवां 233. सेमरिया 234. गुढ़ 235. डभौरा*
	39. सीधी		71. सीधी	236. चुरहट

				237. रामपुरनेकिन 238. मझोली
	40. सिंगरौली	12.सिंगरौली		239. सरई* 240 बरगवां*
	41. सतना	13. सतना	72. मैहर	241. नागौद 242. बिरसिंहपुर 243. जैतवारा 244. कोटर 245. कोठी 246. अमरपाटन 247. रामपुर–बघेलान 248. उचेहरा 249. चित्रकूट 250. न्यू रामनगर
9. शहडोल	42. शहडोल		73. शहडोल 74. धनपुरी	251. बुढ़ार 252. ब्यौहारी 253. जयसिंहनगर 254. खाण्ड 255. बकहो*
	43.अनूपपुर		75. अनूपपुर 76. कोतमा 77. पसान 78. बिजूरी	256. जैतहरी 257. अमरकंटक 258. वनगवां (राजनगर)* 259. डोला* 260. डूमरकछार* 261. बरगवॉ(अमलाई)*
	44. उमरिया		79. उमरिया 80. पाली	262. चंदिया 263. नौरोजाबाद 264. मानपुर*
	45. डिण्डोरी			265. डिण्डोरी 266. शाहपुरा
10. जबलपुर	46. जबलपुर	14. जबलपुर	81. पनागर 82. सिहोरा	267. बरेला 268. भेड़ाघाट 269. शाहपुरा 270. पाटन 271. मझौली 272. कटंगी
	47. कटनी	15. मुड़वारा कटनी		273. बरही 274. कैमोर 275. विजयराधवगढ़
	48. बालाघाट		83. बालाघाट 84. वारासिवनी 85. मलाजखंड	276. कटंगी 277. बैहर 278. लांजी
	49 छिन्दवाड़ा	16. छिंदवाड़ा	86. पांढुर्ना 87. जुन्नारदेव जामई) 88. डोगर परासिया 89. दमुआ 90. चौरई 91. अमरवाड़ा	279. हर्रई 280. लोधीखेड़ा 281. न्यूटन चिखली 282. चांदामेटा बुटारिया 283. मोहगांव 284. बडकुही 285. पिपलानारायणवार 286. बिछुआ

			92.	सौंसर	287.	चांद
	50 नरसिंहपुर		93.	नरसिंहपुर	288.	तेंदूखेड़ा
			94.	गाडरवारा	289.	सालीचौका
			95.	करेली	290.	सांईखेडा
			96.	गोटेगांव	291.	चीचली
	51. सिवनी		97.	सिवनी	292.	लखनादौन
					293.	बरघाट
					294.	छपारा*
					295.	केवलारी*
	52. मंडला		98.	मंडला	296.	बम्हनीबंजर
			99.	नैनपुर	297.	निवास
					298.	बिछिया

नगर पालिक निगम	**16**
नगरपालिका परिषद	**99**
नगर परिषद	**298**
योग	**413**

*नवगठित नगर परिषद्

————————

परिशिष्ट–तीन (एक)

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास
वित्तीय वर्ष 2022–23 का बजट

(राशि करोड़ में)

स.क्र.	मांग संख्या	मुख्य शीर्ष	योजना क्रमांक	योजना का नाम	वर्ष 2022–23 का बजट प्रावधान	व्यय दिनांक 31.12.2022 की स्थिति में
1	2	3	4	5	6	7
राजस्व योजनाएं						
1	22	2217	1237	Housing For All (PMAY)	2501.18	1890.59
2	22	2217	1238	Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT)	46.52	13.44
3	22	2217	1263	दीनदयाल अन्त्योंदय योजना (NULM)	100.00	59.15
4	22	2217	7706	स्वच्छ भारत अभियान (SBM)	175.00	86.00
5	22	2217	0179	सफाई कामगारों के लिये समूह बीमा योजना	1.26	0.81
6	22	2217	0681	रियल एस्टेट रेग्यूलेटरी अथॉरिटी (RERA)	1.50	0.66
7	22	2217	0852	दीनदयाल रसोई घर योजना	15.00	9.60
8	22	3604	1240	दुर्घटना में मृत सफाई कर्मियों को क्षतिपूर्ति अनुदान	0.20	0.16
9	22	2215	1249	प्रदेश की जलमल निकासी योजनाओं की स्थापना एवं अनुरक्षण कार्य	15.00	12.00
10	22	2217	1425	पंजीयन एवं मुद्राक शुल्क के अधिभार से नगरीय निकायों द्वारा अथवा उनकी ओर से लिये गये ऋणों/ब्याज का प्रतिसंदाय	778.00	352.15
11	22	2217	1947	रियल एस्टेट रेगुलेशन एवं विकास, अपीलीय अधिकरण (REAT)	3.00	1.92
12	22	2217	2045	शहरी गरीबों को उपलब्ध कराये जाने वाले आवास के हितग्राही अंश में राज्य सरकार का ब्याज अनुदान	2.00	0.61
13	22	3604	2181	नगरीय जल प्रदाय योजनाएं (जल संधारण)	20.00	20.00
14	22	3604	4035	पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार का नगरीय निकायों को हस्तांतरण	329.89	237.60

15	22	2217	6047	स्थानीय निकायों को प्रशिक्षण हेतु अनुदान	2.00	1.55
16	22	2217	6148	नगरीय स्थानीय निकाय संचालनालय (वेतन भत्ते)	19.19	13.20
17	22	2217	6440	शहरी परिवहन व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण (GEF)	0.55	0.15
18	22	3604	6602	स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं को कर संग्रहण हेतु प्रोत्साहन अनुदान	2.00	
19	22	2217	7029	शहरी विकास संस्थान	2.00	1.28
20	22	2217	7039	शहरी सुधार कार्यक्रम	15.00	9.77
21	22	2217	7056	Fire Services	11.00	7.02
22	22	2217	7144	मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन	5.20	2.68
23	22	2217	7147	लोक परिवहन एवं यातायात सर्वे/अध्ययन	1.00	
24	22	2217	7336	M.P. Urban Services Improvement Programme (MPUSIP) (EAP) (ADB)	11.00	4.84
25	22	2217	7357	झीलों और तालाबों का संरक्षण एवं संवर्द्धन	8.90	5.70
26	22	3604	7398	नगरीय निकायों के लिए स्वच्छता पुरस्कार योजना	5.00	
27	22	2217	7664	निम्न दाब सड़क बत्ती विद्युत संयोजनों की विद्युत दरों में राज्य शासन की सब्सिडी (NEW)	10.00	
28	22	3604	7668	स्थानीय निकायों को मूलभत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान (राज्य करों में हिस्सा)	553.55	403.71
29	22	2217	7704	Dedicated Urban Transport Fund (DUTF)	3.00	1.53
30	22	2217	7838	अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एण्ड अर्बन ट्रान्सफॉरमेंशन 2.0	200.00	194.00
31	22	2217	7839	शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 (New)	54.00	54.00
32	22	2217	7840	स्वच्छ वायु (New)	0.00	
33	22	2217	7841	नेशनल अर्बन रिनेबल मिशन (एन.यू.आर.एम.) (New)	0.00	
34	22	3604	8017	वाहनों पर कर से नगरीय निकायों को सड़क मरम्मत के लिये अनुदान	408.00	326.40
35	22	3604	8018	प्रवेश कर से नगरीय निकायों को हस्तांतरण (चुंगी क्षतिपूर्ति)	3600.00	3000.00

36	22	3604	8860	वेटकर प्रणाली लागू होने से इसकी क्षतिपूर्ति राशि का नगरीय निकायों को हस्तांतरण	600.00	378.64
37	22	2217	9488	मुख्यमत्री अधोसंरचना विकास (फेस–3)	29.00	8.54
38	22	2217	9638	15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान	1034.00	732.60
39	22	2217	9640	15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार मिलियन शहरों को अनुदान	468.00	144.72
40	22	2217	9836	नगरीय पथ व्यवसायी उत्थान योजना	20.00	12.80
41	22	2217	8333	सड़क सुरक्षा निधि से व्यय	5.00	
42	22	2217/3604	9545	विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	0.80	
43	22	3604	9578	नगरीय निकायों को ग्रामीण क्षेत्रों के लिये अग्निशमन व्यवस्था हेतु अनुदान	30.00	
44	22	3604	9589	नगरीय निकायों को समेकित अनुदान	150.89	120.71
45	22	3604	9590	नर्मदा तट के नगरीय निकायों को विशिष्ट अनुदान	5.00	
46	22	3604	9591	13 महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के नगरीय निकायों को विशिष्ट अनुदान	13.00	10.40
47	22	3604	9611	स्थानीय निकायों हेतु प्रोत्साहन	23.00	
48	008	2245	2661	Drinking water supply	0.00	3.92
				योग – राजस्व	**11278.63**	**8122.85**

———

परिशिष्ट–तीन (दो)

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास
वित्तीय वर्ष 2022–23 का बजट

(राशि करोड़ में)

स. क्र.	मांग संख्या	मुख्य शीर्ष	योजना क्रमांक	योजना का नाम	वर्ष 2022–23 का बजट प्रावधान	व्यय दिनांक 31.12.2022 की स्थिति में
1	2	3	4	5	6	7
				पूंजीगत योजनाए		
1	22	4217	7705	Smart City	1050.00	846.00
2	22	6217	9492	उज्जैन स्मार्ट सिटी हेतु भारत सरकार से प्रदाय ऋण/सहायता	32.00	
3	22	4217/ 6217	1262	M.P.Urban Sanitation and Environment Sector Project (MPUSEP)-EAP (KFW)	100.00	75.00
4	22	4217/ 6217	2043	Metro Rail	500.00	500.00
5	22	4217	5374	M.P. Urban Services Improvement Programme (ADB) Phase-II	100.00	100.00
6	22	4217	7029	शहरी विकास संस्थान	9.00	9.00
7	22	4217/ 6217	7336	M.P. Urban Services Improvement Programme (MPUSIP) (EAP) (ADB)	449.00	277.91
8	22	4217/ 6217	7711	M.P.Urban Development Project (MPUDP) (World Bank)	100.00	75.00
9	22	6217	7913	नगरीय संस्थाओं को सामान्य प्रयोजन हेतु ऋण	10.00	
10	22	6217	9935	नगरीय निकायों को कार्यशील पूंजी ऋण (ब्याज रहित)	200.00	200.00
11	22	4217	9575	रीवा रिवर फ्रन्ट भू–अर्जन योजना	34.00	34.00
12	22	4217	9596	महाकाल परिसर विकास योजना	52.00	52.00
13	22	6217	9619	मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना (फेस–4)	400.00	
14	22	4217	9631	नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना निर्माण	200.00	80.00
15	22	4217	9877	(9877) भोपाल स्मार्ट सिटी	-	-
16	22	4217	9879	(9879) इंदौर स्मार्ट सिटी	-	-
17	22	4217	9880	(9880) जबलपुर स्मार्ट सिटी	-	-
18	22	4217	9882	(9882) ग्वालियर स्मार्ट सिटी	-	-
19	22	4217	9883	(9883) उज्जैन स्मार्ट सिटी	-	-

20	22	4217	9884	(9884) सागर स्मार्ट सिटी	-	-
21	22	4217	9886	(9886) सतना स्मार्ट सिटी	-	-
22	22	4217	8333	सड़क सुरक्षा निधि से व्यय	10.00	-
				योग – पूंजीगत योजनाएं	**3246.00**	**2248.91**
				कुल योग	**14524.63**	**10371.76**

———————

अमृत मिशन अंतर्गत परियोजनाओं की प्रगति

क्र.	निकाय का नाम	कार्य का नाम	परियोजना की राशि (रू. करोड में)	अद्यतन स्थिति
1	इन्दौर	जल प्रदाय पैकेज–1 (इन्दौर)	300.17	कार्य पूर्ण
		जल प्रदाय पैकेज–2 (इन्दौर)	287.17	कार्य प्रगतिरत है, 85 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		जल प्रदाय पैकेज–3 (इन्दौर)	26.55	कार्य पूर्ण
		सीवरेज पैकेज–1 (इन्दौर)	211.18	कार्य पूर्ण
		सीवरेज पैकेज–2 (इन्दौर)	89.75	कार्य पूर्ण
		विश्राम बाग पार्क	4.63	कार्य पूर्ण
		स्नेह नगर पार्क	1.48	कार्य पूर्ण
		सिरपुर पार्क	14.39	कार्य प्रगतिरत है, 79 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		पंचवटी पार्क	0.72	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	27.36	कार्य प्रगतिरत है, 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	76.40	कार्य प्रगतिरत है, 15 प्रतिशत कार्य पूण
2	भोपाल	जल प्रदाय (भोपाल एक्सटेंडेड ऐरिया)	284.3	कार्य पूर्ण
		जल प्रदाय (कोलार–ग्रेविटी मेन)	150.26	कार्य पूर्ण
		जल प्रदाय (भौंरी)	20.57	कार्य पूर्ण
		सीवरेज (भोज वेटलैड)	162.40	कार्य पूर्ण
		सीवरेज (शाहपुरा झील)	151.20	कार्य पूर्ण
		सीवरेज (कोलार)	181.44	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन पैकेज 1ए	8.05	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन पैकेज 1ब	7.92	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन पैकेज 2	10.79	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन पैकेज 3	13.71	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन पैकेज 4	8.17	कार्य पूर्ण

क्र.	निकाय का नाम	कार्य का नाम	परियोजना की राशि (रू. करोड में)	अद्यतन स्थिति
		स्टार्म वॉटर ड्रेन पैकेज 6	11.99	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन पैकेज 7ए	10.38	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन पैकेज 7ब	4.90	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन पैकेज 8	8.85	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन पैकेज 9	6.01	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन पैकेज 10	5.75	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन पैकेज 11	10.84	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन पैकेज 12	7.11	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन पैकेज 13	8.46	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन पैकेज 14	7.45	कार्य पूर्ण
		यातायात पार्क	2.66	कार्य पूर्ण
		अशोक विहार	0.26	कार्य पूर्ण
		चांदबड़ पार्क	0.48	कार्य पूर्ण
		एकतापुरी पार्क	0.73	कार्य पूर्ण
		ओल्ड सुभाष नगर पार्क	0.51	कार्य प्रगति पर है, 40 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		अमराई पार्क	1.04	कार्य पूर्ण
		एयरपोर्ट रोड पार्क	1.59	कार्य पूर्ण
		गुलाब उद्यान	1.53	कार्य पूर्ण
		राजीव नगर पार्क	0.27	कार्य पूर्ण
		नेहरू नगर फेस–1	0.71	कार्य पूर्ण
		नेहरू नगर फेस–2	0.56	
		नेहरू नगर फेस–3	0.53	
		एम.पी. नगर जोन –1 पार्क	0.25	कार्य पूर्ण
		यादगार–ए–शाहजानी पार्क	1.03	कार्य पूर्ण
		ए सेक्टर पार्क	0.30	कार्य पूर्ण
		दुर्गा माता मंदिर पार्क	0.27	कार्य पूर्ण
		बी सेक्टर पार्क	0.25	कार्य पूर्ण
		जनता कॉलोनी पार्क	0.13	कार्य पूर्ण
		ई7 पार्क	0.35	कार्य पूर्ण
		नीलम पार्क	0.28	कार्य पूर्ण

क्र.	निकाय का नाम	कार्य का नाम	परियोजना की राशि (रू. करोड में)	अद्यतन स्थिति
		वरूण नगर पार्क	0.24	कार्य पूर्ण
		सौरभ नगर पार्क	0.17	कार्य पूर्ण
		प्रियंका नगर–1 पार्क	0.28	कार्य पूर्ण
		प्रियंका नगर–2 पार्क	0.22	कार्य पूर्ण
		प्रियंका नगर–पी सेक्टर	0.21	कार्य पूर्ण
		प्रियंका नगर–जी पार्क	0.96	कार्य पूर्ण
		इंडस टाउन–1 पार्क	0.14	कार्य पूर्ण
		इंडस टाउन–2 पार्क	0.12	कार्य पूर्ण
		इंडस टाउन–3 पार्क	0.24	कार्य पूर्ण
		इंडस टाउन–4 पार्क	0.25	कार्य पूर्ण
		इंडस टाउन–5 पार्क	0.14	कार्य पूर्ण
		इंडस टाउन–6 पार्क	0.17	कार्य पूर्ण
		मक्सी पार्क	0.95	कार्य पूर्ण
		भारत माता पार्क	0.33	कार्य पूर्ण
		ललिता नगर पार्क	0.41	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	11.00	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	17.70	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	30	कार्य प्रगति पर है, 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	34.80	कार्य प्रगति पर है, 17 प्रतिशत कार्य पूर्ण
3	जबलपुर	जल प्रदाय	135.31	कार्य पूर्ण
		सीवरेज	362.31	कार्य प्रगति पर है, 73 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		आदर्श नगर पार्क	0.71	कार्य पूर्ण
		त्रिपुरी गार्डन	2.99	कार्य पूर्ण
		शिव नगर पार्क	0.88	कार्य पूर्ण
		आधारताल गार्डन	2.00	कार्य पूर्ण
		चन्द्रशेखर आजाद पार्क	1.14	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	20.00	कार्य प्रगति पर है, 26 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	3.48	कार्य पूर्ण
4	ग्वालियर	जल प्रदाय पैकेज–1 (रॉ वाटर)	49.57	कार्य पूर्ण

क्र.	निकाय का नाम	कार्य का नाम	परियोजना की राशि (रू. करोड में)	अद्यतन स्थिति
		जल प्रदाय पैकेज–2	296.27	कार्य पूर्ण
		सीवरेज पैकेज–1 (मुरार)	207.97	कार्य पूर्ण
		सीवरेज पैकेज–2 (लश्कर)	181.00	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन	21.44	कार्य प्रगति पर है, 65 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		डी.डी. नगर पार्क	1.09	कार्य पूर्ण
		काटी घाटी पार्क	1.69	कार्य पूर्ण
		लाल टिपारा पार्क	2.79	कार्य पूर्ण
		मनोरंजनालय पार्क	4.59	कार्य पूर्ण
		तिकोनिया पार्क	0.84	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	25.00	कार्य प्रगति पर है, 81 प्रतिशत कार्य पूर्ण
5	उज्जैन	सीवरेज	436.58	कार्य प्रगति पर है, 73 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		क्षिप्रा रिवर फ्रंट पार्क	3.82	कार्य पूर्ण
		चकोर पार्क	3.67	कार्य पूर्ण
6	देवास	जल प्रदाय	22.51	कार्य पूर्ण
		कुश्ती ऐरीना पार्क	0.41	कार्य पूर्ण
		मयूर पार्क	1.59	कार्य पूर्ण
		मल्हार पार्क	1.59	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन	2.49	यथा स्थिति कार्य स्थगित
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	6.80	कार्य प्रगति पर है, 73 प्रतिशत कार्य पूर्ण
7	मुरैना	सीवरेज	138.16	कार्य पूर्ण
		चंबल कॉलोनी पार्क (वार्ड 41)	1.01	कार्य पूर्ण
		हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पार्क (वार्ड 45)	0.69	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	8.00	कार्य प्रगति पर है, 16 प्रतिशत कार्य पूर्ण
8	सतना	जल प्रदाय	39.22	कार्य पूर्ण
		सीवरेज	199.37	अनुबंध निरस्त
		सीवरेज पैकेज –1 (शेष कार्य)	42.66	कार्य प्रगति पर है, 14 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		सीवरेज पैकेज–2 (शेष कार्य)	119.07	कार्य प्रगति पर है, 10 प्रतिशत कार्य पूर्ण

क्र.	निकाय का नाम	कार्य का नाम	परियोजना की राशि (रू. करोड में)	अद्यतन स्थिति
		स्टार्म वॉटर ड्रेन	17.79	कार्य पूर्ण
		एयरपोर्ट पार्क (वार्ड नं. 22)	4.46	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	8.00	कार्य पूर्ण
9	सागर	सीवरेज	299.10	कार्य प्रगति पर है, 76 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		लेकसाईड पार्क	3.20	कार्य पूर्ण
		काकागंज पार्क, सागर	0.65	कार्य पूर्ण
10	रतलाम	सीवरेज	141.44	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन	12.09	कार्य पूर्ण
		अमृत सागर पार्क	1.21	कार्य पूर्ण
		कालिका माता मंदिर पार्क	1.24	कार्य पूर्ण
11	रीवा	जल प्रदाय	35.58	कार्य पूर्ण
		सीवरेज	199.37	24 प्रतिशत कार्य पूर्ण अनुबंध निरस्त कर शेष कार्य के लिए निविदा दरें 25.01.2023 को राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा निविदा दरें स्वीकृत
		स्टार्म वॉटर ड्रेन	18.55	कार्य प्रगति पर है, 81 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		नेहरू नगर पार्क (वार्ड नं. 14)	0.27	कार्य पूर्ण
		चीराहुला पार्क	0.56	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	10.00	कार्य प्रगति पर है, 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण
12	कटनी	जल प्रदाय	21.21	कार्य पूर्ण
		सीवरेज	96.50	36 प्रतिशत कार्य पूर्णए अनुबंध निरस्त कर शेष कार्य के लिए निविदा दरें 16.12.2022 को राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा निविदा दरें स्वीकृत
		पार्क निअर कलेक्टरेट	0.56	कार्य पूर्ण
		मंगल नगर पार्क	0.71	कार्य पूर्ण
		सुरम्य पार्क	0.70	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	10.00	कार्य प्रगति पर है, 15 प्रतिशत कार्य पूर्ण
13	सिंगरौली	जल प्रदाय	36.89	कार्य पूर्ण

		सीवरेज	110.46	31 प्रतिशत कार्य पूर्ण अनुबंध निरस्त कर शेष कार्य के लिए कार्यदेश जारी
		सीवरेज (शेष कार्य)	95.48	कार्यदेश जारी
		मुरवानी पार्क	2.13	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	8.00	कार्य प्रगति पर है, 67 प्रतिशत कार्य पूर्ण
14	छिंदवाड़ा	जल प्रदाय	77.57	कार्य पूर्ण
		धरम टेकरी पार्क	1.63	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	6.00	कार्य प्रगति पर है, 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण
15	बुरहानपुर	सीवरेज	93.97	कार्य पूर्ण
		रेणुका माता मंदिर	0.72	कार्य पूर्ण
		संजय नगर (पार्ट–1)	0.31	कार्य पूर्ण
		संजय नगर (पार्ट–2)	0.65	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	1.08	कार्य पूर्ण
16	खण्डवा	जल प्रदाय पैकेज–1	12.60	कार्य पूर्ण
		जल प्रदाय पैकेज–2	14.49	कार्य पूर्ण
		जल प्रदाय पैकेज–3	14.49	कार्य पूर्ण
		जल प्रदाय पैकेज–4	11.24	कार्य पूर्ण
		सॉई राम नगर पार्क	0.27	कार्य पूर्ण
		बेगम पार्क	0.38	कार्य पूर्ण
		किशोर नगर पार्क	0.35	कार्य पूर्ण
		एलआईजी कॉलोनी पार्क	0.27	कार्य पूर्ण
		पंजाब कॉलोनी पार्क	0.22	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	1.06	कार्य प्रगति पर है, 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण
17	भिण्ड	सीवरेज	84.16	कार्य प्रगति पर है, 92 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		चंबल कॉलोनी पार्क	0.73	कार्य पूर्ण
		वाटर वर्क्स पार्क	0.22	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	4.00	कार्य प्रगति पर है, 44 प्रतिशत कार्य पूर्ण
18	गुना	जल प्रदाय	14.37	कार्य पूर्ण
		सीवरेज	81.09	कार्य प्रगति पर है, 68 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		आदर्श पार्क	0.15	कार्य पूर्ण
		शास्त्री पार्क	0.35	कार्य पूर्ण

		त्रिमूर्ति पार्क	0.15	कार्य पूर्ण
		सिंहवासा पार्क	0.50	कार्य पूर्ण
		टेकरी धानम पार्क	0.44	कार्य पूर्ण
		गोपालपुर पार्क	0.83	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	4.00	कार्य प्रगति पर है, 87 प्रतिशत कार्य पूर्ण
19	शिवपुरी	जल प्रदाय	22.06	कार्य प्रगति पर है, 99 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		तात्याटोपे स्मारक पार्क	0.51	कार्य पूर्ण
		जवाहर कॉलोनी पार्क	0.25	कार्य पूर्ण
20	विदिशा	सीवरेज	98.71	कार्य पूर्ण
		अहमदपुर पार्क	1.58	कार्य पूर्ण
21	छतरपुर	संध्या विहार पार्क	1.29	कार्य पूर्ण
		जल प्रदाय	75.45	कार्य पूर्ण
22	मंदसौर	जल प्रदाय	53.22	कार्य पूर्ण
		स्टॉर्म वाटर ड्रेन	5.7	कार्य पूर्ण
		दादा दादी पार्क (रीवा देवास रोड)	1.21	कार्य पूर्ण
		अभिनंदन पार्क	0.21	कार्य प्रगति पर है, 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		अभिनंदन पार्क (फेस–2)	0.32	कार्य प्रगति पर है, 55 प्रतिशत कार्य पूर्ण
23	खरगौन	सीवरेज	63.20	कार्य पूर्ण
		स्नेह वाटिका पार्क	0.88	कार्य पूर्ण
		आजाद नगर पार्क	0.22	कार्य पूर्ण
24	नीमच	जल प्रदाय	14.26	कार्य पूर्ण
		सीवरेज	62.03	कार्य पूर्ण
		सिटी पार्क	0.70	कार्य प्रगति पर है, 55 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		स्कीम न0 34 पार्क	0.22	कार्य पूर्ण
		जवाहर नगर पार्क	0.46	कार्य पूर्ण
25	पीथमपुर	जल प्रदाय	87.69	कार्य पूर्ण
		बगदून पार्क–1	0.12	कार्य पूर्ण
		बगदून पार्क–2	0.12	कार्य पूर्ण
		बगदून पार्क–3	0.15	कार्य पूर्ण
		बगदून पार्क–4	0.13	कार्य पूर्ण
26	होशंगाबाद	जल प्रदाय	43.34	कार्य पूर्ण
		स्टॉर्म वाटर ड्रेन	9.97	कार्य प्रगति पर है, 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण

		ऑफिस क्लब पार्क	0.36	कार्य पूर्ण
		हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पार्क	0.34	कार्य पूर्ण
27	सीहोर	जल प्रदाय	12.83	कार्य पूर्ण
		सीवरेज	66.22	कार्य पूर्ण
		बड़ियाखेड़ी (बड़ा मंदिर)	1.02	कार्य पूर्ण
		रिवर फ्रंट बड़ियाखेड़ी पार्क	0.49	कार्य पूर्ण
28	बैतूल	जल प्रदाय	24.99	कार्य पूर्ण
		बैतूल बैराज	6.93	कार्य पूर्ण
		अभिनंदन सरोवर पार्क	0.47	कार्य पूर्ण
29	दतिया	जल प्रदाय	18.66	कार्य पूर्ण
		सीवरेज	58.84	कार्य प्रगति पर है, 86 प्रतिशत कार्य पूर्ण
30	नागदा	जल प्रदाय	12.84	कार्य पूर्ण
		पार्क निअर बायपास रोड	1.23	कार्य प्रगति पर है, 47 प्रतिशत कार्य पूर्ण
31	डबरा	जल प्रदाय	56. 64	कार्य प्रगति पर है,95 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		हरिपुरा पार्क (वार्ड नं. 19)	0.36	कार्य पूर्ण
32	ओंकारेश्वर	पी–1 बस स्टेंड पार्क (पार्ट–2)	0.20	कार्य पूर्ण
		पी–1 बस स्टेंड पार्क (पार्ट–1)	0.26	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	3.67	कार्य पूर्ण
33	दमोह	स्टार्म वॉटर ड्रेन	8.66	कार्य पूर्ण
		राम जानकी पार्क	0.79	कार्य पूर्ण
		7 कॉलोनी पार्क	0.49	कार्य पूर्ण

- योजना 23 शहरो में कुल 32 जलप्रदाय परियोजनाएं स्वीकृत है जिनमे से 29 परियोजनाएं पूर्ण हो गयी हैं तथा 03 परियोजनाएं प्रगतिरत हैं।
- 20 शहरो हेतु कुल 26 सीवरेज परियोजनाएं स्वीकृत है जिनमे से 15 परियोजनाएं पूर्ण हो गयी हैं शेष 11 परियोजनाएं प्रगतिरत हैं।
- 32 शहरो हेतु कुल 111 हरित क्षेत्र मे पार्क विकास परियोजनाएं स्वीकृत है जिनमे से 105 परियोजनाएं पूर्ण हो गयी हैं शेष 06 परियोजनाएं प्रगतिरत हैं।
- 9 शहरों हेतु कुल 23 स्टार्म वॉटर एवं ड्रेन परियोजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमें से 17 परियोजनायें पूर्ण हो चुकी हैं, शेष 03 परियोजनाएं प्रगतिरत है।
- 18 शहरों हेतु 21 लोक परिवहन परियोजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमें से 6 परियोजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष 15 परियोजनाएं प्रगतिरत हैं।

————————

मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजनांतर्गत स्वीकृत योजनाओं की सूची

(राशि रू. लाख में)

क्र.	निकाय का नाम	जनसंख्या 2011	योजना की स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1	नगर परिषद् राजगढ़ (धार)	20668	898.25
2	नगर परिषद् बदनावर	20917	952.31
3	नगर परिषद् मुंदी	12889	578.92
4	नगर परिषद् पंधाना	13694	998.00
5	नगर परिषद् भीकनगांव	16217	760.93
6	नगर परिषद् बाबई	16741	951.62
7	नगर परिषद् खिलचीपुर	18928	999.36
8	नगर परिषद् गुढ़	14608	793.00
9	नगर परिषद् ताल	14913	777.01
10	नगर परिषद् टोंकखुर्द	7979	484.15
11	नगर परिषद् डिण्डोरी	21323	843.00
12	नगर पालिका धार	93917	2174.54
13	नगर परिषद् कुक्षी	28331	1846.08
14	नगर पालिका बड़वानी	55504	1990.05
15	नगर पालिका नीमच	128561	3367.75
16	नगर पालिका मण्डला	55133	2471.17
17	नगर पालिका गंजबासौदा	78289	4216.00
18	नगर पालिका रायसेन	44162	3317.60
19	नगर पालिक निगम रीवा	235654	2262.95
20	नगर परिषद् नौरोजाबाद	21883	1581.00
21	नगर परिषद् उन्हेल	14774	1116.00
22	नगर पालिका अशोकनगर	81828	1326.71
23	नगर परिषद् खनियाधाना	15877	566.00
24	नगर परिषद् नामली	9774	595.41
25	नगर पालिका शहडोल	86681	3614.19
26	नगर परिषद् तरीचरकलां	7674	1493.03
27	नगर परिषद् निवाडी	23724	2103.40
28	नगर पालिका, नरसिंहपुर	59966	3217.95
29	नगर परिषद् सांवेर	16150	851.28
30	नगर परिषद् ओरछा	11511	578.23
31	नगर परिषद् सिंगौली	9523	891.42
32	नगर परिषद् बड़ौनी	10309	456.36

33	नगर पालिका पीथमपुर	126200	2766.99
34	नगर पालिका सिवनीमालवा	30100	2286.19
35	नगर पालिका बैरसिया	30951	1745.98
36	नगर परिषद् औबेदुल्लागंज	22845	1343.63
37	नगर पालिका सारंगपुर	37435	1353.08
38	नगर परिषद् त्यौंथर	17039	1046.86
39	नगर परिषद् हनुमना	16771	1035.34
40	नगर परिषद् पाली	22324	1169.33
41	नगर परिषद् पथरिया	21026	2228.20
42	नगर पालिका नौगांव	40580	2780.67
43	नगर पालिका पलेरा	17493	1268.93
44	नगर परिषद् खाचरौद	34191	1628.63
45	नगर परिषद् जावद	17129	1108.26
46	नगर पालिका सबलगढ़	40333	2120.03
47	नगर पालिका अम्बाह	47177	2721.45
48	नगर परिषद् सरदारपुर	7293	405.49
49	नगर परिषद् चाकघाट	10678	453.36
50	नगर परिषद् सेमरिया	13446	808.48
51	नगर परिषद् शाहगढ़	16300	895.45
52	नगर परिषद् बड़ावदा	8700	691.55
53	नगर परिषद् तराना	24908	799.20
54	नगर परिषद् रतनगढ़	7994	563.28
55	नगर परिषद् मनासा	26551	780.85
56	नगर परिषद् बड़ागांव	7217	964.40
57	नगर परिषद् बड़ौद	13834	844.38
58	नगर परिषद् नलखेड़ा	16690	480.33
59	नगर पालिक निगम, ग्वालियर	1054420	480.00
60	नगर परिषद् बैहर	16651	84.24
61	नगर परिषद् ओंकारेश्वर	10063	720.14
62	नगर परिषद् सुल्तानपुर	10268	787.35
63	नगर परिषद् चुरहट	14962	776.14
64	नगर परिषद् बण्डा	30966	547.83
65	नगर परिषद् नारायणगढ़	10191	425.90
66	नगर परिषद् धरमपुरी	16363	911.35
67	नगर परिषद् मानपुर	7621	488.88
68	नगर परिषद् हातौद	10425	648.67
69	नगर परिषद् राऊ	36055	932.77
70	नगर परिषद् पलसूद	10113	676.26
71	नगर परिषद् जीरापुर	21724	876.35

72	नगर पालिक निगम सागर	274556	133.38
73	नगर परिषद् भितरवार	19096	958.69
74	नगर परिषद्, रानापुर	12371	1955.01
75	नगर परिषद्, थांदला	15756	1368.13
76	नगर परिषद् महूँगांव	30012	1078.40
77	नगर परिषद्, अंजड़	26289	1095.01
78	नगर परिषद्, कुरवई	15487	1243.42
79	नगर पालिका मण्डीदीप	59677	1307.77
80	नगर परिषद् जयसिंहनगर	8233	1012.71
81	नगर परिषद् धनपुरी	45156	1645.82
82	नगर परिषद् गोविन्दगढ़	10547	1127.32
83	नगर परिषद, बिजुरी	32682	1686.10
84	नगर परिषद् अमानगंज	13886	2029.59
85	नगर परिषद् अकौदिया	11652	1129.64
86	नगर परिषद् सीतामऊ	14056	2146.68
87	नगर परिषद्, कन्नौद	17744	2002.64
88	नगर परिषद्, लखनादौन	17302	1592.39
89	नगर परिषद् शाहपुरा	13601	1283.15
90	नगर परिषद्, बामौर	32838	1500.41
91	नगर परिषद्, नरवर	19385	1001.62
92	नगर परिषद्, भाण्डेर	25204	1370.75
93	नगर पालिका चंदेरी	33081	1129.95
94	नगर परिषद् कुम्भराज	19707	1481.71
95	नगर परिषद्, चिचौली	9278	595.83
96	नगर परिषद् तलेन	10588	638.52
97	नगर परिषद् ब्यावरा	49093	939.79
98	नगर परिषद् छापीहेड़ा	8501	517.27
99	नगर परिषद् माचलपुर	9556	569.41
100	नगर परिषद्, बुधनी	16808	697.37
101	नगर परिषद् भानपुरा	21000	914.86
102	नगर परिषद् पिपलौदा	7302	448.25
103	नगर परिषद्, कानड़	10457	656.43
104	नगर परिषद्, भुआ बिछिया	10423	708.47
105	नगर परिषद्, चाचौड़ा बीनागंज	21785	964.12
106	नगर पालिका झाबुआ	36000	4762.66
107	नगर परिषद्, खेतिया	15739	2121.72
108	नगर पालिका विदिशा	155954	3355.91
109	नगर परिषद् सिलवानी	18623	1755.64
110	नगर परिषद्, बरेली	31579	2659.18

111	नगर परिषद्, नरसिंहगढ़	32229	2389.87
112	नगर परिषद्, सुठालिया	10596	1076.36
113	नगर परिषद्, बुढ़ार	19276	1535.93
114	नगर पालिक निगम रीवा	235654	2455.11
115	नगर परिषद्, मझौली	11907	1638.57
116	नगर परिषद् उचेहरा	18377	1414.32
117	नगर पालिका उमरिया	33102	1559.51
118	नगर पालिका दमोह	139415	2634.75
119	नगर परिषद् लवकुशनगर	22075	1481.00
120	नगर निगम रतलाम	264914	2392.99
121	नगर परिषद्, सोनकच्छ	16532	1076.08
122	नगर परिषद्, सोयतकलां	14471	1250.80
123	नगर परिषद् बैहर	16651	1042.31
124	नगर परिषद्, नैनपुर	22618	2123.69
125	नगर परिषद्, बरघाट	11700	1141.63
126	नगर परिशद्, गाडरवाड़ा	47000	2559.78
127	नगर परिषद्, गोटेगांव	38090	2337.76
128	नगर परिषद्, मौ	20147	2193.93
129	नगर परिषद्, इंदरगढ़	23045	2325.55
130	नगर परिषद् जोबट	11976	1251.92
131	नगर परिषद्, गैरतगंज	18184	1756.89
132	नगर परिषद्, इछावर	14582	1015.77
133	नगर परिषद्, नागौद	22568	1879.03
134	नगर पालिका बड़नगर	36438	2090.42
135	नगर परिषद् कोलारस	19781	1780.68
136	नगर परिषद्, नईगढ़ी	10404	751.05
137	नगर पालिका, गढ़ाकोटा	32726	627.28
138	नगर पालिका, खुरई	51108	228.80
139	नगर परिषद् भौरासा (पुनरीक्षित)	12166	711.68
140	नगर पालिका सीहोर	109118	251.05
141	नगर परिषद् बिछुआ	6678	519.64
142	नगर परिषद्, मुंगावली	26192	317.95
143	नगर परिषद्, कटंगी (पुनरीक्षित)	16143	1465.06
144	नगर परिषद्, लांजी	13782	1871.38
145	नगर परिषद् अमरकंटक	8416	1256.20
146	नगर परिषद् रामपुर बघेलान	13636	1304.90
147	नगर पालिका आष्टा	53184	1804.00
148	नगर परिषद् नसरूल्लागंज	23783	266.26
149	नगर पालिका, इटारसी	99300	1934.20

150	नगर परिषद्, उदयपुरा	18236	895.00
151	नगर परिषद्, ओरछा (फेज–2)	11511	353.51
152	नगर पालिका पांढुर्ना	45479	3894.13
153	नगर परिषद् खिलचीपुर (फेज– 2)	18928	364.34
154	नगर परिषद्, लांजी (बैराज)	13782	616.29
		योग–	**209142.98**

परिशिष्ट–छः

मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना तृतीय चरण अंतर्गत स्वीकृत निकायों की सूची

(राशि रू. लाख में)

क्र.	संभाग का नाम	जिला	निकाय का नाम	सैक्षंतिक स्वीकृति राशि
1	2	3	4	5
1	भोपाल	भोपाल	भोपाल नगर पालिक निगम	1000.00
2	भोपाल	भोपाल	बैरसिया नगर पालिका परिषद्	150.00
3	भोपाल	सीहोर	सीहोर नगर पालिका परिषद्	200.00
4	भोपाल	सीहोर	आष्टा नगर पालिका परिषद्	150.00
5	भोपाल	सीहोर	कोठरी नगर परिषद्	75.00
6	भोपाल	सीहोर	इछावर नगर परिषद्	75.00
7	भोपाल	सीहोर	नसरूल्लागंज नगर परिषद्	75.00
8	भोपाल	सीहोर	बुधनी नगर परिषद्	75.00
9	भोपाल	सीहोर	रेहटी नगर परिषद्	75.00
10	भोपाल	रायसेन	रायसेन नगर पालिका परिषद्	150.00
11	भोपाल	रायसेन	गैरतगंज नगर परिषद्	75.00
12	भोपाल	रायसेन	सांची नगर परिषद्	75.00
13	भोपाल	रायसेन	बेगमगंज नगर पालिका परिषद्	150.00
14	भोपाल	रायसेन	बरेली नगर परिषद्	75.00
15	भोपाल	रायसेन	उदयपुरा नगर परिषद्	75.00
16	भोपाल	रायसेन	सुल्तानपुर नगर परिषद्	75.00
17	भोपाल	रायसेन	बाड़ी नगर परिषद्	75.00
18	भोपाल	विदिशा	विदिशा नगर पालिका परिषद्	200.00
19	भोपाल	विदिशा	गंज बासौदा नगर पालिका परिषद्	150.00
20	भोपाल	विदिशा	कुरवई नगर परिषद्	75.00
21	भोपाल	विदिशा	लटेरी नगर परिषद्	75.00
22	भोपाल	विदिशा	सिरोंज नगर पालिका परिषद्	150.00
23	भोपाल	विदिशा	शमशाबाद नगर परिषद्	75.00
24	भोपाल	राजगढ़	राजगढ़ नगर पालिका परिषद्	150.00
25	भोपाल	राजगढ़	खुजनेर नगर परिषद्	75.00
26	भोपाल	राजगढ़	नरसिंहगढ़ नगर पालिका परिषद्	150.00
27	भोपाल	राजगढ़	तलेन नगर परिषद्	75.00
28	भोपाल	राजगढ़	बोडा नगर परिषद्	75.00
29	भोपाल	राजगढ़	सारंगपुर नगर पालिका परिषद्	150.00
30	भोपाल	राजगढ़	पचोर नगर परिषद्	75.00
31	भोपाल	राजगढ़	ब्यावरा नगर पालिका परिषद्	150.00
32	भोपाल	राजगढ़	सुठालिया नगर परिषद्	75.00
33	भोपाल	राजगढ़	खिलचीपुर नगर परिषद्	75.00

34	भोपाल	राजगढ़	छापीहेड़ा नगर परिषद्	75.00
35	भोपाल	राजगढ़	जीरापुर नगर परिषद्	75.00
36	भोपाल	राजगढ़	माचलपुर नगर परिषद्	75.00
37	भोपाल	राजगढ़	कुरावर नगर परिषद्	75.00
38	नर्मदापुरम्	हरदा	हरदा नगर पालिका परिषद्	150.00
39	नर्मदापुरम्	हरदा	खिरकिया नगर परिषद्	75.00
40	नर्मदापुरम्	हरदा	टिमरनी नगर परिषद्	75.00
41	नर्मदापुरम्	होशंगाबाद	होशंगाबाद नगर पालिका परिषद्	200.00
42	नर्मदापुरम्	होशंगाबाद	इटारसी नगर पालिका परिषद्	150.00
43	नर्मदापुरम्	होशंगाबाद	सिवनी मालवा नगर पालिका परिषद्	150.00
44	नर्मदापुरम्	होशंगाबाद	पिपरिया नगर पालिका परिषद्	150.00
45	नर्मदापुरम्	होशंगाबाद	सोहागपुर नगर परिषद्	75.00
46	नर्मदापुरम्	होशंगाबाद	बाबई नगर परिषद्	75.00
47	नर्मदापुरम्	होशंगाबाद	बनखेड़ी नगर परिषद्	75.00
48	नर्मदापुरम्	बैतूल	बैतूल नगर पालिका परिषद्	200.00
49	नर्मदापुरम्	बैतूल	आठनेर नगर परिषद्	75.00
50	नर्मदापुरम्	बैतूल	बैतूल बाजार नगर परिषद्	75.00
51	नर्मदापुरम्	बैतूल	मुलताई नगर पालिका परिषद्	150.00
52	नर्मदापुरम्	बैतूल	आमला नगर पालिका परिषद्	150.00
53	नर्मदापुरम्	बैतूल	सारणी नगर पालिका परिषद्	150.00
54	नर्मदापुरम्	बैतूल	भैंसदेही नगर परिषद्	75.00
55	नर्मदापुरम्	बैतूल	चिचोली नगर परिषद् 2	75.00
56	ग्वालियर	ग्वालियर	ग्वालियर नगर पालिक निगम	800.00
57	ग्वालियर	ग्वालियर	डबरा नगर पालिका परिषद्	200.00
58	ग्वालियर	ग्वालियर	पिछोर नगर परिषद्	75.00
59	ग्वालियर	ग्वालियर	बिलौआ नगर परिषद्	75.00
60	ग्वालियर	ग्वालियर	भितरवार नगर परिषद्	75.00
61	ग्वालियर	ग्वालियर	आंतरी नगर परिषद्	75.00
62	ग्वालियर	शिवपुरी	शिवपुरी नगर पालिका परिषद्	200.00
63	ग्वालियर	शिवपुरी	बैराड़ नगर परिषद्	75.00
64	ग्वालियर	शिवपुरी	करैरा नगर परिषद्	75.00
65	ग्वालियर	शिवपुरी	नरवर नगर परिषद्	75.00
66	ग्वालियर	शिवपुरी	कोलारस नगर परिषद्	75.00
67	ग्वालियर	शिवपुरी	बदरवास नगर परिषद्	75.00
68	ग्वालियर	शिवपुरी	पिछोर नगर परिषद्	75.00
69	ग्वालियर	शिवपुरी	खनियाधाना नगर परिषद्	75.00
70	ग्वालियर	गुना	गुना नगर पालिका परिषद्	200.00
71	ग्वालियर	गुना	राघोगढ़ नगर पालिका परिषद्	150.00
72	ग्वालियर	गुना	आरोन नगर परिषद्	75.00
73	ग्वालियर	गुना	चाचौडा बीनागंज नगर परिषद्	75.00
74	ग्वालियर	गुना	कुंभराज नगर परिषद्	75.00
75	ग्वालियर	अशोकनगर	अशोकनगर नगर पालिका परिषद्	150.00

76	ग्वालियर	अशोकनगर	चंदेरी नगर पालिका परिषद्	150.00
77	ग्वालियर	अशोकनगर	ईसागढ नगर परिषद्	75.00
78	ग्वालियर	अशोकनगर	मुंगावली नगर परिषद्	75.00
79	ग्वालियर	अशोकनगर	शाढौरा नगर परिषद्	75.00
80	ग्वालियर	दतिया	दतिया नगर पालिका परिषद्	200.00
81	ग्वालियर	दतिया	बड़ोनी नगर परिषद्	75.00
82	ग्वालियर	दतिया	सेवढा नगर परिषद्	75.00
83	ग्वालियर	दतिया	भाण्डेर नगर परिषद्	75.00
84	ग्वालियर	दतिया	इंदरगढ़ नगर परिषद्	75.00
85	चंबल	भिण्ड	भिण्ड नगर पालिका परिषद्	200.00
86	चंबल	भिण्ड	अकोड़ा नगर परिषद्	75.00
87	चंबल	भिण्ड	गोहद नगर पालिका परिषद्	150.00
88	चंबल	भिण्ड	मौ नगर परिषद्	75.00
89	चंबल	भिण्ड	लहार नगर परिषद्	75.00
90	चंबल	भिण्ड	मिहोना नगर परिषद्	75.00
91	चंबल	भिण्ड	आलमपुर नगर परिषद्	75.00
92	चंबल	भिण्ड	दबोह नगर परिषद्	75.00
93	चंबल	भिण्ड	मेहगांव नगर परिषद्	75.00
94	चंबल	भिण्ड	गोरमी नगर परिषद्	75.00
95	चंबल	भिण्ड	फूप नगर परिषद्	75.00
96	चंबल	मुरैना	मुरैना नगर पालिक निगम	300.00
97	चंबल	मुरैना	बानमौर नगर परिषद्	75.00
98	चंबल	मुरैना	अम्बाह नगर पालिका परिषद्	150.00
99	चंबल	मुरैना	पोरसा नगर पालिका परिषद्	150.00
100	चंबल	मुरैना	सबलगढ़ नगर पालिका परिषद्	150.00
101	चंबल	मुरैना	झुण्डपुरा नगर परिषद्	75.00
102	चंबल	मुरैना	जौरा नगर परिषद्	75.00
103	चंबल	मुरैना	कैलारस नगर परिषद्	75.00
104	चंबल	श्योपुर	श्योपुरकलां नगर पालिका परिषद्	150.00
105	चंबल	श्योपुर	बड़ौदा नगर परिषद्	75.00
106	चंबल	श्योपुर	विजयपुर नगर परिषद्	75.00
107	उज्जैन	उज्जैन	उज्जैन नगर पालिक निगम	600.00
108	उज्जैन	उज्जैन	बड़नगर नगर पालिका परिषद्	150.00
109	उज्जैन	उज्जैन	महिदपुर नगर पालिका परिषद्	150.00
110	उज्जैन	उज्जैन	खाचरौद नगर पालिका परिषद्	150.00
111	उज्जैन	उज्जैन	नागदा नगर पालिका परिषद्	200.00
112	उज्जैन	उज्जैन	तराना नगर परिषद्	75.00
113	उज्जैन	उज्जैन	माकडोन नगर परिषद्	75.00
114	उज्जैन	उज्जैन	उन्हेल नगर परिषद्	75.00
115	उज्जैन	नीमच	नीमच नगर पालिका परिषद्	200.00
116	उज्जैन	नीमच	जीरन नगर परिषद्	75.00
117	उज्जैन	नीमच	मनासा नगर परिषद्	75.00

118	उज्जैन	नीमच	रामपुरा नगर परिषद्	75.00
119	उज्जैन	नीमच	कुकड़ेश्वर नगर परिषद्	75.00
120	उज्जैन	नीमच	जावद नगर परिषद्	75.00
121	उज्जैन	नीमच	सिंगोली नगर परिषद्	75.00
122	उज्जैन	नीमच	रतनगढ़ नगर परिषद्	75.00
123	उज्जैन	नीमच	डीकेन नगर परिषद्	75.00
124	उज्जैन	नीमच	नयागांव नगर परिषद्	75.00
125	उज्जैन	नीमच	अठाना नगर परिषद्	75.00
126	उज्जैन	नीमच	सरवनिया महाराज नगर परिषद्	75.00
127	उज्जैन	देवास	देवास नगर पालिक निगम	300.00
128	उज्जैन	देवास	हाटपिपल्या नगर परिषद्	75.00
129	उज्जैन	देवास	खातेगांव नगर परिषद	75.00
130	उज्जैन	देवास	कन्नौद नगर परिषद्	75.00
131	उज्जैन	देवास	नेमावर नगर परिषद्	75.00
132	उज्जैन	देवास	बागली नगर परिषद्	75.00
133	उज्जैन	देवास	करनावद नगर परिषद्	75.00
134	उज्जैन	देवास	काटाफोड़ नगर परिषद्	75.00
135	उज्जैन	देवास	लोहारदा नगर परिषद्	75.00
136	उज्जैन	देवास	सतवास नगर परिषद्	75.00
137	उज्जैन	देवास	सोनकच्छ नगर परिषद्	75.00
138	उज्जैन	देवास	भौरासा नगर परिषद्	75.00
139	उज्जैन	देवास	टोंकखुर्द नगर परिषद्	75.00
140	उज्जैन	देवास	पिपलरंवा नगर परिषद्	75.00
141	उज्जैन	शाजापुर	शाजापुर नगर पालिका परिषद्	150.00
142	उज्जैन	शाजापुर	मक्सी नगर परिषद्	75.00
143	उज्जैन	शाजापुर	शुजालपुर नगर पालिका परिषद्	150.00
144	उज्जैन	शाजापुर	अकोदिया नगर परिषद्	75.00
145	उज्जैन	शाजापुर	सीतामऊ नगर परिषद्	75.00
146	उज्जैन	शाजापुर	पानखेडी नगर परिषद	75.00
147	उज्जैन	आगर	आगर मालवा नगर पालिका परिषद्	150.00
148	उज्जैन	आगर	कानड़ नगर परिषद्	75.00
149	उज्जैन	आगर	बड़ौद नगर परिषद्	75.00
150	उज्जैन	आगर	सुसनेर नगर परिषद्	75.00
151	उज्जैन	आगर	नलखेड़ा नगर परिषद्	75.00
152	उज्जैन	आगर	सोयतकलां नगर परिषद्	75.00
153	उज्जैन	आगर	बड़ागांव नगर परिषद्	75.00
154	उज्जैन	रतलाम	रतलाम नगर पालिक निगम	300.00
155	उज्जैन	रतलाम	जावरा नगर पालिका परिषद्	150.00
156	उज्जैन	रतलाम	पिपलौदा नगर परिषद्	75.00
157	उज्जैन	रतलाम	सैलाना नगर परिषद्	75.00
158	उज्जैन	रतलाम	धामनौद नगर परिषद्	75.00
159	उज्जैन	रतलाम	नामली नगर परिषद् 2	75.00

160	उज्जैन	रतलाम	आलोट नगर परिषद्	75.00
161	उज्जैन	रतलाम	बड़ावदा नगर परिषद्	75.00
162	उज्जैन	रतलाम	ताल नगर परिषद्	75.00
163	उज्जैन	मंदसौर	मंदसौर नगर पालिका परिषद्	200.00
164	उज्जैन	मंदसौर	नगरी नगर परिषद्	75.00
165	उज्जैन	मंदसौर	सुवासरा नगर परिषद्	75.00
166	उज्जैन	मंदसौर	शामगढ़ नगर परिषद्	75.00
167	उज्जैन	मंदसौर	सीतामऊ नगर परिषद्	75.00
168	उज्जैन	मंदसौर	मल्हारगढ़ नगर परिषद्	75.00
169	उज्जैन	मंदसौर	पिपल्यामंडी नगर परिषद्	75.00
170	उज्जैन	मंदसौर	नारायणगढ़ नगर परिषद्	75.00
171	उज्जैन	मंदसौर	गरोठ नगर परिषद्	75.00
172	उज्जैन	मंदसौर	भानपुरा नगर परिषद्	75.00
173	सागर	सागर	सागर नगर पालिक निगम	300.00
174	सागर	सागर	मकरोनिया बुजुर्ग नगर पालिका परिषद्	150.00
175	सागर	सागर	बीना नगर पालिका परिषद्	150.00
176	सागर	सागर	खुरई नगर पालिका परिषद्	150.00
177	सागर	सागर	देवरी नगर पालिका परिषद्	150.00
178	सागर	सागर	राहतगढ़ नगर परिषद्	75.00
179	सागर	सागर	रेहली नगर पालिका परिषद्	150.00
180	सागर	सागर	शाहपुर नगर परिषद्	75.00
181	सागर	सागर	गढ़ाकोटा नगर पालिका परिषद्	150.00
182	सागर	सागर	बंडा नगर परिषद्	75.00
183	सागर	सागर	शाहगढ नगर परिषद्	75.00
184	सागर	दमोह	दमोह नगर पालिका परिषद्	200.00
185	सागर	दमोह	हिन्डोरिया नगर परिषद्	75.00
186	सागर	दमोह	हटा नगर पालिका परिषद्	150.00
187	सागर	दमोह	तेंदुखेड़ा नगर परिषद्	75.00
188	सागर	दमोह	पथरिया नगर परिषद्	75.00
189	सागर	दमोह	पटेरा नगर परिषद्	75.00
190	सागर	पन्ना	पन्ना नगर पालिका परिषद्	150.00
191	सागर	पन्ना	अजयगढ़ नगर परिषद्	75.00
192	सागर	पन्ना	अमानगंज नगर परिषद्	75.00
193	सागर	पन्ना	देवेन्द्र नगर नगर परिषद्	75.00
194	सागर	पन्ना	ककरहटी नगर परिषद्	75.00
195	सागर	पन्ना	पवई नगर परिषद्	75.00
196	सागर	छतरपुर	छतरपुर नगर पालिका परिषद्	200.00
197	सागर	छतरपुर	गढ़ीमल्हरा नगर परिषद्	75.00
198	सागर	छतरपुर	नौगांव नगर पालिका परिषद्	150.00
199	सागर	छतरपुर	हरपालपुर नगर परिषद्	75.00
200	सागर	छतरपुर	महाराजपुर नगर पालिका परिषद्	150.00
201	सागर	छतरपुर	चंदला नगर परिषद्	75.00

202	सागर	छतरपुर	बारीगढ़ नगर परिषद्	75.00
203	सागर	छतरपुर	बिजावर नगर परिषद्	75.00
204	सागर	छतरपुर	सटई नगर परिषद्	75.00
205	सागर	छतरपुर	बड़ामल्हरा नगर परिषद्	75.00
206	सागर	छतरपुर	बक्सवाहा नगर परिषद्	75.00
207	सागर	छतरपुर	धुवारा नगर परिषद्	75.00
208	सागर	छतरपुर	राजनगर नगर परिषद्	75.00
209	सागर	छतरपुर	लवकुशनगर नगर परिषद्	75.00
210	सागर	छतरपुर	खजुराहो नगर परिषद्	75.00
211	सागर	टीकमगढ़	टीकमगढ़ नगर पालिका परिषद्	150.00
212	सागर	टीकमगढ़	कारी नगर परिषद्	75.00
213	सागर	टीकमगढ़	बल्देवगढ़ नगर परिषद्	75.00
214	सागर	टीकमगढ़	बड़ागांव (धसान) नगर परिषद्	75.00
215	सागर	टीकमगढ़	निवाड़ी नगर परिषद्	75.00
216	सागर	टीकमगढ़	ओरछा नगर परिषद्	75.00
217	सागर	टीकमगढ़	तरीचरकलां नगर परिषद्	75.00
218	सागर	टीकमगढ़	खरगापुर नगर परिषद्	75.00
219	सागर	टीकमगढ़	पलेरा नगर परिषद्	75.00
220	सागर	टीकमगढ़	जतारा नगर परिषद	75.00
221	सागर	टीकमगढ़	पृथ्वीपुर नगर परिषद्	75.00
222	सागर	टीकमगढ़	जैरोन खालसा नगर परिषद्	75.00
223	सागर	टीकमगढ़	लिधोराखास नगर परिषद्	75.00
224	रीवा	रीवा	रीवा नगर पालिक निगम	300.00
225	रीवा	रीवा	मनगवां नगर परिषद्	75.00
226	रीवा	रीवा	बैंकुंठपुर नगर परिषद्	75.00
227	रीवा	रीवा	मऊगंज नगर परिषद्	75.00
228	रीवा	रीवा	हनुमना नगर परिषद्	75.00
229	रीवा	रीवा	त्यौंथर नगर परिषद्	75.00
230	रीवा	रीवा	चाकघाट नगर परिषद्	75.00
231	रीवा	रीवा	गुढ़ नगर परिषद्	75.00
232	रीवा	रीवा	गोविन्दगढ़ नगर परिषद्	75.00
233	रीवा	रीवा	सिरमौर नगर परिषद्	75.00
234	रीवा	रीवा	सेमरिया नगर परिषद्	75.00
235	रीवा	रीवा	नईगढ़ी नगर परिषद्	75.00
236	रीवा	सीधी	सीधी नगर पालिका परिषद्	150.00
237	रीवा	सीधी	चुरहट नगर परिषद्	75.00
238	रीवा	सीधी	रामपुरनेकिन नगर परिषद्	75.00
239	रीवा	सीधी	मझौली नगर परिषद्	75.00
240	रीवा	सिंगरौली	सिंगरौली नगर पालिक निगम	300.00
241	रीवा	सतना	सतना नगर पालिक निगम	300.00
242	रीवा	सतना	मैहर नगर पालिका परिषद्	150.00
243	रीवा	सतना	नागौद नगर परिषद्	75.00

244	रीवा	सतना	उचेहरा नगर परिषद्	75.00
245	रीवा	सतना	अमरपाटन नगर परिषद्	75.00
246	रीवा	सतना	रामपुर–बघेलान नगर परिषद्	75.00
247	रीवा	सतना	कोटर नगर परिषद्	75.00
248	रीवा	सतना	चित्रकूट नगर परिषद्	75.00
249	रीवा	सतना	बिरसिंहपुर नगर परिषद्	75.00
250	रीवा	सतना	जैतवारा नगर परिषद्	75.00
251	रीवा	सतना	न्यूरामनगर नगर परिषद्	75.00
252	रीवा	सतना	कोठी नगर परिषद्	75.00
253	शहडोल	शहडोल	शहडोल नगर पालिका परिषद्	150.00
254	शहडोल	शहडोल	धनपुरी नगर पालिका परिषद्	150.00
255	शहडोल	शहडोल	बुढ़ार नगर परिषद्	75.00
256	शहडोल	शहडोल	ब्यौहारी नगर परिषद्	75.00
257	शहडोल	शहडोल	खाण्ड नगर परिषद्	75.00
258	शहडोल	शहडोल	जयसिंहनगर नगर परिषद्	75.00
259	शहडोल	अनूपपुर	अनूपपुर नगर पालिका परिषद्	150.00
260	शहडोल	अनूपपुर	पसान नगर पालिका परिषद	150.00
261	शहडोल	अनूपपुर	जैतहरी नगर परिषद्	75.00
262	शहडोल	अनूपपुर	कोतमा नगर पालिका परिषद्	150.00
263	शहडोल	अनूपपुर	बिजूरी नगर पालिका परिषद	150.00
264	शहडोल	अनूपपुर	अमरकंटक नगर परिषद्	75.00
265	शहडोल	उमरिया	उमरिया नगर पालिका परिषद्	150.00
266	शहडोल	उमरिया	चंदिया नगर परिषद्	75.00
267	शहडोल	उमरिया	नौरोजाबाद नगर परिषद्	75.00
268	शहडोल	उमरिया	पाली नगर पालिका परिषद्	150.00
269	इन्दौर	इंदौर	इंदौर नगर पालिक निगम	1000.00
270	इन्दौर	इंदौर	सांवेर नगर परिषद्	75.00
271	इन्दौर	इंदौर	देपालपुर नगर परिषद्	75.00
272	इन्दौर	इंदौर	गौतमपुरा नगर परिषद्	75.00
273	इन्दौर	इंदौर	बेटमा नगर परिषद्	75.00
274	इन्दौर	इंदौर	हातौद नगर परिषद्	75.00
275	इन्दौर	इंदौर	महुगांव नगर परिषद्	75.00
276	इन्दौर	इंदौर	मानपुर नगर परिषद्	75.00
277	इन्दौर	इंदौर	राऊ नगर परिषद्	75.00
278	इन्दौर	खरगौन	खरगौन नगर पालिका परिषद्	200.00
279	इन्दौर	खरगौन	भीकनगांव नगर परिषद्	75.00
280	इन्दौर	खरगौन	बड़वाह नगर पालिका परिषद्	150.00
281	इन्दौर	खरगौन	सनावद नगर पालिका परिषद्	150.00
282	इन्दौर	खरगौन	कसरावद नगर परिषद्	75.00
283	इन्दौर	खरगौन	महेश्वर नगर परिषद्	75.00
284	इन्दौर	खरगौन	मण्डलेश्वर नगर परिषद्	75.00
285	इन्दौर	खरगौन	करही एवं पाण्डल्या खुर्द नगर परिषद्	75.00

286	इन्दौर	खंडवा	खण्डवा नगर पालिक निगम	300.00
287	इन्दौर	खंडवा	मूंदी नगर परिषद्	75.00
288	इन्दौर	खंडवा	ओंकारेश्वर नगर परिषद्	75.00
289	इन्दौर	खंडवा	पंधाना नगर परिषद्	75.00
290	इन्दौर	खंडवा	छनेरा नगर परिषद्	75.00
291	इन्दौर	बुरहानपुर	बुरहानपुर नगर पालिक निगम	300.00
292	इन्दौर	बुरहानपुर	शाहपुर नगर परिषद्	75.00
293	इन्दौर	बुरहानपुर	नेपानगर नगर पालिका परिषद्	150.00
294	इन्दौर	धार	धार नगर पालिका परिषद्	150.00
295	इन्दौर	धार	पीथमपुर नगर पालिका परिषद्	200.00
296	इन्दौर	धार	मनावर नगर पालिका परिषद्	150.00
297	इन्दौर	धार	कुक्षी नगर परिषद्	75.00
298	इन्दौर	धार	डही नगर परिषद्	75.00
299	इन्दौर	धार	बदनावर नगर परिषद्	75.00
300	इन्दौर	धार	धरमपुरी नगर परिषद्	75.00
301	इन्दौर	धार	मांडव नगर परिषद्	75.00
302	इन्दौर	धार	धामनौद नगर परिषद्	75.00
303	इन्दौर	धार	सरदारपुर नगर परिषद्	75.00
304	इन्दौर	धार	राजगढ़ (धार) नगर परिषद्	75.00
305	इन्दौर	बड़वानी	बड़वानी नगर पालिका परिषद्	150.00
306	इन्दौर	बड़वानी	सेंधवा नगर पालिका परिषद्	150.00
307	इन्दौर	बड़वानी	राजपुर नगर परिषद्	75.00
308	इन्दौर	बड़वानी	खेतिया नगर परिषद्	75.00
309	इन्दौर	बड़वानी	अंजड़ नगर परिषद्	75.00
310	इन्दौर	बड़वानी	पानसेमल नगर परिषद्	75.00
311	इन्दौर	बड़वानी	पलसूद नगर परिषद्	75.00
312	इन्दौर	झाबुआ	झाबुआ नगर पालिका परिषद्	150.00
313	इन्दौर	झाबुआ	रानापुर नगर परिषद्	75.00
314	इन्दौर	झाबुआ	पेटलावद नगर परिषद्	75.00
315	इन्दौर	झाबुआ	मेघनगर नगर परिषद्	75.00
316	इन्दौर	अलीराजपुर	अलीराजपुर नगर पालिका परिषद्	150.00
317	इन्दौर	झाबुआ	नगर परिषद थांदला	75.00
318	इन्दौर	अलीराजपुर	जोबट नगर परिषद्	75.00
319	इन्दौर	अलीराजपुर	भावरा नगर परिषद्	75.00
320	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर नगर पालिक निगम	800.00
321	जबलपुर	जबलपुर	पनागर नगर पालिका परिषद्	150.00
322	जबलपुर	जबलपुर	बरेला नगर परिषद्	75.00
323	जबलपुर	जबलपुर	सिहोरा नगर पालिका परिषद्	150.00
324	जबलपुर	जबलपुर	पाटन नगर परिषद्	75.00
325	जबलपुर	जबलपुर	मझौली नगर परिषद्	75.00
326	जबलपुर	जबलपुर	कटंगी नगर परिषद्	75.00
327	जबलपुर	जबलपुर	भेड़ाघाट नगर परिषद्	75.00

328	जबलपुर	जबलपुर	शहपुरा नगर परिषद्	75.00
329	जबलपुर	कटनी	कटनी नगर पालिक निगम	300.00
330	जबलपुर	कटनी	विजयराघवगढ़ नगर परिषद्	75.00
331	जबलपुर	कटनी	बरही नगर परिषद्	75.00
332	जबलपुर	कटनी	कैमोर नगर परिषद्	75.00
333	जबलपुर	बालाघाट	बालाघाट नगर पालिका परिषद्	150.00
334	जबलपुर	बालाघाट	वारासिवनी नगर पालिका परिषद्	150.00
335	जबलपुर	बालाघाट	कटंगी (बालाघाट) नगर परिषद्	75.00
336	जबलपुर	बालाघाट	बैहर नगर परिषद्	75.00
337	जबलपुर	बालाघाट	मलाजखंड नगर पालिका परिषद्	150.00
338	जबलपुर	बालाघाट	लांजी नगर परिषद्	75.00
339	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा नगर पालिक निगम	300.00
340	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	जुन्नारदेव नगर पालिका परिषद्	150.00
341	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	दमुआ नगर पालिका परिषद्	150.00
342	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	चौरई नगर पालिका परिषद्	150.00
343	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	अमरवाड़ा नगर पालिका परिषद्	150.00
344	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	हर्रई नगर परिषद्	75.00
345	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	सौसर नगर पालिका परिषद्	150.00
346	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	पिपलानारायणवार नगर परिषद्	75.00
347	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	लोधीखेड़ा नगर परिषद्	75.00
348	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	मोहगांव नगर परिषद्	75.00
349	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	डोगर परासिया नगर पालिका परिषद्	150.00
350	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	न्यूटन चिखली नगर परिषद्	75.00
351	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	चांदामेटा नगर परिषद्	75.00
352	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	बड़कुही नगर परिषद्	75.00
353	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	बिछुआ नगर परिषद्	75.00
354	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	नगर पालिका परिषद पांढुरना	150.00
355	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	चांद नगर परिषद्	75.00
356	जबलपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर नगर पालिका परिषद्	150.00
357	जबलपुर	नरसिंहपुर	करेली नगर पालिका परिषद्	150.00
358	जबलपुर	नरसिंहपुर	गाडरवारा नगर पालिका परिषद्	150.00
359	जबलपुर	नरसिंहपुर	गोटेगांव नगर पालिका परिषद्	150.00
360	जबलपुर	नरसिंहपुर	तेंदुखेड़ा नगर परिषद्	75.00
361	जबलपुर	नरसिंहपुर	सालीचौका नगर परिषद्	75.00
362	जबलपुर	नरसिंहपुर	चीचली नगर परिषद्	75.00
363	जबलपुर	नरसिंहपुर	सांईखेड़ा नगर परिषद्	75.00
364	जबलपुर	सिवनी	सिवनी नगर पालिका परिषद्	200.00
365	जबलपुर	मण्डला	मण्डला नगर पालिका परिषद्	150.00
366	जबलपुर	मण्डला	नैनपुर नगर पालिका परिषद्	150.00
367	जबलपुर	मण्डला	बम्हनीबंजर नगर परिषद्	75.00
368	जबलपुर	मण्डला	निवास नगर परिषद्	75.00
369	जबलपुर	मण्डला	भुआ बिछिया नगर परिषद्	75.00

370	जबलपुर	डिण्डोरी	डिण्डौरी नगर परिषद्	75.00
371	जबलपुर	डिण्डोरी	शहपुरा नगर परिषद्	75.00
372	सागर	सागर	मालथौन नगर परिषद् 1 (नवगठित)	100.00
373	सागर	सागर	मालथौन नगर परिषद् 2 (नवगठित)	200.00
374	सागर	सागर	बांदरी नगर परिषद् 1 (नवगठित)	100.00
375	सागर	सागर	बांदरी नगर परिषद् 2 (नवगठित)	200.00
376	सागर	सागर	बिलहरा नगर परिषद् (नवगठित)	75.00
377	सागर	सागर	सुरखी नगर परिषद् (नवगठित)	75.00
378	सागर	सागर	बरोदियाकला (नवगठित)	200.00
379	सागर	पन्ना	गुन्नौर नगर परिषद् (नवगठित)	75.00
380	ग्वालियर	ग्वालियर	मोहना नगर परिषद् (नवगठित)	75.00
381	ग्वालियर	गुना	मधुसूदनगढ़ नगर परिषद् (नवगठित)	75.00
382	ग्वालियर	अशोकनगर	पिपरई नगर परिषद् (नवगठित)	75.00
383	ग्वालियर	शिवपुरी	रन्नौद नगर परिषद् (नवगठित)	75.00
384	ग्वालियर	शिवपुरी	पोहरी नगर परिषद् (नवगठित)	75.00
385	ग्वालियर	शिवपुरी	मंगरौनी नगर परिषद् (नवगठित)	75.00
386	चंबल	भिण्ड	रौन नगर परिषद् (नवगठित)	75.00
387	चंबल	भिण्ड	मालनपुर नगर परिषद् (नवगठित)	75.00
388	इन्दौर	खरगौन	बिस्टान नगर परिषद् (नवगठित)	75.00
389	इन्दौर	बड़वानी	ठीकरी नगर परिषद् (नवगठित)	75.00
390	इन्दौर	बड़वानी	निवाली बुजुर्ग नगर परिषद् (नवगठित)	75.00
391	रीवा	रीवा	डभौरा नगर परिषद् (नवगठित)	75.00
392	शहडोल	शहडोल	बकहो नगर परिषद् (नवगठित)	75.00
393	शहडोल	अनुपपुर	वनगंवा (राजनगर) नगर परिषद् (नवगठित)	75.00
394	शहडोल	अनुपपुर	डोला नगर परिषद् (नवगठित)	75.00
395	शहडोल	अनुपपुर	डूमरकछार नगर परिषद् (नवगठित)	75.00
396	शहडोल	उमरिया	मानपुर नगर परिषद् (नवगठित)	75.00
397	जबलपुर	सिवनी	केवलारी नगर परिषद् (नवगठित)	75.00
398	जबलपुर	सिवनी	छपारा नगर परिषद् (नवगठित)	75.00
399	नर्मदापुरम्	हरदा	सिराली नगर परिषद् (नवगठित)	75.00
400	नर्मदापुरम्	बैतूल	घोडाडोंगरी नगर परिषद् (नवगठित)	75.00
401	नर्मदापुरम्	बैतूल	शाहपुर (बैतूल) नगर परिषद् (नवगठित)	75.00
402	उज्जैन	मंदसौर	भैंसोदा मंडी नगर परिषद् (नवगठित)	75.00
403	इन्दौर	खंडवा	पुनासा नगर परिषद् (नवगठित)	50.00
404	रीवा	सिंगरौली	बरगवा नगर परिषद् (नवगठितें)	50.00
405	रीवा	सिंगरौली	सरई नगर परिषद् (नवगठित)	50.00
406	शहडोल	अनूपपुर	बरगवा अमलाई नगर परिषद् (नवगठित)	50.00
407	भोपाल	रायसेन	देवरी नगर परिषद् (नवगठित)	50.00
408	सागर	छतरपुर	बड़ामल्हरा नगर परिषद् (सीएम घोषणा)	100.00
409	सागर	छतरपुर	बक्सवाहा नगर परिषद् (सीएम घोषणा)	100.00
410	भोपाल	सीहोर	नसरूल्लागंज नगर परिषद् (सीएम घोषणा)	808.58
411	भोपाल	सीहोर	बुधनी नगर परिषद् (सीएम घोषणा)	841.03

412	भोपाल	सीहोर	रेहटी नगर परिषद् (सीएम घोषणा)	312.47
413	भोपाल	सीहोर	शाहगंज नगर परिषद (सीएम घोषणा)	743.76
414	भोपाल	होशंगाबाद	होशंगाबाद नगर पालिका परिषद् (सीएम घोषणा)	400.00
415	इन्दौर	झाबुआ	नगर परिषद थांदला (सीएम घोषणा)	100.00
416	नर्मदापुरम्	होशंगाबाद	बाबई नगर परिषद् (सीएम घोषणा)	100.00
417	नर्मदापुरम्	होशंगाबाद	बाबई नगर परिषद् (सीएम घोषणा)	150.00
418	ग्वालियर	शिवपुरी	करैरा नगर परिषद् (सीएम घोषणा)	200.00
419	उज्जैन	रतलाम	रतलाम नगर पालिक निगम (सीएम घोषणा)	50.00
420	इन्दौर	धार	धार नगर पालिका परिषद (सीएम घोषणा)	500.00
421	इन्दौर	खरगौन	भीकनगांव नगर परिषद् (सीएम घोषणा)	200.00
422	इन्दौर	खरगौन	भीकनगांव नगर परिषद् (सीएम घोषणा)	100.00
423	सागर	सागर	खुरई नगर पालिका परिषद (सीएम घोषणा)	1494.16
424	सागर	टीकमगढ़	जैरोन खालसा नगर परिषद् (सीएम घोषणा)	250.00
425	रीवा	रीवा	रीवा नगर पालिक निगम (सीएम घोषणा)	400.00
426	रीवा	सतना	कोठी नगर परिषद् (सीएम घोषणा)	400.00
427	चंबल	मुरैना	कैलारस नगर परिषद् (सीएम घोषणा)	150.00
428	भोपाल	भोपाल	भोपाल नगर पालिक निगम (सीएम घोषणा)	100.00
			योग	**52750.00**

———————

झीलों एवं तालाबों के संरक्षण एवं संवर्धन योजनाओं की सूची

क्र	निकाय का नाम	परियोजना लागत (लाख में)
1	नगर पालिक निगम भोपाल	985.00
2	नगर परिषद गौतमपुरा	119.00
3	नगर परिषद नामली	190.00
4	नगर पालिका धार	626.48
5	नगर पालिका गोहद	272.00
6	नगर पालिका आगर मालवा	542.00
7	नगरपालिका सिरोंज	266.00
8	नगरपालिका झाबुआ	529.00
9	नगर परिषद मांडव	344.00
10	नगर परिषद रानापुर	279.00
11	नगर परिषद नरवर	112.00
12	नगर परिषद जीरन	721.00
13	नगर पालिका मैहर	100.83
14	नगर पालिका मुलताई	385.73
15	नगर पालिका खुरई	1802.21
16	नगर परिषद बाबई	51.09
17	नगर परिषद सैलाना	120.50
18	नगर निगम मुरैना	58.28
19	नगर पालिका इटारसी	79.06
20	नगर परिषद बडा मलहरा	110.68
21	नगर निगम जबलपुर	33.74
22	नगर पालिका टीकमगढ	153.51
23	नगर परिषद कसरावद	171.00
24	नगर परिषद धुवारा	68.11
25	नगर परिषद माकडोन	54.51
26	नगर परिषद बिजावर	39.10
27	नगर परिषद् भैंसदेही	50.00
28	नगर परिषद् बैहर	130.13
29	नगर परिषद् बक्सवाहा	43.24
30	नगर पालिका उमरिया	50.00
31	नगर परिषद् डीकेन	50.00
32	नगर परिषद् बरघाट	98.20
33	नगर पालिक निगम इन्दौर	325.62

34	नगर पालिका सिवनी	156.73
35	नगर परिषद बुढ़ार	40.44
36	नगर परिषद घुवारा	17.52
37	नगर परिषद बान्दरी	345.64
38	नगर परिषद मालथौन	349.97
39	नगर परिषद मेहगांव	111.12
40	नगर परिषद जैरोन खालसा	100.00
41	नगर पालिका पोरसा	242.97
42	नगर पालिक निगम कटनी	120.94
	योग–	**10446.35**

———————

परिशिष्ट–आठ

एकमुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत स्वीकृत जलप्रदाय योजनाओं की अद्यतन स्थिति

(राशि रूपये लाख में)

क्र.	निकाय का नाम	योजना लागत	मुक्त की गई राशि	भौतिक प्रगति
1	सेंधवा	2141.74	2064.00	कार्य पूर्ण।
2	डीकेन	558.20	538.00	कार्य पूर्ण।
3	पृथ्वीपुर	1450.44	1398.00	कार्य पूर्ण।
4.	दतिया	2225.90	1745.00	कार्य पूर्ण।
5	लटेरी	1052.04	825.00	कार्य पूर्ण।
6	महेश्वर	1187.00	930.00	कार्य पूर्ण।
7.	अलीराजपुर	1337.00	1337.00	कार्य पूर्ण।
8.	सीहोर बैराज	700.00	700.00	कार्य पूर्ण।
9.	गरोठ	1507.00	1507.00	कार्य पूर्ण।
10.	सैलाना	486.00	486.00	कार्य पूर्ण।
11.	ब्यौहारी	3100.00	3100.00	कार्य पूर्ण।
	योग–	**15745.32**	**14630.00**	

————————